

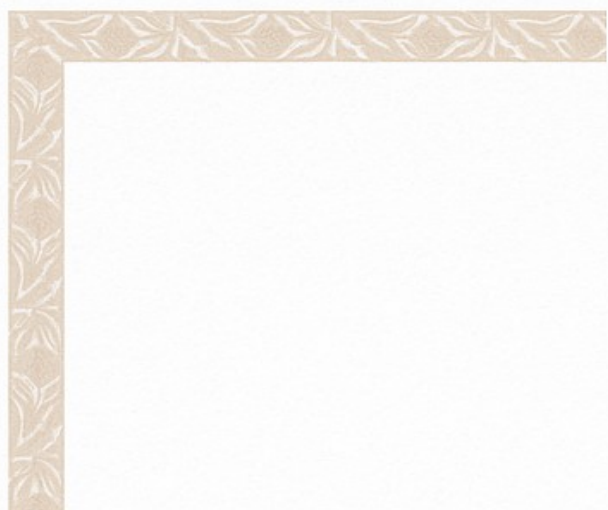
# वार्षिक प्रतिवेदन

## 2023-2024



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान  
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार  
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत







# वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान  
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार  
राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500 030, तेलंगाना, भारत  
वेबसाईट: [www.nirdpr.org.in](http://www.nirdpr.org.in)



द्वारा प्रकाशित:

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान  
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार  
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030, तेलंगाना, भारत

वेबसाइट: [www.nirdpr.org.in](http://www.nirdpr.org.in)

आवरण पृष्ठ डिजाइन: श्री वी. जी. भट

आवरण पृष्ठ चित्र श्रेय: NIRDPR Archives



| विषय-सूची                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| विषय-सूची                                    | पृष्ठ संख्या |
| अध्याय - 1: परिचय                            | 1 - 11       |
| अध्याय - 2: प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण     | 12 - 20      |
| अध्याय - 3: अनुसंधान एवं नीति पक्षधरता       | 21 - 25      |
| अध्याय - 4: एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ         | 26 - 30      |
| अध्याय - 5: नवोन्मेषी कौशल विकास एवं आजीविका | 31 - 40      |
| अध्याय - 6: अकादमिक कार्यक्रम                | 41 - 43      |
| अध्याय - 7: प्रशासन                          | 44 - 52      |
| अध्याय - 8: वित्त एवं लेखा                   | 53 - 55      |
| परिशिष्ट I - X                               | 56 - 70      |

## परिवर्णी शब्द

|                                |   |                                                                                 |
|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| कपार्ट                         | : | जन कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद                               |
| सी बी ओ                        | : | समुदाय आधारित संगठन                                                             |
| सी एफ एम सी                    | : | कोष निधि प्रबंधन समिति                                                          |
| सी आई सी टी ए बी               | : | कृषि बैंकिंग में अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र                       |
| सी आई आर डी ए पी               | : | एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र                    |
| सी टी एस ए                     | : | केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसियाँ                                                |
| ई आर                           | : | निर्वाचित प्रतिनिधि                                                             |
| ई टी सी                        | : | विस्तार प्रशिक्षण केंद्र                                                        |
| जी आई एस                       | : | भौगोलिक सूचना प्रणाली                                                           |
| जी पी डी पी                    | : | ग्राम पंचायत विकास योजना                                                        |
| आई टी ई सी                     | : | भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग                                                  |
| एम जी एन आर ई जी एस            | : | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना                             |
| एम आई एस                       | : | प्रबंधन सूचना प्रणाली                                                           |
| एम ओ पी आर                     | : | पंचायती राज मंत्रालय                                                            |
| एम ओ आर डी                     | : | ग्रामीण विकास मंत्रालय                                                          |
| एन ए बी ए आर डी                | : | राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक                                            |
| एम जी ओ                        | : | गैर-सरकारी संगठन                                                                |
| एन आई आर डी पी आर – एन ई आर सी | : | राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान – उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र |
| एन एम एम यू                    | : | राष्ट्रीय मिशन निगरानी इकाई                                                     |
| एन पी आर                       | : | राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति                                                        |
| पी ई एस ए                      | : | अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायतों का विस्तार अधिनियम                               |
| पी आई ए                        | : | परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियाँ                                                  |
| पी एम जी एस वाई                | : | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना                                                   |
| पी एम के एस वाई                | : | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना                                                  |
| पी आर ए सी                     | : | नीति अनुसंधान सलाहकार समिति                                                     |
| पी आर आई                       | : | पंचायती राज संस्था                                                              |
| आर ए सी                        | : | अनुसंधान सलाहकार समिति                                                          |
| आर ए जी                        | : | अनुसंधान सलाहकार समूह                                                           |
| आर जी एस ए                     | : | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान                                                   |
| एस ई आर पी                     | : | ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी                                                   |
| एस एच जी                       | : | स्व-सहायता समूह                                                                 |
| एस ओ पी                        | : | मानक संचालन प्रक्रिया                                                           |
| एस आर एल एम                    | : | राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन                                                      |
| टी ओ टी                        | : | प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण                                                        |
| टी क्यू आई एम सी               | : | प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार उपाय समिति                                             |
| यू टी                          | : | केंद्र शासित प्रदेश                                                             |



# अभी तक का सफर...

**2020**

कपार्ट का एनआईआरडीपीआर के साथ विलय

**2013**

नाम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान बदला गया

**1977**

नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान रखा गया

**1965**

हैदराबाद कैम्पस में स्थानांतरित

**1958**

मसूरी में राष्ट्रीय समुदाय विकास संस्थान





# हमारे कार्य क्या है

1

वरिष्ठ स्तर के विकास पेशेवरों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंक अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना।

अनुसंधान करना, सहायता करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना।

2

3

राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कामकाज का अध्ययन करना।

ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करना और समाधान प्रस्तावित करना।

4

5

पत्रिकाओं, रिपोर्टों, ई-मॉड्यूल और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से सामग्री विकसित करना और जानकारी प्रसारित करना।



## अध्याय : 1

## परिचय

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। इसे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध एक अग्रणी राष्ट्रीय केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। एनआईआरडीपीआर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास गतिविधियों में शामिल लोगों, जिनमें अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि, वित्तीय संस्थान, सामुदायिक संगठन और अन्य हितधारक शामिल हैं, के कौशल को सुदृढ़ करना है। यह उद्देश्य प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसी विविध एकीकृत गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

प्रारंभ में 1958 में मसूरी में राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान (एनआईसीडी) के रूप में स्थापित, यह संस्थान 1965 में हैदराबाद

स्थानांतरित हो गया और 1977 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) कर दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने और इसके पदाधिकारियों के कौशल को बढ़ाने की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, 4 दिसंबर 2013 को इसकी सामान्य परिषद के निर्णय के बाद, संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) कर दिया गया। एनआईआरडीपीआर और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट काउंसिल (कपार्ट) के बीच उद्देश्यों के अभिसरण को मान्यता देते हुए, भारत सरकार ने 1 मई 2020 को कपार्ट का एनआईआरडीपीआर में विलय कर दिया।

एनआईआरडीपीआर हैदराबाद के ऐतिहासिक क्षेत्र राजेंद्रनगर में





ग्रामीण परिवेश से घिरे 174.21 एकड़ के सुरम्य परिसर में स्थित है। एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास और पंचायती राज क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित करता है:

- वरिष्ठ स्तर के विकास पेशेवरों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंक अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना;
- अनुसंधान करना, सहायता करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना;
- राज्यों में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कामकाज का अध्ययन करें;
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करना और समाधान प्रस्तावित करना; और
- सामग्री विकसित करना और पत्रिकाओं, रिपोर्टों, ई-मॉड्यूल और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से जानकारी प्रसारित करना।

## 1.1 एनआईआरडीपीआर का विज़न

एनआईआरडीपीआर का विज़न ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समावेशी और सतत सुधार लाना है। जीवन की गुणवत्ता के बारे में अलग-अलग समाजों के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। इसका उद्देश्य गरीबी और बीमारी से मुक्ति, एक लंबा और संपूर्ण जीवन जीना और स्वतंत्रता व अधिकारों तक पहुँच प्राप्त करना है। यह एक मूल्य-प्रधान अवधारणा है, जो भोजन, पानी, ऊर्जा, आश्रय, स्वास्थ्य, शिक्षा, अच्छे सामाजिक संबंध, चुनाव की स्वतंत्रता, समानता, सांस्कृतिक पहचान, भौतिक समृद्धि, आध्यात्मिक संतुष्टि और आजीविका सुरक्षा तक पहुँच को प्रभावित करती है।

## 1.2 एनआईआरडीपीआर का मिशन

ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) और पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) के लिए एक 'थिंक-टैंक' के रूप में, हमारा लक्ष्य इन

पहलुओं पर काम करना और नीति निर्माण, कार्यक्रम, लक्ष्य निर्धारण और शासन के लिए महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करना है। ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के हमारे मिशन में स्थिरता एक प्रमुख मूल्य है जिसे हम बनाए रखते हैं। संस्थान अनुसंधान, ज्ञान आधार निर्माण और ग्रामीण विकास अधिकारियों और विकास कार्यकर्ताओं (गैर-सरकारी संगठनों की जवाबदेही और दक्षता) के लिए अनुसंधान-आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के आयोजन के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास को सुगम बनाता है।

## 1.3 एनआईआरडीपीआर के उद्देश्य

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना - नीति निर्माण, एनआईआरडी के साथ साझेदारी करके क्षमता निर्माण के प्रयास, और संतुष्टि दृष्टिकोण अपनाना।
- अनुसंधान-संचालित क्षमता निर्माण - परिणाम-आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण,
- भारत सरकार के प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम।
- जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और वैश्विक उत्कृष्टता का संस्थान बनना।
- कार्य अनुसंधान: भारत सरकार और अन्य संगठनों के लिए अनुसंधान निष्कर्षों को मान्य करने हेतु संकल्पना कार्यक्रमों और परियोजनाओं का प्रमाण एकत्रित करना।
- भारत सरकार तथा अन्य संगठनों के लिए अनुसंधान निष्कर्ष प्रदान करना।
- भारत सरकार के कार्यक्रमों की निगरानी को सक्षम बनाना तथा ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए साक्ष्य एकत्र करना।
- प्रौद्योगिकी प्रसार: ग्रामीण परिवर्तन लाने और स्थानीय ग्रामीण समस्याओं के लिए नवीन समाधान खोजने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप को बढ़ावा देना।



- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग के माध्यम से, यह ग्रामीण ज्ञान सृजन, संरक्षण और प्रसार में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में कार्य करता है।

#### 1.4. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

संस्थान के पास वरिष्ठ और मध्यम प्रबंधन स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में विशेषज्ञता का भंडार है, जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यक्रमों के निर्माण, प्रशासन और क्रियान्वयन के साथ-साथ संबंधित कार्यक्षेत्रों में कार्यरत हैं। ये कार्यक्रम कार्यक्रम प्रबंधन की जटिलताओं और तंत्रों पर ज़ोर देते हैं, मुख्यतः प्रक्रियात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह ज़ोर विकास क्षेत्र के पेशेवरों को उनकी पहलों के प्रत्याशित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सहायता करता है। पिछले कुछ वर्षों में, संस्थान ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सीमा का निरंतर विस्तार किया है और उन्हें विशिष्ट आवश्यकताओं और मांगों के अनुरूप ढाला है। इस प्रयास के परिणामस्वरूप प्रतिभागियों की संतुष्टि दर उल्लेखनीय रूप से उच्च रही है, जो निरंतर नवाचार और नई प्रशिक्षण विधियों और तकनीकों को अपनाने से प्राप्त हुई है।

इसके अतिरिक्त, शोध अध्ययनों से प्राप्त अंतर्दृष्टि को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकीकृत किया जाता है ताकि प्रशिक्षण सामग्री को बेहतर बनाया जा सके।

संस्थान के मिशन का एक अभिन्न अंग अपने संबद्ध संस्थानों, अर्थात् राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एसआईआरडीपीआर) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) की प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाना है। इसमें भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय योजना के माध्यम से इन संस्थानों के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और संकाय को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। संस्थान विविध प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से एसआईआरडीपीआर और ईटीसी के संकाय सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी संचालित करता है। इसके अलावा, एनआईआरडीपीआर कृषि बैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रशिक्षण केंद्र (सीआईसीटीएबी), एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र (सीआईआरडीएपी), और यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ सहयोग करता है।

संस्थान ने पंचायती राज पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए कई पहल की हैं। इनमें ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पर केंद्रित प्रशिक्षण संसाधन, प्रशिक्षक और विशेषज्ञ तैयार करना शामिल है। संस्थान विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भू-सूचना विज्ञान अनुप्रयोगों की बढ़ती प्रासंगिकता को भी स्वीकार करता है। इस समस्या के समाधान के लिए, संस्थान के अंतर्गत ग्रामीण विकास में भू-सूचना विज्ञान अनुप्रयोग केंद्र (सी-गार्ड) नवीनतम भू-सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम विकसित करता है।

#### 1.5. अनुसंधान और परामर्श

अनुसंधान संस्थान की गतिविधियों का एक आधारभूत स्तंभ है, जिसका उद्देश्य उभरती विकासात्मक चिंताओं को समझना और ग्रामीण विकास प्रथाओं से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। इसमें एक व्यापक दृष्टिकोण शामिल है जिसके तहत संस्थान ग्रामीण आबादी के सामाजिक कल्याण को बढ़ाने में योगदान देने वाले कारकों की जाँच और मूल्यांकन करता है, विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों जैसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। यह अन्वेषण विभिन्न शोध प्रयासों के माध्यम से होता है, जिसमें शोध अध्ययन, क्रिया-आधारित शोध परियोजनाएँ, केस स्टडी और परामर्श अध्ययन शामिल हैं। संस्थान द्वारा किया गया शोध स्थल पर ही किया जाता है, जिससे महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं जो संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आकार देने और ग्रामीण विकास से संबंधित नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय संस्थान के शोध अध्ययनों से प्राप्त अंतर्दृष्टि को अत्यधिक महत्व देता है और इन अध्ययनों द्वारा स्थापित फीडबैक लूप को महत्व देता है। संस्थान विशिष्ट स्थानों के अनुरूप लक्षित क्रियात्मक अनुसंधान भी करता है। इसमें विषयों या मॉडलों का व्यवस्थित रूप से क्षेत्र-परीक्षण और दिए गए स्थान की मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर हस्तक्षेपों को समायोजित करना शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन के लिए एक जन-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, जिससे स्थानीय निर्णय लेने और सहभागी मूल्यांकन में सुविधा हो।

इसके अलावा, एसआईआरडीपीआर, ईटीसी और अन्य नेटवर्किंग संस्थानों के साथ सहयोगात्मक प्रयास भी किए जाते हैं। संस्थान अपनी विशेषज्ञता का विस्तार करते हुए विभिन्न विकास विषयों को कवर करने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को परामर्श (कंसल्टेंसी) सहायता प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, संस्थान केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों तथा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अनुरोध पर अनुसंधान अध्ययन भी करता है।

## 1.6. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

विकास में तेजी लाने और सतत ग्रामीण विकास के लिए उपयुक्त और सस्ती तकनीकों के व्यापक प्रसार की दिशा में पहल के एक हिस्से के रूप में, एनआईआरडीपीआर ने 1999 में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) की स्थापना की। इसका उद्देश्य कौशल संवर्धन और उद्यमिता विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबों की आजीविका को बेहतर बनाना है। आरटीपी में राष्ट्रीय ग्रामीण भवन केंद्र 40 विभिन्न तकनीकों के साथ ग्रामीण घरों के लागत प्रभावी मॉडल प्रदर्शित करता है। एक स्वच्छता पार्क भी स्थापित किया गया और व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों के कई मॉडल बनाए गए जो ग्रामीण जनता के लिए किफायती हैं। ग्रामीण प्रौद्योगिकियों, नवाचारों, ग्रामीण उत्पादों के विपणन आदि को बढ़ावा देने के लिए हर साल एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला आयोजित किया जाता है। महानिदेशक का बंगला उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके टिकाऊ आवास को बढ़ावा देने के लिए आरटीपी की एक स्थायी आवास पहल है।

आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

## 1.7. नवोन्मेषी कौशल और आजीविका

ग्रामीण विकास मंत्रालय के नवोन्मेषी कौशल विकास और

आजीविका संवर्धन के विशिष्ट प्रयासों को सुगम बनाने के लिए, एनआईआरडीपीआर के अंतर्गत विशिष्ट परियोजनाएँ और संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें डीडीयू-जीकेवाई संसाधन प्रकोष्ठ, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) को समर्पित संसाधन प्रकोष्ठ, ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) पर केंद्रित परियोजना प्रकोष्ठ और एस.आर. शंकरन चेयर शामिल हैं।

डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारत के वंचित ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में, यह संस्थान एक राष्ट्रीय स्तर की समन्वय इकाई के रूप में कार्य करता है जो डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम की नीतिगत वकालत और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। एनआईआरडीपीआर का डीडीयू-जीकेवाई प्रकोष्ठ राज्यों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) दोनों को प्रशिक्षण और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

डीएवाई-एनआरएलएम को समर्पित संसाधन प्रकोष्ठ की स्थापना एनआईआरडीपीआर के अंतर्गत 2012 में की गई थी, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से विविध ग्रामीण आजीविका पहलों को सुगम बनाना और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करना है। एनआरएलएम के लिए यह संसाधन प्रकोष्ठ विभिन्न विषयगत क्षेत्रों जैसे संस्था निर्माण एवं क्षमता निर्माण (आईबीसीबी), वित्तीय समावेशन (एफआई), और लिंग एवं आजीविका पर केंद्रित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और संगोष्ठियाँ आयोजित करता है। ये कार्यक्रम विभिन्न प्रतिभागियों, जैसे गैर सरकारी संगठनों, बैंकरों, पीआईए, सरकारी अधिकारियों और समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) के लिए हैं।

संस्थान का आरएसईटीआई परियोजना प्रकोष्ठ विभिन्न राज्यों में ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के लिए बुनियादी ढाँचा स्थापित करने हेतु बैंकों के साथ सहयोग करने हेतु उत्तरदायी केंद्रीय संस्था है। इस क्षमता में, संस्थान बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय के धन का उपयोग करने हेतु विभिन्न प्रायोजक बैंकों के प्रस्तावों पर कार्रवाई करता है।



भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से 2012 में स्थापित, ग्रामीण श्रम पर एस.आर. शंकरन पीठ, ग्रामीण श्रमिकों के जीवन और कार्य स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें बेहतर बनाने में योगदान देने वाले विषयों पर अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच है।

## 1.8 शैक्षणिक कार्यक्रम

ग्रामीण विकास के लिए समय-समय पर की गई विभिन्न पहलों ने उनके प्रभावी और कुशल प्रबंधन के लिए पेशवरों की माँग को बढ़ाया है। इसी को ध्यान में रखते हुए, संस्थान ने 2008 में ग्रामीण विकास प्रबंधन में एक वर्षीय आवासीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम) शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में ग्रामीण विकास प्रबंधन पेशवरों का एक बड़ा समूह तैयार करना है, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

बदलते विकास परिदृश्यों और प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक दक्षताओं की व्यापक समझ रखने वाले पेशवरों की आवश्यकता को देखते हुए, यह महसूस किया गया कि एक लंबी अवधि के कार्यक्रम की आवश्यकता है। तदनुसार, 2018 में, संस्थान ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली के अनुमोदन से दो वर्षीय पूर्णकालिक पीजीडीएम-आरएम कार्यक्रम शुरू किया।

संस्थान की व्यापक पहुँच की पहल को आगे बढ़ाते हुए, 2010 में एक दूरस्थ शिक्षा प्रकोष्ठ (डीईसी) की स्थापना की गई और सतत ग्रामीण विकास में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएसआरडी) शुरू किया गया। विशिष्ट आदिवासी विकास पेशवरों के एक सुप्रशिक्षित समूह को विकसित करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, संस्थान ने जनवरी 2013 में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आदिवासी विकास में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडीटीडीएम) भी शुरू किया। इसके अलावा, ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडीजीएआरडी) अगस्त 2015 में शुरू हुआ।

## 1.9 नीति समर्थन

एनआईआरडीपीआर को ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए एक थिंक टैंक के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसके अंतर्गत, संस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं पर क्रियात्मक शोध, शोध अध्ययन, कार्यशालाएँ, सेमिनार आदि आयोजित करता है ताकि विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के नीति निर्धारण और प्रभावी प्रबंधन हेतु इनपुट प्रदान किए जा सकें। ये केंद्र और राज्य सरकारों को विकास प्रशासन और प्रबंधन की बारीकियों के बारे में नवीनतम फीडबैक प्रदान करते हैं।

### 1.10. प्रशासन और वित्त

संस्थान के प्रशासन और वित्त विभाग संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियों में सहायता और सुविधा प्रदान करते हैं। संस्थान की नीतियाँ और रणनीतियाँ सामान्य परिषद (जीसी) द्वारा निर्धारित की जाती हैं। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन कार्यकारी परिषद (ईसी) में निहित है, जिसके अध्यक्ष ग्रामीण विकास सचिव हैं। महानिदेशक संस्थान के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। शैक्षणिक और अनुसंधान सलाहकार समितियाँ प्रशिक्षण, अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, परामर्श और शैक्षणिक गतिविधियों का मार्गदर्शन करके संस्थान की सहायता करती हैं। प्रो. वाई. के. अलघ की समिति की सिफारिशों के आधार पर, संस्थान को स्कूलों में पुनर्गठित किया गया है और प्रत्येक स्कूल के भीतर केंद्र हैं।

संस्थान के वित्त एवं लेखा प्रभाग के कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बजट बनाना, धन का आहरण, लेखा-जोखा, प्राप्ति और भुगतानों का वर्गीकरण, वार्षिक खातों की तैयारी और संकलन, लेखापरीक्षित वार्षिक खातों को मंत्रालय को प्रस्तुत करना, तथा प्रबंधन द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रशासन/प्रशिक्षण/परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मामलों पर वित्तीय सलाह प्रदान करना शामिल है।

### 1.11 प्रसार और प्रकाशन

एनआईआरडीपीआर को ग्रामीण विकास संबंधी जानकारी

प्रसारित करने का अधिदेश प्राप्त है। संस्थान ने वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास संबंधी मुद्दों पर साहित्य प्रकाशित करने के अपने प्रयास जारी रखे। संस्थान द्वारा प्रकाशित ग्रामीण विकास पर त्रैमासिक पत्रिका, ग्रामीण विकास और विकेंद्रीकृत शासन पर अग्रणी शैक्षणिक पत्रिकाओं में गौरवपूर्ण स्थान रखती है। संस्थान का समाचार पत्र, 'प्रगति', प्रशिक्षण कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार करने और संस्थान द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डालने के लिए अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित होता है। संस्थान शोध रिपोर्ट और केस स्टडी श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशन भी प्रकाशित करता है। संस्थान के पुस्तकालय ने ग्रामीण विकास पर शोध हाइलाइट्स, प्रशिक्षण/पठन सामग्री और संकाय प्रकाशनों जैसे संस्थागत प्रकाशनों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया है।

### 1.1.2 वर्ष की प्रमुख उपलब्धियाँ

#### 1. स्वयं सहायता समूहों और अमृत सरोवरों पर मन की बात के प्रभाव पर अध्ययन

भारत के प्रधानमंत्री के मन की बात (एमकेबी), जिसका शाब्दिक अर्थ है "दिल से निकली आवाज़", एक अनूठा मीडिया कार्यक्रम है जहाँ सफल पहलों, सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुकरणीय मामलों का उल्लेख और प्रोत्साहन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम सीधे संबोधन में किया जाता है। यह संबोधन महीने में एक बार, विशेष रूप से महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित किया जाता है, और इसकी रिकॉर्डिंग और प्रतिलिपि एमकेबी की वेबसाइट पर आम जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्यक्रम का अभूतपूर्व प्रभाव है कि यह जमीनी स्तर के लोगों को प्रधानमंत्री से जोड़ता है और जमीनी स्तर की पहलों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक व्यापक पहुँच और पहचान प्रदान करता है।

एमकेबी कार्यक्रम अपने 100वें एपिसोड तक पहुँचने वाला था, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दो विशिष्ट ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और अमृत सरोवर मिशन पर एमकेबी के प्रभाव का एक अध्ययन शुरू किया। इन केस स्टडीज़ का मुख्य उद्देश्य देश में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों और अमृत सरोवर पहलों की सफलता की कहानियों का उल्लेख करते



## IN SEARCH OF EXCELLENCE IN RURAL TRANSFORMATION

THE MANN KI BAAT STORIES  
VOL- I



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान  
National Institute of Rural Development & Panchayati Raj  
Ministry of Rural Development, Government of India  
Rajendranagar, Hyderabad - 500 030

हुए ग्रामीण समुदायों के जीवन में आए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का विश्लेषण करना था। यह अध्ययन 10 स्थानों (एसएचजी पर 6 केस स्टडीज़ और अमृत सरोवर मिशन पर 4 केस स्टडीज़) में किया गया, जिसमें सेवन राज्य, अर्थात् तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक शामिल थे। इन सभी 10 केस स्टडी रिपोर्टों को एक अध्ययन रिपोर्ट, "ग्रामीण परिवर्तन में उत्कृष्टता की खोज: मन की बात की कहानियाँ - खंड-1" में संकलित किया गया और क्रमशः स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सूक्ष्म उद्यमों और अमृत सरोवर मिशन पर केंद्रित दो शोध लेख अलग-अलग प्रकाशित किए गए।

#### 2. नीति आयोग के 'आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम' का शुभारंभ - क्षमता निर्माण सहायता

भारत के सबसे दूरस्थ और अविकसित ब्लॉकों में जीवन स्तर और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) का शुभारंभ भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 7



जनवरी 2023 को किया गया था। यह भारत के सबसे पिछड़े ब्लॉकों के विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम है, जो देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए सरकार द्वारा 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) के समान है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 329 जिलों में फैले 500 ब्लॉकों में मौजूदा योजनाओं का एकीकरण, स्पष्ट परिणाम स्थापित करना और प्रगति की निरंतर निगरानी करना है।

क्षमता निर्माण, एबीपी का एक केंद्रीय घटक है, जो क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन के संवर्धन पर जोर देता है। एनआईआरडीपीआर को 105 ब्लॉकों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के क्षमता निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिनमें पाँच दक्षिणी राज्यों (तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल) के 64 ब्लॉक और सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के 41 ब्लॉक शामिल हैं। क्षमता निर्माण रणनीति दो चरणों पर केंद्रित है:

- कार्यक्रम अभिविन्यास और नेतृत्व प्रशिक्षण:** अगस्त-सितंबर 2023 के दौरान, एनआईआरडीपीआर ने दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के 105 ब्लॉकों के सभी बीएलओ और प्रमुख हितधारकों के लिए कार्यक्रम अभिविन्यास और नेतृत्व प्रशिक्षण आयोजित किया ताकि उन्हें कार्यक्रम के उद्देश्यों, प्रमुख घटकों और कार्यान्वयन रणनीति की समझ के साथ-साथ परिवर्तन के नेता के रूप में तैयार किया जा सके। 5 दक्षिणी और 8 उत्तर-पूर्वी राज्यों (कुल 29 बैच) के 973 बीएलओ के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
- डोमेन विशेषज्ञता का निर्माण:** डोमेन विशेषज्ञता निर्माण चरण के एक भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर ने पाँच क्षेत्र-विशिष्ट मॉड्यूल (अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल और बुनियादी ढाँचा) विकसित किए हैं। एनआईआरडीपीआर के मॉड्यूल लेखकों का विवरण इस प्रकार है:

| क्र.सं. | क्षेत्र         | मॉड्यूल लेखक                                                                |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1       | स्वास्थ्य       | डॉ. सुचरिता पुजारी, सहायक प्रोफेसर<br>डॉ. पुनीत, हेल्थ एक्सपर्ट             |
| 2       | पोषण            | डॉ. वनीश्री जे., सहायक प्रोफेसर<br>डॉ. एन वी माधुरी, एसोसिएट प्रोफेसर       |
| 3       | शिक्षा          | डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर<br>डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर        |
| 4       | पेय जल          | डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर                                              |
| 5       | बुनियादी संरचना | डॉ. सी. कथिरेसन, एसोसिएट प्रोफेसर<br>डॉ. वेंकटमाल्लू थडाबोडना, रिसर्च ऑफिसर |

फरवरी 2024 के पहले सप्ताह में, एनआईआरडीपीआर ने देश भर के चिह्नित संस्थानों के मास्टर प्रशिक्षकों (एमटी) के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम आयोजित किया। फरवरी 2024 के तीसरे और चौथे सप्ताह में, एनआईआरडीपीआर ने दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के सभी बीएलओ के लिए डोमेन-विशिष्ट

प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए और प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से परिचित कराया ताकि निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति और परिणामों की योजना बनाने, रणनीति बनाने, कार्यान्वयन और निगरानी हेतु क्षमता निर्माण किया जा सके।

### 3. पंचायती राज व्यवस्था पर राष्ट्रीय हितधारक परामर्श कार्यशाला: पुनरावलोकन और संभावनाएँ तथा जन योजना अभियान 2023 का शुभारंभ



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने 4 सितंबर 2023 को संस्थान के सहयोग से भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित 'पंचायती राज व्यवस्था: पुनरावलोकन और संभावनाएँ' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों के उभरते और ज्वलंत मुद्दों पर विचार-विमर्श करना और पंचायतों को "परिवर्तन निर्माता" या "परिवर्तन के वाहक" के रूप में सक्षम बनाने हेतु रोडमैप/आगे का रास्ता तैयार करना था। इस अवसर पर, पंचायत विकास योजनाओं (2024-2025) की तैयारी के लिए जन योजना अभियान (पीपीसी) 2023 का शुभारंभ किया गया। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा परियोजना संचालित ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत विकास योजना के निर्माण पर एक रिपोर्ट और पंचायत विकास सूचकांक के राष्ट्रीय प्रशिक्षण मॉड्यूल और 73वें संविधान संशोधन के 30 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में एनआईआरडीपीआर के ग्रामीण विकास जर्नल का एक विशेष अंक, और एनआईआरडीपीआर में पंचायती राज में उत्कृष्टता स्कूल (एसओईपीआर) पर ब्रोशर का भी विमोचन किया गया।

### 4. मालदीव की एटोल परिषदों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का प्रशिक्षण - विदेश मंत्रालय द्वारा समर्थित

2 अगस्त 2022 को, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) के तत्वावधान में एनआईआरडीपीआर और मालदीव गणराज्य के

स्थानीय शासन प्राधिकरण (एलजीए) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। जैसा कि उक्त समझौता ज्ञापन में कहा गया है, एनआईआरडीपीआर ने मालदीव में भारतीय उच्चायोग और मालदीव के एलजीए के परामर्श से, स्थानीय परिषदों और एलजीए, मालदीव के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए चार वर्षों (2022-2026) में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बनाई है।

2023-24 के दौरान, एनआईआरडीपीआर ने अपने हैदराबाद परिसर में 17 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक मालदीव गणराज्य के द्वीप परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने मालदीव के विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें शावियानी, नूतू, रा और ल्हावियानी के एटोल से आने वाले राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष और परिषद सदस्य शामिल थे। माले के विभिन्न द्वीप परिषदों से कुल 29 प्रतिभागियों (13 महिलाएं और 16 पुरुष) ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया - परिषद अध्यक्ष, परिषद उपाध्यक्ष और परिषद सदस्य, शावियानी, नूतू, रा और ल्हावियानी के एटोल से आने वाले, मालदीव गणराज्य के स्थानीय सरकारी प्राधिकरण के अधिकारी, विदेश मंत्रालय, माले।

### 5. बैच 1 से 4 पीजीडीएमआरएम और बैच 17 से 20 पीजीडीआरडीएम के लिए 17वां दीक्षांत समारोह 29.09.2023 को

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान का 17वां वार्षिक दीक्षांत समारोह 29 सितंबर 2023 को इसके हैदराबाद परिसर में आयोजित किया गया। साध्वी निरंजन ज्योति, माननीय ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, भारत सरकार, इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहें। दीक्षांत भाषण यूजीसी के माननीय अध्यक्ष और मुख्य अतिथि प्रो. ममीडाला जगदीश कुमार ने दिया। डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएस, महानिदेशक एनआईआरडीपीआर और शैक्षणिक समिति के अध्यक्ष, ने समारोह की अध्यक्षता की। प्रो. ममीडाला जगदीश ने छात्रों को डिप्लोमा प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए।



## 6. ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी)

ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD), भारत सरकार ने क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के मार्गदर्शन में अपने अधिकारियों की योग्यता वृद्धि आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (एसीबीपी) विकसित की है, जिसका निर्धारण योग्यता आवश्यकता विश्लेषण (सीएनए) के माध्यम से किया जाता है। एसीबीपी ने मंत्रालय के भीतर विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण दक्षताओं की पहचान की, जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्य आवंटन नियमों द्वारा परिभाषित मंत्रालय के अधिदेश को पूरा करने में प्रत्येक पदनाम द्वारा निर्धारित जाने वाली भूमिका पर विचार किया गया। इस पृष्ठभूमि में, एनआईआरडीपीआर ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान चार कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें मनरेगा, एनआरएलएम और पीएमएवाई-जी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ जी नरेंद्र कुमार, IAS के उद्घाटन भाषण के साथ शुरू हुए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नेतृत्व, संचार आदि जैसी व्यवहारिक दक्षताओं पर भी सत्र शामिल थे। प्रशिक्षण पद्धति में व्याख्यान-सह-चर्चा, समूह चर्चा, केस प्रस्तुतीकरण, अनुभव भ्रमण और अभ्यास शामिल थे। कुल मिलाकर, ग्रामीण विकास मंत्रालय के 82 कर्मचारियों को 13 फरवरी 2024 से 7 मार्च 2024 तक चार बैचों में प्रशिक्षित किया गया।

## 7. आर्द्रभूमि और जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

एनआईआरडीपीआर ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) के सहयोग से 8 से 12 जनवरी 2024 तक हैदराबाद स्थित एनआईआरडीपीआर परिसर में वेटलैंड्स और जैव विविधता पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। विभिन्न राज्यों के कुल 17 वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

## 8. प्रबंधन विकास कार्यक्रम निम्नलिखित के लिए आयोजित किए जाते हैं:

- भारतीय विदेश सेवा अधिकारी,
- भारतीय सांख्यिकी सेवा अधिकारी
- रतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी

- बिहार के सिविल सेवक
- भारतीय सूचना सेवा अधिकारी
- बीडीओ - विकास प्रशासन कार्यक्रम

## 9. पुरस्कार / मान्यताएँ

- एनआईआरडीपीआर को 16 मार्च 2024 को राधानाथ सिकंदर इंस्टीट्यूट ऑफ जियोस्पेशियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आरएसआईजीएसटी), कोलकाता द्वारा ग्रामीण विकास क्षेत्र में भू-स्थानिक अनुप्रयोग में अपने बहुमूल्य योगदान के लिए **जियोस्पेशियल एक्सीलेंस अवार्ड 2024** से सम्मानित किया गया है।
- एनआईआरडीपीआर को हुडको डिज़ाइन पुरस्कार 2023-24 मिला - एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) के 'राष्ट्रीय ग्रामीण भवन केंद्र' के माध्यम से 'स्थायी भवन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने' के लिए दूसरा पुरस्कार।
- एनआईआरडीपीआर को 21 दिसंबर 2023 को एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा **विकास नेतृत्व पुरस्कार 2023** से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया, जिसने लाखों ग्रामीण लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। भारत के माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार समिति द्वारा एनआईआरडीपीआर का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया था।

## 10. गणमान्य व्यक्तियों ने एनआईआरडीपीआर का दौरा किया

1. माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 01-03 जुलाई, 2023 के दौरान एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद का दौरा किया।





2. श्री फगन सिंह कुलस्ते, माननीय केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार, ने 1 जून 2023 को एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद का दौरा किया।



3. श्री सी. अचलेन्द्र रेड्डी, आईएफएस (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए), भारत सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह और भारत सरकार की मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) पहल के हिस्से के रूप में 25 मई 2023 को 'जैव विविधता वित्त - कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क' पर एक अतिथि व्याख्यान दिया।



4. साध्वी निरंजन ज्योति, माननीय ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, भारत सरकार, 29 सितंबर 2023 को आयोजित एनआईआरडीपीआर के 17वें वार्षिक दीक्षांत समारोह के अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।



5. यूजीसी के माननीय अध्यक्ष और मुख्य अतिथि प्रोफेसर ममीडाला जगदीश कुमार ने 29 सितंबर 2023 को आयोजित एनआईआरडीपीआर के 17वें वार्षिक दीक्षांत समारोह के अवसर पर दीक्षांत भाषण दिया।



6. तेलंगाना की माननीय राज्यपाल, डॉ. (श्रीमती) तमिलिसाई सुंदरराजन ने 8 सितंबर 2023 को एनआईआरडीपीआर परिसर का दौरा किया और 26 आदिवासी युवाओं के साथ बातचीत की, जो लीफ प्लेट्स और कप मेकिंग टेक्नोलॉजी पर प्रशिक्षण ले रहे थे।



7. श्री शैलेश कुमार सिंह, आईएएस, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 21 नवंबर 2023 को एनआईआरडीपीआर स्थापना दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में एनआईआरडीपीआर आए और स्थापना दिवस पर भाषण दिया।





8. डॉ. सी. अचलेंद्र रेड्डी, आईएफएस (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, एनबीए और डॉ. बी बालाजी, आईएफएस, सचिव, एनबीए ने एनआईआरडीपीआर का दौरा किया और 8 से 12 जनवरी 2024 तक एनआईआरडीपीआर में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) के साथ सहयोग पर कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया। एनआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित आर्द्रभूमि और जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।

\*\*\*\*\*



## अध्याय - 2

# प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

### 2.1 एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम

संस्थान ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की प्रभावकारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्राथमिक गतिविधि के रूप में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर जोर देता है। एनआईआरडीपीआर, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में व्यापक विशेषज्ञता रखता है, जो नीतियों को आकार देने, प्रबंधन की देखरेख करने और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज कार्यक्रमों के अंतर्गत पहलों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्ञान के आधार, आवश्यक कौशल और उचित दृष्टिकोण एवं मूल्यों पर केंद्रित इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज और समग्र ग्रामीण विकास परिदृश्य में उल्लेखनीय सुधार किया है। एनआईआरडीपीआर के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य देश भर के विकास पेशेवरों की क्षमताओं को बढ़ाना और उन्हें चल रही ग्रामीण विकास पहलों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए सक्षम बनाना है। संस्थान निरंतर नवीन प्रशिक्षण पद्धतियों और तकनीकों का नवाचार और समावेश करता है, जैसे कि क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से अनुभवात्मक शिक्षा, कृत्रिम परिदृश्यों में भूमिका-निर्वाह, और इंटरैक्टिव कार्यशालाएँ जहाँ प्रतिभागी समूह चर्चा और समस्या-समाधान गतिविधियों में भाग लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिन्हें विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया गया है।

इसके अलावा, क्रिया-आधारित शोध, ग्राम गोद लेने और केस स्टडीज़ से प्राप्त अंतर्दृष्टि को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सोच-समझकर एकीकृत किया गया है। इन कार्यक्रमों ने दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों से, काफ़ी रुचि अर्जित की है। उल्लेखनीय है कि

एनआईआरडीपीआर राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थानों (एसआईआरडीपीआर) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) की क्षमता को सुदृढ़ करने में भी सक्रिय रूप से लगा हुआ है, जिससे एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से अर्जित ज्ञान का जमीनी स्तर तक प्रसार सुनिश्चित होता है।

#### 2.1.1 उद्देश्य

एनआईआरडीपीआर के कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार किए गए हैं:

- प्रभावी कार्यक्रम नियोजन और कार्यान्वयन के लिए विकास कर्मियों में जागरूकता पैदा करना, कौशल में सुधार करना, सही दृष्टिकोण विकसित करना और उनके ज्ञान का विस्तार करना;
- कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और परामर्शों के माध्यम से ग्रामीण आबादी की उभरती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना;
- सतत ग्रामीण विकास में उत्साहपूर्ण योगदान के लिए विकास कर्मियों के व्यवहार में बदलाव लाना;
- विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं और सफलता की कहानियों से विकास कर्मियों को परिचित कराना।

#### 2.1.2 ग्राहक समूह

एनआईआरडीपीआर कार्यक्रम ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित केन्द्र और राज्य सरकार के विभागों के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित और आधिकारिक सदस्यों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), शिक्षाविदों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों आदि सहित अन्य हितधारकों के लिए तैयार किए गए हैं।



## 2.1.3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधन:

एनआईआरडीपीआर में वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर को अंतिम रूप देने में उभरते ग्रामीण विकास के रुझानों को संस्थान के व्यापक दृष्टिकोण के साथ सहजता से संरेखित करने की एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया शामिल है। हितधारकों की विशिष्ट क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने और मांग-संचालित कार्यक्रम प्रदान करने के लिए, पिछले तीन वर्षों के प्रशिक्षण कैलेंडर को तैयार करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है। 2024-25 के लिए प्रशिक्षण के प्रमुख फोकस क्षेत्रों को विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर संकाय द्वारा आयोजित कार्यशालाओं के परिणामों, ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों से प्राप्त आवश्यकताओं, विभिन्न शोध निष्कर्षों के परिणामों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजनाओं, सामान्य परिषद (जीसी) और कार्यकारी परिषद (ईसी) के सदस्यों से प्राप्त नीति स्तर के सुझावों और प्रतिभागियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद, प्रारंभिक चरण में एनआईआरडीपीआर के परिसर में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) सत्र आयोजित किए जाएंगे, इसके बाद, कार्यक्रमों को राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थानों (एसआईआरडीपीआर) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) को सौंप दिया जाता है, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक कार्यक्रमों को पहुंचाने के लिए उन्हें क्रमिक रूप से संचालित करते हैं।

इसके अलावा, संस्थान अपने शोध अध्ययनों से प्राप्त मूल्यवान जानकारी को प्रशिक्षण पहलों के डिज़ाइन को आकार देने के लिए शामिल करता है। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षण सामग्री अद्यतन, प्रासंगिक और ज़मीनी हकीकतों के अनुरूप बनी रहे। विषयगत कार्यशालाओं, शोध अंतर्दृष्टियों और प्रशिक्षण सत्रों से जुड़े चरणबद्ध दृष्टिकोण सहित, इन बहुआयामी जानकारियों का लाभ उठाकर, संस्थान यह सुनिश्चित करता है कि उसका प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण विकास हितधारकों की गतिशील आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करे और साथ ही क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को भी कायम रखे।

## 2.1.4. प्रशिक्षण पद्धति

प्रशिक्षण की विविधता और प्रतिभागियों की विविध प्रोफ़ाइल को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त प्रशिक्षण विधियों का उपयोग किया गया है। इन विधियों में व्याख्यान-सह-चर्चा, केस स्टडी, समूह चर्चा, पैनल चर्चा, अभ्यास और व्यावहारिक सत्र (प्रदर्शन), सफलता की कहानियाँ आदि शामिल थे। प्रशिक्षण पद्धति के एक भाग के रूप में, आंतरिक और बाह्य दोनों संसाधन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुतियाँ, प्रतिभागियों के साथ अनुभव साझा करना और बातचीत को सुगम बनाया गया।

## 2.1.5 प्रशिक्षण गुणवत्ता उन्नत उपाय समिति (टीक्यूआईएमसी)

प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के गुणात्मक पहलुओं में सुधार करना संस्थान की सदैव प्राथमिकता रही है। इस संबंध में, प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार उपाय समिति (टीक्यूआईएमसी) का गठन किया गया, जिसके सदस्य आंतरिक और बाह्य विषय विशेषज्ञ हैं, जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा और सामग्री की जाँच करेंगे और कार्यक्रमों में सुधार के उपाय सुझाएंगे।

## 2.1.6 प्रशिक्षण कार्यक्रम: 2023-24

2023-24 के दौरान, 1926 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और एनआईआरडीपीआर और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में 87,375 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और एसआईआरडीपीआर, ईटीसी और अन्य आरडी एवं पीआर संस्थानों के संकाय सदस्यों की क्षमता बढ़ाने के लिए, एनआईआरडीपीआर और इसके क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा 1290 ऑफ-कैंपस कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का औसत स्कोर 88 प्रतिशत था। संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का श्रेणीवार विवरण तालिका-2.1 में प्रस्तुत किया गया है। 2023-24 के दौरान एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का श्रेणीवार वितरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: 2023-24 में आयोजित कार्यक्रम का प्रकार

| प्रकार                                    | एनआईआरडीपीआर,<br>हैदराबाद | एनआईआरडीपीआर<br>एनआईआरसी | एनआईआरडीपीआर,<br>दिल्ली शाखा | कुल  |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------|
| प्रशिक्षण कार्यक्रम                       | 1284                      | 230                      | 9                            | 1523 |
| वर्कशॉप, सेमिनार/<br>वेबिनार / कॉन्फ्रेंस | 61                        | 14                       | 24                           | 99   |
| प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण                  | 135                       | 47                       | 2                            | 184  |
| अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम                  | 7                         | 0                        | 4                            | 11   |
| प्रदर्शन दौरा                             | 94                        | 0                        | 0                            | 94   |
| प्रेरण और अभिविन्यास                      | 10                        | 5                        | 0                            | 15   |
| कुल                                       | 1591                      | 296                      | 39                           | 1926 |

संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के स्वरूप का विवरण तालिका-2.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.2: 2023-24 में आयोजित कार्यक्रम का तरीका

| माध्यम | आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या                 | %  | प्रतिभागियों की संख्या |
|--------|----------------------------------------------|----|------------------------|
| ऑनलाइन | 252<br>(हाइब्रिड मोड में हुए प्रोग्राम सहित) | 13 | 19085                  |
| ऑफलाइन | 1674                                         | 87 | 68290                  |
| कुल    | 1926                                         |    | 87375                  |

## 2.1.7 प्रतिभागियों की प्रोफाइल

जैसा कि नीचे दी गई तालिका-2.3 में देखा जा सकता है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अधिकांश लोग सरकारी अधिकारी थे। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों

(एनजीओ), समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) और अन्य, जैसे स्वयं सहायता समूहों, किसानों और युवाओं के प्रतिनिधि भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले समूह का हिस्सा थे।

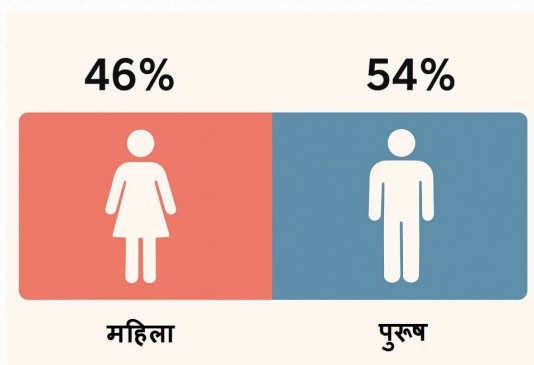
तालिका -2.3: प्रतिभागियों की प्रोफाइल

| श्रेणी                                  | एनआईआरडीपीआर,<br>हैदराबाद | एनआईआरसी<br>गुवाहाटी | दिल्ली शाखा | कुल योग |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------|
| सरकारी अधिकारी                          | 28602                     | 3837                 | 703         | 33142   |
| बैंकर और वाणिज्यिक संगठन                | 25923                     | 7388                 | 1101        | 34412   |
| जिला परिषद और पंचायती राज संस्थाओं      | 1023                      | 67                   | 6           | 1096    |
| वॉलंटरी ऑर्गनाइजेशन/ गैर सरकारी संगठनों | 804                       | 85                   | 706         | 1595    |
| राष्ट्रीय / राज्य संस्थान               | 354                       | 54                   | 3           | 411     |
| विश्वविद्यालय / कॉलेज                   | 3252                      | 167                  | 166         | 3585    |
| अंतरराष्ट्रीय                           | 159                       | 0                    | 7           | 166     |
| अन्य/युवा/सार्वजनिक उपक्रम/व्यक्ति      | 11877                     | 140                  | 951         | 12968   |
| कुल                                     | 71994                     | 11738                | 3643        | 87375   |



## प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लिंग वितरण

एनआईआरडीपीआर लिंग-तटस्थ कार्यक्रमों को डिज़ाइन करने के लिए ठोस प्रयास करता है। ये कार्यक्रम पुरुष और महिला दोनों प्रतिभागियों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। निम्नलिखित ग्राफ़ 2.1 एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों के लिंग वितरण का विवरण प्रस्तुत करता है।



चित्र 2.1: एनआईआरडीपीआर के कार्यक्रमों में लैंगिक वितरण

## 2.1.8 राज्य वार सहभागिता

साल 2023-24 के दौरान ट्रेनीज़ की राज्य-वार भागीदारी नीचे दी गई है सारणी -2.4.

| सारणी 2.4: एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों के राज्यवार प्रतिभागी |                                         |                                   |         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| क्रसं.                                                    | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश             | प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या | प्रतिशत |
| 1                                                         | अंडमान और निकोबार (यूटी)                | 94                                | 0.11    |
| 2                                                         | आंध्र प्रदेश                            | 11,526                            | 13.22   |
| 3                                                         | अरुणाचल प्रदेश                          | 564                               | 0.65    |
| 4                                                         | असम                                     | 4,995                             | 5.73    |
| 5                                                         | बिहार                                   | 372                               | 0.43    |
| 6                                                         | छत्तीसगढ़                               | 3,943                             | 4.52    |
| 7                                                         | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (यूटी) | 103                               | 0.12    |
| 8                                                         | दिल्ली                                  | 799                               | 0.92    |
| 9                                                         | गोवा                                    | 921                               | 1.06    |
| 10                                                        | गुजरात                                  | 3,456                             | 3.96    |
| 11                                                        | हरियाणा                                 | 3,197                             | 3.67    |
| 12                                                        | हिमाचल प्रदेश                           | 2,296                             | 2.63    |
| 13                                                        | जम्मू एवं कश्मीर (यूटी)                 | 1,513                             | 1.73    |
| 14                                                        | झारखण्ड                                 | 685                               | 0.79    |
| 15                                                        | कर्नाटक                                 | 5,026                             | 5.76    |
| 16                                                        | केरल                                    | 1,638                             | 1.88    |
| 17                                                        | लक्षदीप (यूटी)                          | 7                                 | 0.01    |
| 18                                                        | मध्य प्रदेश                             | 879                               | 1.01    |
| 19                                                        | महाराष्ट्र                              | 2,328                             | 2.67    |
| 20                                                        | मणिपुर                                  | 423                               | 0.49    |
| 21                                                        | मेघालय                                  | 1,229                             | 1.41    |
| 22                                                        | मिजोरम                                  | 798                               | 0.92    |
| 23                                                        | नागालैंड                                | 943                               | 1.08    |
| 24                                                        | ओडिशा                                   | 1,111                             | 1.27    |
| 25                                                        | पुदुचेरी (यूटी)                         | 556                               | 0.64    |
| 26                                                        | पंजाब                                   | 2,564                             | 2.94    |
| 27                                                        | राजस्थान                                | 6,611                             | 7.58    |
| 28                                                        | सिक्किम                                 | 636                               | 0.73    |
| 29                                                        | तमिलनाडु                                | 3,682                             | 4.22    |
| 30                                                        | तेलंगाना                                | 9,927                             | 11.38   |

जारी...

सारणी 2.4: एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों के राज्यवार प्रतिभागी

| क्रसं | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या | प्रतिशत    |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|
| 31    | त्रिपुरा                    | 1,160                             | 1.33       |
| 32    | उत्तर प्रदेश                | 10,282                            | 11.79      |
| 33    | उत्तराखंड                   | 2,112                             | 2.42       |
| 34    | लदाख                        | 120                               | 0.14       |
| 35    | पश्चिम बंगाल                | 713                               | 0.82       |
|       | <b>कुल</b>                  | <b>87,209</b>                     | <b>100</b> |
|       | <b>अंतर्राष्ट्रीय</b>       | <b>166</b>                        |            |
|       | <b>कुल योग</b>              | <b>87,375</b>                     |            |

## 2.1.0 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

विकासशील देशों के लाभ के लिए भारतीय अनुभव साझा करने के प्रयासों के तहत, संस्थान विभिन्न ग्रामीण विकास विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। ये कार्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी), सीआईसीटीएबी, मालदीव सरकार और एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों के तहत आयोजित किए जाते हैं। 2023-24 के दौरान, 11 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, और विकासशील देशों के

166 प्रतिभागियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रतिभागी मुख्य रूप से एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों जैसे बांग्लादेश, बेल्जियम, भूटान, कंबोडिया, डोमिनिका, घाना, इराक, केन्या, मलावी, मालदीव, मॉरिशस, नामीबिया, नेपाल, नाइजीरिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, श्रीलंका, सीरिया, ताजिकिस्तान, तंजानिया, टोंगा, त्रिनिदाद और टोबैगो, युगांडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जाम्बिया और जिम्बाब्वे से थे। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों और प्रतिभागियों का विवरण तालिका-2.5 और तालिका-2.6 में दिया गया है।

सारणी 2.5: अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के विवरण

| श्रेणी           | आयोजित कार्यक्रमों की संख्या | प्रशिक्षित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों की संख्या |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| सीआईसीटीएबी      | 2                            | 46                                               |
| आईटीईसी / मालदीव | 2                            | 59                                               |
| एनआईआरडीपीआर     | 7                            | 61                                               |
| <b>कुल योग</b>   | <b>11</b>                    | <b>166</b>                                       |

सारणी 2.6: एनआईआरडीपीआर कार्यक्रमों के राष्ट्र-वार प्रतिभागी

| क्रसं | राष्ट्र का नाम    | प्रतिभागियों की संख्या |
|-------|-------------------|------------------------|
| 1     | बांग्लादेश        | 2                      |
| 2     | बेल्जियम          | 1                      |
| 3     | भूटान             | 3                      |
| 4     | कंबोडिया          | 1                      |
| 5     | डोमिनिका          | 1                      |
| 6     | घाना              | 2                      |
| 7     | इराक              | 1                      |
| 8     | केन्या            | 4                      |
| 9     | मलावी             | 5                      |
| 10    | मालदीव्स          | 61                     |
| 11    | मॉरिशस            | 3                      |
| 12    | नाम्बिया          | 1                      |
| 13    | नेपाल             | 32                     |
| 14    | नाइजीरिया         | 5                      |
| 15    | पापुआ न्यू गुआयना | 2                      |

जारी...



| क्र.सं. | राष्ट्र का नाम      | प्रतिभागियों की संख्या |
|---------|---------------------|------------------------|
| 16      | सोलोमन द्वीप समूह   | 1                      |
| 17      | दक्षिण अफ्रीका      | 2                      |
| 18      | दक्षिण सूडान        | 5                      |
| 19      | श्री लंका           | 10                     |
| 20      | सीरिया              | 5                      |
| 21      | ताजीकिस्तान         | 2                      |
| 22      | तंज़ानिया           | 7                      |
| 23      | टोंगा               | 1                      |
| 24      | त्रिनिदाद और टोबैगो | 2                      |
| 25      | यूगांडा             | 2                      |
| 26      | यूनाइटेड स्टेट्स    | 2                      |
| 27      | ज़ाम्बिया           | 1                      |
| 28      | ज़िम्बाब्वे         | 2                      |
|         | <b>कुल</b>          | <b>166</b>             |

इंटरनेशनल प्रोग्राम के टाइटल इस प्रकार हैं:

#### आईटीईसी कार्यक्रम

1. आइलैंड काउंसिल के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट
2. लोकल चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट महिला डेवलपमेंट काउंसिल (WDC)

#### सीआईसीटीएबी कार्यक्रम

1. फाइनेंशियल इन्क्लूजन हासिल करने में कोऑपरेटिव संस्थाओं की भूमिका पर इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम
2. ग्रामीण विकास के लिए सहकारी संस्थाओं को एकीकृत करने पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

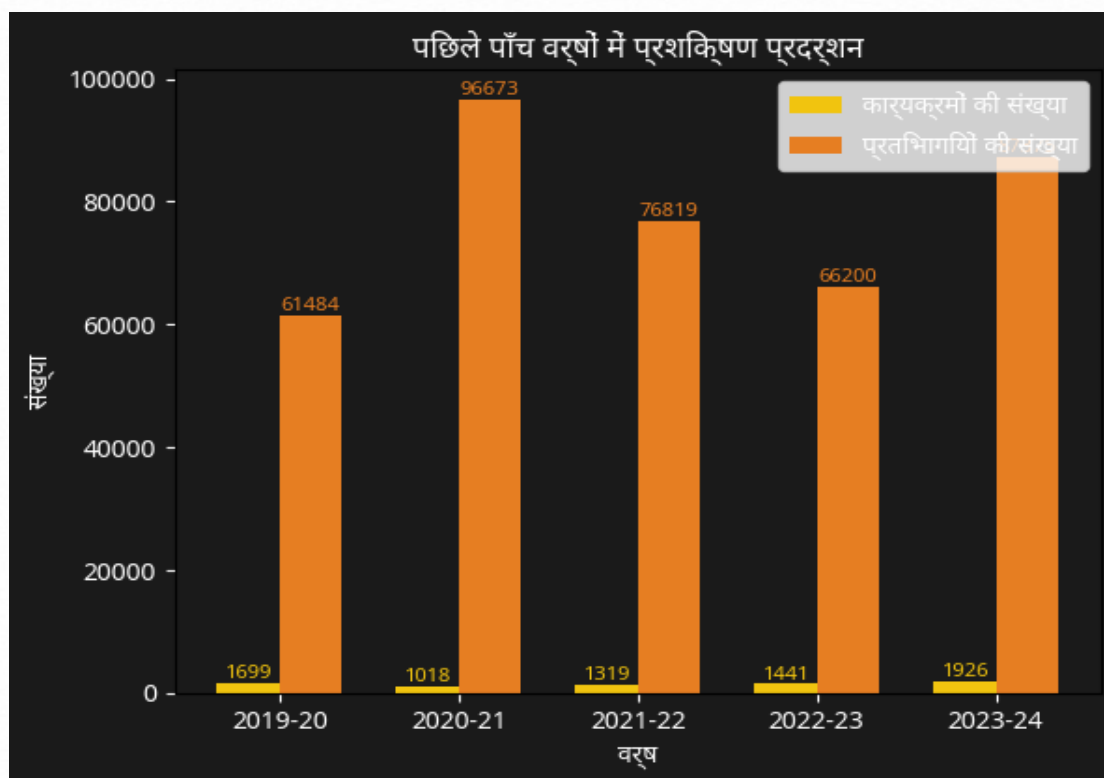
#### अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के विषय

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को एकीकृत करके सतत ग्रामीण विकास को सुगम बनाना है। उभरते ग्रामीण परिदृश्यों के संदर्भ में विकास पेशेवरों की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विषयों की योजना बनाई गई है। चल रहे ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रमों की प्रभावी योजना और प्रबंधन तथा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की विषयवार संख्या का विवरण तालिका-2.7 में प्रस्तुत किया गया है।

| विषय -2.7: कार्यक्रमों का विषय-वार वितरण |                                            |                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| क्र.सं.                                  | विषय                                       | आयोजित कार्यक्रमों की संख्या |
| 1                                        | उत्तरदायी प्रशासन का निर्माण               | 152                          |
| 2                                        | सामुदायिक सशक्तिकरण                        | 380                          |
| 3                                        | ई-शासन                                     | 283                          |
| 4                                        | जेंडर बजटिंग और जेंडर-रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस | 18                           |
| 5                                        | जीआईएस अनुप्रयोग                           | 172                          |
| 6                                        | आर.डी. में नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास      | 41                           |
| 7                                        | पीआरआई को प्रभावी बनाना                    | 105                          |
| 8                                        | प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन                   | 30                           |
| 9                                        | सहभागी योजना और विकेंद्रीकरण               | 28                           |
| 10                                       | गरीबी उन्मूलन और आजीविका                   | 437                          |
| 11                                       | ग्रामीण सूक्ष्म उद्यम                      | 130                          |
| 12                                       | प्रौद्योगिकी हस्तांतरण                     | 2                            |
| 13                                       | शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही            | 148                          |
|                                          | <b>कुल</b>                                 | <b>1926</b>                  |

## 2.1.12 वर्षों में प्रशिक्षण प्रदर्शन

2019-20 से शुरू होकर पिछले पांच सालों के दौरान ट्रेनिंग परफॉर्मेंस को फिगर 2.2 में दिखाया गया है।



चित्र 2.2 : पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रशिक्षण का प्रदर्शन

## 2.1.13 प्रशिक्षण फीडबैक

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) और गूगल फॉर्म का उपयोग करके पाँच-बिंदु पैमाने पर ई-मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। यह मूल्यांकन प्रशिक्षण डिज़ाइन, विषय-वस्तु, प्रशिक्षण विधियों, प्रशिक्षण सामग्री, वक्ताओं की प्रभावशीलता आदि जैसे घटकों के संदर्भ में किया जाता है ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार हेतु सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। 2023-24 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समग्र औसत स्कोर 88 प्रतिशत रहा।

## 2.2 राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडीपीआर) और विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों (ईटीसी) के साथ नेटवर्किंग

एनआईआरडीपीआर को ग्रामीण विकास और पंचायती राज पदाधिकारियों के विशाल समूह की क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण के माध्यम से एसआईआरडी और ईटीसी को सुदृढ़ करने का दायित्व सौंपा गया है। इन प्रयासों से विकास कार्यक्रमों की बेहतर योजना और कार्यान्वयन में मदद मिलने की उम्मीद है। इस नेटवर्किंग प्रयास के एक भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर कई

योजनाओं और कार्यक्रमों का समन्वय कर रहा है, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

### 2.2.1 आरडी और पीआर के प्रभारी राज्य सचिवों और एसआईआरडी के प्रमुखों के साथ संगोष्ठी और एसआईआरडी और ईटीसी के साथ क्षेत्रीय बैठकें

एसआईआरडी और ईटीसी के साथ नेटवर्किंग के संबंध में एनआईआरडीपीआर के प्रमुख कार्यों में से एक है (क) एसआईआरडी के प्रमुखों के साथ वार्षिक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करना, जिसमें आरडी और पीआर के प्रभारी सचिवों को भी आमंत्रित किया जाता है, और (ख) एसआईआरडी और ईटीसी के प्रमुखों के साथ क्षेत्रीय बैठकें आयोजित करना। जहाँ एक ओर संगोष्ठी सामान्य रूप से एसआईआरडी की गतिविधियों का अवलोकन करने में सहायक होती है, वहीं दूसरी ओर एसआईआरडी और ईटीसी के प्रमुखों के साथ क्षेत्रीय बैठकें एनआईआरडी, एसआईआरडी और ईटीसी के बीच विस्तृत बातचीत और नेटवर्किंग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती हैं। चालू वर्ष के दौरान एसआईआरडी और ईटीसी की कोई राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित नहीं की गई।



## 2.2.2 एसआईआरडी और ईटीसी के विकास के लिए केंद्रीय योजना:

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) 'आरडी कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रणाली को मजबूत बनाने' की केंद्रीय योजना के तहत एसआईआरडी और ईटीसी को गैर-आवर्ती और आवर्ती वस्तुओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। परिसर विकास कार्यों, शिक्षण सहायक सामग्री, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर और जुड़नार की खरीद सहित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए गैर-आवर्ती व्यय के लिए एसआईआरडीपीआर और ईटीसी को 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, एमओआरडी गैर-पूर्वोत्तर राज्यों में एसआईआरडीपीआर को आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत, पूर्वोत्तर राज्यों और तीन हिमालयी राज्यों (जम्मू-कश्मीर, एचपी और उत्तराखंड) में एसआईआरडीपीआर को आवर्ती व्यय का 90 प्रतिशत प्रदान करता है। इसके अलावा, सात कोर संकाय सदस्यों के वेतन पर व्यय की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सभी एसआईआरडीपीआर को साल-दर-साल आधार पर प्रदान की जाती है। ईटीसी के लिए, आरडी एवं पीआर पदाधिकारियों और पीआरआई सदस्यों के क्षमता निर्माण हेतु आवर्ती व्यय हेतु प्रति ईटीसी प्रति वर्ष अधिकतम 20 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। संस्थान को प्रस्तावों की जाँच करके और योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता स्वीकृत करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय को एसआईआरडी-ईटीसी-विशिष्ट सिफारिशें करके एसआईआरडी और ईटीसी को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है। प्रस्तावों की जाँच के एक भाग के रूप में, संस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज के प्रमुख कार्यक्रमों के विशेष संदर्भ में, मौजूदा

बुनियादी ढाँचे, संकाय पदों और प्रशिक्षण प्रदर्शन के संदर्भ में संस्थानों से संपर्क करता है।

## 2.2.3 एनआईआरडीपीआर-राज्य लिंक अधिकारी योजना:

राज्य संपर्क अधिकारी (एसएलओ) एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्य हैं जो राज्यों और एसआईआरडीपीआर को इस प्रणाली के अंतर्गत आरडी एवं पीआर अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करते हैं। राज्य सरकारों, एसआईआरडीपीआर, ईटीसी और अन्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्रों में एसएलओ से शैक्षणिक सहायता प्राप्त हुई है।

## 2.2.4 एसआईआरडी तथा ईटीसी का प्रशिक्षण कार्य निष्पादन :

एनआईआरडीपीआर-एसआईआरडीपीआर-ईटीसी के 'नेटवर्क' ने आयोजित कार्यक्रमों की संख्या और ग्राहक समूहों की पहुँच में वृद्धि के संदर्भ में प्रशिक्षण गतिविधियों के दायरे को बढ़ाया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य केंद्र प्रायोजित विकास योजनाओं द्वारा प्रमुख कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ, संस्थान राज्यों की आवश्यकताओं और अनुरोधों के आधार पर विशिष्ट कार्यक्रमों के साथ-साथ एसआईआरडी और ईटीसी के लिए इन पहलों पर विभिन्न प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है। 2023-2024 में, लगभग 36000 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और विभिन्न एसआईआरडी/ईटीसी द्वारा लगभग 40.42 लाख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।



कार्बन तटस्थ गाँवों की योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन की रणनीतियों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ एवं प्रतिभागी, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र तथा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मेघालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

**सारणी 2.8: 2023-24 के दौरान एसआईआरडीपीआर और ईटीसी द्वारा आयोजित राज्य-वार ट्रेनिंग प्रोग्राम का विवरण**

| क्र.सं | राज्य            | आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम | प्रशिक्षित प्रतिभागियों की कुल संख्या |
|--------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1.     | आंध्र प्रदेश     | 2472                       | 208579                                |
| 2.     | असम              | 7234                       | 354627                                |
| 3.     | अरुणाचल प्रदेश   | 78                         | 13025                                 |
| 4.     | बिहार            | 878                        | 66567                                 |
| 5.     | छत्तीसगढ़        | 188                        | 16357                                 |
| 6.     | गोवा             | 316                        | 12066                                 |
| 7.     | गुजरात           | 279                        | 372224                                |
| 8.     | हरियाणा          | 237                        | 9466                                  |
| 9.     | हिमाचल प्रदेश    | 182                        | 16697                                 |
| 10.    | जम्मू एवं कश्मीर | 32                         | 754                                   |
| 11.    | झारखण्ड          | 105                        | 4583                                  |
| 12.    | कर्नाटक          | 112                        | 406434                                |
| 13.    | केरल             | 9054                       | 449142                                |
| 14.    | मध्य प्रदेश      | 1832                       | 129360                                |
| 15.    | महाराष्ट्र       | 987                        | 56489                                 |
| 16.    | मणिपुर           | 55                         | 2100                                  |
| 17.    | मेघालय           | 123                        | 4500                                  |
| 18.    | मिजोरम           | 225                        | 15901                                 |
| 19.    | नागालैंड         | 75                         | 2594                                  |
| 20.    | ओडिशा            | 2749                       | 1651730                               |
| 21.    | पंजाब            | 275                        | 14975                                 |
| 22.    | राजस्थान         | 184                        | 10670                                 |
| 23.    | सिक्किम          | 312                        | 15072                                 |
| 24.    | तमिलनाडु         | 15                         | 4253                                  |
| 25.    | तेलंगाना         | 499                        | 16329                                 |
| 26.    | त्रिपुरा         | 478                        | 13855                                 |
| 27.    | उत्तर प्रदेश     | 7091                       | 210563                                |
| 28.    | उत्तराखंड        | 575                        | 18610                                 |
| 29.    | पश्चिम बंगाल     | 270                        | 11453                                 |
|        | कुल              | <b>36034</b>               | <b>4042408</b>                        |

### 2.2.5 एसआईआरडीपीआर और ईटीसी अधिकारियों के लिए प्रवेश कार्यक्रम :

सीआरटीसीएन की एसआईआरडी/ईटीसी इकाई ने एसआईआरडी और ईटीसी के संकाय और अन्य कर्मचारियों के लिए

दो बैचों में इंडक्शन प्रोग्राम भी आयोजित किया है। पहला कार्यक्रम 12 से 14 सितंबर, 2023 के दौरान और दूसरा बैच 10 से 13 अक्टूबर, 2023 के दौरान आयोजित किया गया था।

\*\*\*\*\*



## अध्याय - 3

# अनुसंधान और नीति वकालत

### 3.1 अवलोकन

अनुसंधान एनआईआरडी और पीआर का एक प्रमुख कार्य है, जो संस्थान को ग्रामीण विकास और पंचायती राज में उभरती चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम बनाता है। संकाय सदस्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए अनुसंधान अध्ययन, क्रियात्मक अनुसंधान, केस स्टडी, सहयोगात्मक अध्ययन और परामर्श कार्य करने हेतु अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हैं। अनुसंधान प्रयासों का उद्देश्य नीति निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन में सुधार और प्रशिक्षण सामग्री विकास को सुदृढ़ बनाना है।

एनआईआरडीपीआर में, गुणवत्ता, प्रासंगिकता और नीतिगत संरेखण सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान एक संरचित बहु-चरणीय समीक्षा प्रक्रिया का पालन करता है। **नीति अनुसंधान सलाहकार समिति (पीआरएसी)** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास लक्ष्यों के अनुरूप अनुसंधान के लिए व्यापक विषयगत क्षेत्रों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का सुझाव देती है। इसके बाद संकाय सदस्य इन विषयों पर प्रस्ताव विकसित करते हैं। इसके बाद, **अनुसंधान सलाहकार समूह (आरएजी)** कार्यप्रणाली की सुदृढ़ता का मूल्यांकन करता है। औपचारिक अनुमोदन से पहले, प्रतिष्ठित बाहरी विद्वानों वाली **अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी)** द्वारा अंतिम समीक्षा की जाती है।

अनुमोदन के बाद, शोध अध्ययन एक व्यवस्थित गुणवत्ता आश्वासन तंत्र का पालन करते हैं:

- उद्देश्यों को अंतिम रूप देने, कार्यप्रणाली को परिष्कृत करने और हितधारकों की अपेक्षाओं को संरेखित करने के लिए शुरुआत में एक **आरंभिक कार्यशाला** आयोजित की जाती है।
- प्रगति का आकलन करने, चुनौतियों की पहचान करने और यदि आवश्यक हो, तो रणनीतियों को पुनः निर्धारित करने के लिए बीच में एक **मध्यावधि मूल्यांकन कार्यशाला** आयोजित की जाती है।

- आंतरिक अंतिमकरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, अध्ययन के निष्कर्षों को एक अध्ययन मंच में प्रस्तुत किया जाता है ताकि सहकर्मी प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके और अंतिम रिपोर्ट को सुदृढ़ बनाया जा सके।
- अध्ययन पूरा होने के बाद, संबंधित हितधारकों और नीति निर्माताओं के साथ प्रमुख निष्कर्षों और नीतिगत सिफारिशों को साझा करने के लिए एक प्रसार कार्यशाला आयोजित की जाती है।

### 3.2 अनुसंधान की श्रेणियाँ

अनुसंधान गतिविधियों को अनुसंधान अध्ययन, केस अध्ययन, सहयोगात्मक अध्ययन, क्रियात्मक अनुसंधान और परामर्श अध्ययन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्रियात्मक अनुसंधान पहल, नीतिगत नवाचारों को सूचित करने के लिए जमीनी स्तर की वास्तविकताओं के साथ गहन जुड़ाव प्रदान करती हैं।

### 3.3 2023-24 में आयोजित अनुसंधान अध्ययन

वर्ष 2023-24 में, संस्थान ने 55 शोध अध्ययन किए (पिछले वर्षों के 32 चालू और 23 नए अध्ययन - **अनुलग्नक II**)। वर्ष के दौरान कुल 35 (**अनुलग्नक III**) अध्ययन पूरे किए गए। ये अध्ययन असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में फैले हुए थे। चूंकि शोध अध्ययनों की अवधि वित्तीय वर्ष में फैली हुई है, इसलिए संदर्भित वर्ष के दौरान पूरे किए गए अध्ययनों में पिछले वर्षों के दौरान शुरू किए गए और कुछ चालू वर्ष में शुरू किए गए अध्ययन शामिल हैं। समय-सीमा के अनुसार, 15 अध्ययन अभी भी चल रहे हैं।

### 3.3 प्रमुख शोध निष्कर्ष एवं नीति संबंधी सिफारिशें

#### ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :

अध्ययन से पता चला है कि "अपशिष्ट से धन" मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों की परिचालन लागत का केवल लगभग 15-20% ही पूरा कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए युक्तिसंगत बुनियादी ढाँचे, प्रभावी उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह और विवेकपूर्ण लागत प्रबंधन की आवश्यकता है। नीतिगत अनुशंसाएँ अपशिष्ट उत्पादन के आधार पर विभेदक उपयोगकर्ता शुल्क लगाने और राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायतों को महत्वपूर्ण अंतराल निधि प्रदान करने की आवश्यकता पर ज़ोर देती हैं।

#### उत्तर प्रदेश में बच्चों के पोषण पर आईसीडीएस का असर:

आईसीडीएस के अंतर्गत सेवाओं के उच्च उपयोग के बावजूद, अध्ययन में बाल पोषण परिणामों में सीमित सुधार पाया गया, जो अंतर्निहित सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य निर्धारकों को दर्शाता है। नीतिगत सुझावों में वाश (जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य) हस्तक्षेपों को एकीकृत करना, आहार विविधता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की प्रभावशीलता को बढ़ाना, और महिलाओं को सशक्त बनाने तथा घरेलू पोषण समानता में सुधार के लिए पात्रता-आधारित दृष्टिकोण अपनाना शामिल है।

#### लिंग-अनुकूल ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ:

शोध ने समावेशी शासन के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में ग्राम पंचायतों की क्षमता पर प्रकाश डाला है। नीतिगत सिफारिशों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व और मार्गदर्शन कार्यक्रमों को मज़बूत करना, लैंगिक रूप से संवेदनशील बजट प्रक्रियाओं को संस्थागत बनाना, महिला-अनुकूल बुनियादी ढाँचा विकसित करना और ग्राम विकास कार्यक्रम (जीपीडीपी) ढाँचे में लैंगिक प्राथमिकताओं को शामिल करना शामिल है।

#### केरल के मीनांगडी पंचायत में सतत जैव विविधता प्रबंधन:

अध्ययन में दर्शाया गया है कि जैव विविधता संरक्षण को ग्रामीण आजीविका के साथ एकीकृत करके जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन कैसे विकसित किया जा सकता है। अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि पंचायतें प्रकृति भविष्य ढाँचे (एनएफएफ) के अनुरूप एक जैव विविधता दृष्टिकोण तैयार करें और उसे जीपीडीपी

में शामिल करें ताकि स्थानीय स्तर पर खाद्य, ऊर्जा और पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले सतत विकास परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

#### असम में पंचायत विकास के लिए भू-स्थानिक योजना:

जीआईएस-आधारित संसाधन मानचित्रण के अनुप्रयोग ने पंचायत स्तर पर साक्ष्य-आधारित नियोजन को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ किया है। सिफारिशों में भू-स्थानिक डेटा प्रणालियों को संस्थागत बनाने, पंचायत अधिकारियों के लिए जीआईएस प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण बढ़ाने और पारदर्शी, जवाबदेह और वैज्ञानिक संसाधन प्रबंधन के लिए स्थानिक नियोजन प्रथाओं का विस्तार करने पर ज़ोर दिया गया है।

#### ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से जीपीडीपी का क्रियान्वयन:

असम के पानीखैती ग्राम पंचायत के केस स्टडी में योजनाओं के आंशिक अभिसरण और एकीकृत ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के कम उपयोग की पहचान की गई। नीतिगत सिफारिशों में योजनाओं में अभिसरण योजना को मज़बूत करना, ई-गवर्नेंस प्रथाओं को पूरी तरह से अपनाना सुनिश्चित करना और पंचायत कर्मचारियों के लिए नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

#### पूर्वोत्तर क्षेत्र में पीएमईजीपी का प्रदर्शन:

अध्ययन में पीएमईजीपी योजना के तहत ऋण-पश्चात सहायता, विपणन पहुँच और तकनीकी उन्नयन में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। इसमें मज़बूत ऋण-पश्चात सहायता प्रणालियाँ स्थापित करने, उद्यमशीलता क्षमता निर्माण को बढ़ाने, विपणन संबंधों को सुगम बनाने और महिला उद्यमियों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई।

#### समुदाय-संचालित मासिक धर्म स्वास्थ्य पहल:

असम और नागालैंड में सफल पहलों ने मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए समुदाय-आधारित मॉडलों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया। नीतिगत सिफारिशों में सामाजिक उद्यमिता दृष्टिकोण अपनाने, स्थानीय उत्पादन और वितरण नेटवर्क बनाने, और स्कूलों, स्वयं सहायता समूहों और जिला प्रशासन सहित बहु-हितधारक भागीदारी को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया।



## तमिलनाडु के कुलिमथुर ग्राम पंचायत में सहभागितापूर्ण योजना:

केस स्टडी ने सफल सहभागी नियोजन के लिए मज़बूत स्थानीय नेतृत्व, संरचित सामुदायिक लामबंदी और समावेशी निर्णय लेने को प्रमुख कारकों के रूप में पहचाना। इसने जमीनी स्तर पर शासन को मज़बूत बनाने के लिए महिला सभाओं, बाल सभाओं और संरचित ग्राम सभा परामर्श जैसी सहभागी विधियों को संस्थागत बनाने की सिफ़ारिश की।

## तेलंगाना में हरिता हारम कार्यक्रम:

मूल्यांकन में हरित आवरण में वृद्धि प्राप्त करने में राजनीतिक प्रतिबद्धता, विभागों के बीच अभिसरण और अनिवार्य उत्तरजीविता निगरानी की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। ऐसे बहु-विभागीय अभिसरण मॉडलों, ग्राम नर्सरियों की स्थापना और हरित बजट प्रक्रियाओं के एकीकरण को अन्य राज्यों के लिए भी अपनाने की सिफ़ारिश की गई।

## पल्ले प्रगति और वैकुंठ धामम पहल:

पल्ले प्रगति कार्यक्रम ने स्वच्छता अवसंरचना, अपशिष्ट प्रबंधन और अंतिम संस्कार के लिए सम्मानजनक सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार किया है। सिफ़ारिशों में नियमित धन प्रवाह सुनिश्चित करना, सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से परिसंपत्तियों के रखरखाव को बढ़ावा देना और सतत ग्रामीण विकास परिणामों के लिए जवाबदेही तंत्र को मज़बूत करना शामिल है।

## मेघालय में सामाजिक लेखापरीक्षा का कार्यान्वयन:

मेघालय सामाजिक लेखा परीक्षा अधिनियम को अंतर्विभागीय समन्वय की कमी के कारण लागू होने में देरी का सामना करना पड़ा। नीतिगत सुझावों में योजना चरण के आरंभ में ही हितधारकों को शामिल करना, क्षमता निर्माण को प्राथमिकता देना, सभी योजनाओं में सामाजिक लेखा परीक्षा दिशानिर्देश बनाना और कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध, यथार्थवादी समय-सीमा निर्धारित करना शामिल है।

## उत्तर प्रदेश सामाजिक लेखा परीक्षा संगठन (UPSAS) का मूल्यांकन:

जहाँ सामाजिक लेखा-परीक्षणों ने पारदर्शिता और शिकायत निवारण में वृद्धि में योगदान दिया, वहीं अपर्याप्त वित्त पोषण, मानव संसाधन नीति में कमियाँ और प्रशासनिक निर्भरता जैसी संरचनात्मक

समस्याओं ने समग्र प्रभाव को सीमित कर दिया। सिफ़ारिशों में सामाजिक लेखा-परीक्षण इकाइयों के स्वतंत्र कामकाज को मज़बूत करने, स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, शिकायत निवारण कवरेज का विस्तार करने और क्षेत्रीय सुविधा मानदंडों को नियमित करने का आह्वान किया गया है।

## ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन:

एसआईआरडी और ईटीसी के प्रदर्शन मूल्यांकन से शासन, मानव संसाधन प्रबंधन और स्थिरता की प्रमुख कमज़ोरियों का पता चला। रणनीतिक सिफ़ारिशों में ग्रामीण विकास क्षमता निर्माण प्रणालियों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, विविध वित्तपोषण तंत्र, मज़बूत गुणवत्ता आश्वासन ढाँचे और मज़बूत आंतरिक शासन शामिल हैं।

## 3.4 कार्य अनुसंधान

समकालीन शोध परिणामों और तत्काल ध्यान देने योग्य वर्तमान मुद्दों/समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, एनआईआरडीपीआर क्रियात्मक अनुसंधान के लिए कई विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 2023-24 में जिन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया, उनमें पंचायती राज और स्वयं सहायता समूह तथा पंचायती राज संस्थाएँ शामिल हैं। 2023-24 में दो क्रियात्मक अनुसंधान अध्ययन किए गए, जिनमें से एक अध्ययन पूरा हो चुका है। अध्ययनों का विवरण **अनुबंध -IV** में प्रस्तुत किया गया है।

**100+ क्लस्टर विकास परियोजना पर कार्य अनुसंधान:** 11 राज्यों की 311 ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित इस परियोजना ने प्रदर्शित किया कि बार-बार प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सामुदायिक लामबंदी के माध्यम से संस्थागत सुदृढ़ीकरण ने ग्राम विकास कार्यक्रम (जीपीडीपी) की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है। राज्य सरकारों को स्वतंत्र रूप से क्लस्टर-आधारित ग्राम पंचायत क्षमता निर्माण मॉडल अपनाने चाहिए, जिसमें एनआईआरडीपीआर ज्ञान भागीदार और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करें। सार्थक जमीनी स्तर पर शासन परिवर्तन प्राप्त करने के लिए संस्थागत समर्थन और मार्गदर्शन को कई नियोजन चक्रों में निरंतर बनाए रखा जाना चाहिए। अधिक स्वामित्व और स्थिरता के लिए स्वेच्छिक, समुदाय-संचालित कार्यों को ग्राम विकास कार्यक्रम (जीपीडीपी) रणनीतियों में एकीकृत किया जाना चाहिए।

### 3.5 परामर्शी अध्ययन

एनआईआरडीपीआर सरकारी मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किए जाने वाले शोध और मूल्यांकन अध्ययनों के लिए एक पसंदीदा भागीदार बना हुआ है। इसके प्रमुख ग्राहकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), आरजीएसए के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर), कृषि मंत्रालय (उत्तराखंड सरकार), विभिन्न राज्यों (झारखंड और आंध्र प्रदेश सहित) के ग्रामीण विकास विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग (अरुणाचल प्रदेश), ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी (एसईआरपी), यूनिसेफ और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) शामिल हैं।

2023-24 में, संस्थान ने पिछले वर्षों में शुरू किए गए 12 चल रहे अध्ययनों के अलावा पाँच नए परामर्श अध्ययन किए। वर्ष के दौरान कुल पाँच परामर्श अध्ययन सफलतापूर्वक पूरे किए गए, जिनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों के विविध विषयों को शामिल किया गया, साथ ही एक अखिल भारतीय अध्ययन भी किया गया।

अध्ययनों का विवरण **अनुलग्नक-V-VII** में प्रस्तुत किया गया है। कुछ पूर्ण हो चुके परामर्श अध्ययनों के परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है।:

#### मनरेगा कार्यों का समय और गति अध्ययन

(छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आयोजित)

इस अध्ययन ने मनरेगा ढाँचे के अंतर्गत कई राज्यों में श्रम उत्पादकता दरों (दरों की अनुसूची - SoR) के आकलन को मानकीकृत किया। क्षेत्र-आधारित समय और गति आँकड़ों का उपयोग करते हुए, स्थानीय कृषि-पारिस्थितिक स्थितियों, मौसमी और मानव शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए नई दरें विकसित की गईं।

#### मुख्य विशिष्टताएं:

- राज्य-विशिष्ट एसओआर को वास्तविक कार्य निष्पादन दरों के

आधार पर संशोधित किया गया, जिससे ग्रामीण श्रमिकों के लिए उचित और सटीक वेतन गणना सुनिश्चित हुई।

- अलग-अलग वर्कर कैटेगरी (जैसे, बुजुर्ग वर्कर, महिला वर्कर) के लिए लेबर प्रोडक्टिविटी कोएफिशिएंट तय किए गए, जिससे मज़दूरी के आकलन में बराबरी बढ़ी।
- मानकीकृत पद्धति ने राज्यों में कार्य आउटपुट को परिभाषित करने में एकरूपता को बढ़ावा दिया, जिससे असमानताएं और विसंगतियां कम हुईं।

#### नीति सिफारिशें:

- राज्यों को आधिकारिक तौर पर बदले हुए SoRs को अपनाना चाहिए और उन्हें एमजीएनआरईजीएस प्रोजेक्ट के अनुमान और मज़दूरी के भुगतान के लिए इस्तेमाल होने वाले SECURE सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में जोड़ना चाहिए।
- लेबर परफॉर्मेंस कोएफिशिएंट बजटिंग और काम बांटने के प्रोसेस को गाइड कर सकते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और वर्कर सैटिस्फैक्शन में सुधार होता है।

#### झारखंड में मनरेगा परिसंपत्तियों का प्रभाव आकलन:

(2018-2021 के दौरान निर्मित श्रेणी बी और सी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन)

इस अध्ययन में झारखंड के 24 जिलों में लाभार्थियों की आजीविका पर मनरेगा-वित्त पोषित परिसंपत्तियों - जैसे वृक्षारोपण, मृदा नमी संरक्षण संरचनाएं और पशुधन आश्रय - के प्रभाव का आकलन किया गया।

#### मुख्य विशिष्टताएं:

- लाभार्थियों ने संपत्ति निर्माण के बाद भूमि उत्पादकता, सब्जी की खेती और घरेलू आय में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी।
- मृदा संरक्षण और जल संचयन परिसंपत्तियों ने कृषि लचीलापन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- महिला-मुखिया परिवारों ने कम परिसंपत्तियों तक पहुंच बनाई, जो परिसंपत्ति वितरण में लैंगिक अंतर को दर्शाता है।



### नीति सिफारिशें:

- संपत्ति की उपयोगिता को अनुकूलित करने के लिए एमजीएनआरईजीएस और कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे लाइन विभागों के बीच अभिसरण को मजबूत करना।
- एमजीएनआरईजीएस के तहत व्यापक अधिकारों और परिसंपत्ति रखरखाव प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करें।
- बनाई गई संपत्तियों के आजीविका प्रभावों को अधिकतम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज, पशुधन संग्रह बिंदु और बेहतर बाजार संपर्क जैसे सहायक बुनियादी ढांचे की शुरुआत करें।

### आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) प्रोजेक्ट्स का थर्ड-पार्टी इवैल्यूएशन

(2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रियांचित परियोजनाओं का मूल्यांकन)

इस स्वतंत्र मूल्यांकन में आरकेवीवाई योजना के तहत वित्त पोषित कृषि परियोजनाओं के प्रदर्शन और परिणामों की समीक्षा की गई, तथा उनकी प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया।

### मुख्य विशिष्टताएं:

- आरकेवीवाई के तहत समर्थित परियोजनाओं ने कई जिलों में फसल उत्पादकता में वृद्धि, बेहतर सिंचाई कवरेज और नवीन कृषि पद्धतियों को अपनाने में योगदान दिया।

- कई लाभार्थियों ने आरकेवीवाई हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप कृषि इनपुट, प्रशिक्षण और बाजार संपर्कों तक बेहतर पहुंच की सूचना दी।
- हालाँकि, कुछ मामलों में परिसंपत्तियों का कम उपयोग, परियोजना के बाद कमजोर समर्थन और धन वितरण में देरी जैसी चुनौतियाँ देखी गईं।

### नीति सिफारिशें:

- परियोजना के नतीजों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण और विस्तार सेवाओं सहित परियोजना के बाद सहायता तंत्र को मजबूत करना।
- कार्यकुशलता और प्रभाव में सुधार के लिए लाभार्थी चयन प्रक्रियाओं और परियोजना निगरानी ढांचे को बेहतर बनाना।
- आरकेवीवाई परियोजना के डिजाइन और कार्यान्वयन में किसान समूहों और समुदाय-आधारित संगठनों को शामिल करते हुए भागीदारी योजना को संस्थागत बनाना।

### निष्कर्ष :

2023-24 में एनआईआरडीपीआर की अनुसंधान और नीति समर्थन गतिविधियों ने साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, कार्यक्रम संबंधी नवाचारों और ग्रामीण शासन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने में योगदान दिया। आगे बढ़ते हुए, संस्थान एक सशक्त नीतिगत फोकस के साथ कार्य-उन्मुख अनुसंधान को प्राथमिकता देना जारी रखेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण विकास लक्ष्यों के अनुरूप बना रहे।

\*\*\*\*\*

## अध्याय - 4

# एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ

### 4.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) 2011 में एसजीएसवाई के पूर्ववर्ती "मितव्ययिता और ऋण दृष्टिकोण" से आगे बढ़कर एक "आजीविका दृष्टिकोण" के रूप में विकसित हुआ है। एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए स्थायी आजीविका संवर्द्धन के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने और वित्तीय एवं चुनिंदा सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी पहुँच में सुधार लाने हेतु कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एनआरएलएम ने गरीबों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले संस्थानों के निर्माण को सुगम बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर से लेकर उप-खंड स्तर तक एक समर्पित और संवेदनशील सहायता संरचना तैयार की है। एनआरएलएम की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- गरीबों का सार्वभौमिक सामाजिक एकीकरण और सामाजिक समावेश
- वित्तीय समावेशन
- सामुदायिक निधियाँ स्थायी संसाधन के रूप में
- आजीविका संवर्धन
- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)
- अभिसरण, साझेदारी और संबंध

एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ (एनआरएलएम आरसी), हैदराबाद की स्थापना 2013 में की गई थी, और एनआरएलएम आरसी गुवाहाटी की स्थापना 2015 में एनआरएलएम के अनुदान समर्थन से की गई थी। एनआरएलएम आरसी के मुख्य उद्देश्य हैं।

- एनआरएलएम संसाधन सेल से कार्यान्वयन सहायता की व्यवस्था करके एसआरएलएम की क्षमता निर्माण के माध्यम से डीएवाई-एनआरएलएम के कार्यान्वयन को मजबूत करना और
- आवश्यकतानुसार एनआरएलएम संसाधन सेल से सभी एसआरएलएम और ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रशिक्षित

राष्ट्रीय, राज्य, जिला और क्षेत्र संसाधन पेशेवरों के निरंतर प्रवाह की सुविधा प्रदान करना।

### 4.1.1. एनआरएलएम आरसी की मुख्य जिम्मेदारियाँ:

एसआरएलएम की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, अर्थात्, एनआरपी की तैनाती करके राज्यों में एसआरएलएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करके, एनआरएलएम आरसी नए प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री विकसित करने, निगरानी और मूल्यांकन अनुसंधान अध्ययन करने, डिजिटल उपकरण और वित्तीय अनुप्रयोग विकसित करने और सर्वोत्तम प्रथाओं और केस स्टडी सामग्री विकसित करने में भी एनएमएमयू का समर्थन करता है। एनआरएलएमआरसी की प्रमुख जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं:

- एसआरएलएम के नए भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करना
- विषयगत क्षेत्रवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में एसआरएलएम को सहायता
- ट्रेनिंग मॉड्यूल और ट्रेनिंग मटीरियल बनाने में एनआरएलएम को मदद
- एनआरपी और एनसीआरपी पूल का विकास और प्रभावी उपयोग
- एकीकृत कृषि क्लस्टरों और मूल्य श्रृंखला क्लस्टरों के विकास में एनआरईटीपी राज्यों को सहायता
- वित्तीय समावेशन, एसएचजी बैंक लिंकेज और डिजिटल वित्त में एसआरएलएम को सहायता
- सर्वोत्तम प्रथाओं और केस स्टडीज़ के दस्तावेज़ीकरण में एनआरएलएम को सहायता।

### 4.2. साल 2023-24 के दौरान कार्यक्रम की उपलब्धियाँ

2023-24 में, एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ ने उल्लेखनीय

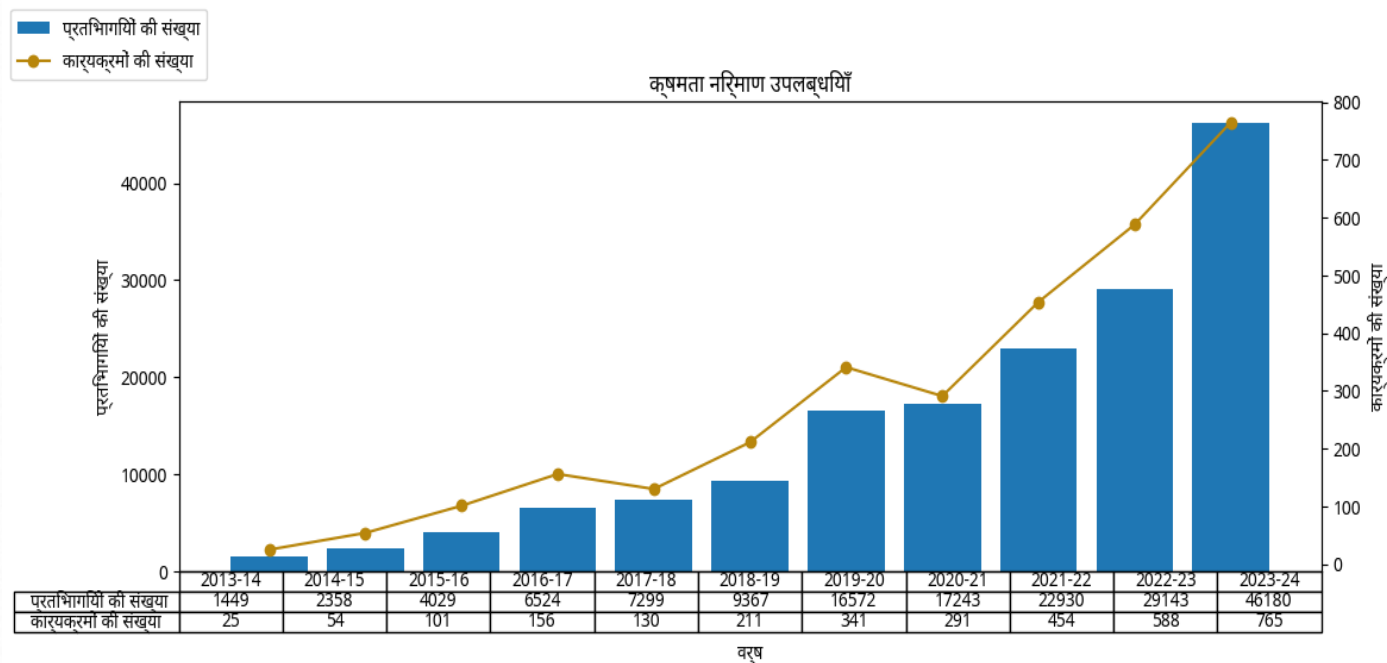


765 कार्यक्रम आयोजित किए, जो पिछले वर्ष के प्रभावशाली कुल 589 कार्यक्रमों से कहीं अधिक है। यह 36% वृद्धि ग्रामीण भारत में अपनी पहुँच और प्रभाव का विस्तार करने के लिए एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रभावशाली प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल प्रदान करने के लिए एनआरएलएम संसाधन प्रकोष्ठ का समर्पण प्रतिभागियों की संख्या में 72% की वृद्धि से और भी स्पष्ट होता है। पूरे वर्ष में कुल 46180 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, अर्थात् प्रत्येक कार्य दिवस में औसतन 168 प्रतिभागियों को प्रबंधित किया गया।

यह उल्लेखनीय वृद्धि एनआरएलएम आरसी की व्यापक दर्शकों को प्रभावी ढंग से जोड़ने और उन्हें डीएवाई-एनआरएलएम और ग्रामीण विकास मंत्रालय के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु

आवश्यक क्षमता-निर्माण आवश्यकताओं के साथ सशक्त बनाने की क्षमता को दर्शाती है। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एनआरएलएम आरसी के नेतृत्व में सीबी पहल में लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालाँकि, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे बड़े राज्यों में पहुँच और क्षमता-निर्माण की पहल कम रही है।

एनआरएलएम-आरसी की संचयी प्रगति, इसकी स्थापना से 31 मार्च, 2024 तक आयोजित कार्यक्रमों और प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या को कवर करते हुए वर्ष-वार क्षमता निर्माण उपलब्धियों को दर्शाती है, नीचे चित्र में प्रस्तुत की गई है।



### एनआरएलएम संसाधन सेल की संचयी प्रगति (जून 2013—मार्च 2024)

#### 4.3 वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यक्रम के महत्वपूर्ण विषय

अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक डीएवाई-एनआरएलएम आरसी द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण विषयवार प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं इस प्रकार हैं।:

#### क. संस्थान निर्माण और क्षमता निर्माण (आईबीसीबी)

i. एसआरएलएम के नए भर्ती हुए स्टाफ के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम:

- ii. विज़निंग मॉड्यूल की डेमोंस्ट्रेशन ट्रेनिंग:
- iii. एमसीएलएफ – बिज़नेस डेवलपमेंट, एचआर, गवर्नेंस और एएपी पर ट्रेनिंग
- iv. सीबीओ बुक्स और रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिट ट्रेनिंग
- v. ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिकारियों का डोमेन कॉम्पिटेंसी प्रोग्राम।



- vi. पीआरआई-सीबीओ कन्वर्जेंस पर राइटशॉप
- vii. सीबीओ लेवल पर ग्रेडिंग सिस्टम की स्थापना पर ToT
- viii. सब-कमेटी पर टीओटी:
- ix. पीआरआई-सीबीओ कन्वर्जेंस के लिए मास्टर ट्रेनर्स के लिए मॉड्यूल तैयार करने पर नेशनल लेवल पर राइट-शॉप।
- x. विज्ञान-बिल्डिंग ट्रेनिंग और विज्ञान डॉक्यूमेंट्स बनाने में एसआरएलएम को सपोर्ट करना।
- xi. बीडीपी बनाने और एएपी शुरू करने में एसआरएलएम को हैंड-होल्डिंग सपोर्ट।
- xii. सीएलएफ के इसके तहत रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कोऑपरेटिव एक्ट के बाय-लॉज़ बनाना।

#### ख. सामाजिक समावेशन और सामाजिक विकास (एसआईएसडी)

- i. जेंडर कॉन्सेप्ट और इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी को मेनस्ट्रीम करने पर ट्रेनिंग डीएवाई -एनआरएलएम के त

- ii. हत एफएनएचडब्ल्यू को मेनस्ट्रीम करने और एफएनएचडब्ल्यू इंटरवेंशन को इंटीग्रेट करने पर ट्रेनिंग
- iii. डीएवाई -एनआरएलएम के तहत सोशल इनक्लूजन इंटरवेंशन को मेनस्ट्रीम करने पर ट्रेनिंग प्रोग्राम

#### ग. वित्तीय समावेशन

- i. बैंक अधिकारियों और राज्य के अधिकारियों के लिए वित्तीय समावेशन के तहत ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कम एक्सपोजर विजिट
- ii. एसएचजी बैंक लिंकेज और एंटरप्राइज फाइनेंसिंग पर जिला-स्तरीय बैंकर्स ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम
- iii. डीएवाई -एनआरएलएम फाइनेंशियल इनक्लूजन पर स्टाफ ओरिएंटेशन कम रिफ्रेशर ट्रेनिंग पर टीओटी
- iv. बैंक सखी कैडर के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग
- v. डुअल ऑथेंटिकेशन एक्टिवेशन प्रोसेस पर ओरिएंटेशन कम फील्ड सपोर्ट

#### विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की झलकियाँ





## घ) कृषि आजीविका

- खेती से जुड़ी आजीविका पर समवेसन और ओरिएंटेशन।
- राज्य स्रोत व्यक्ति और समुदाय स्रोत व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण
- एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिस।
- प्रोड्यूसर ग्रुप और प्रोड्यूसर एंटरप्राइज।
- इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर।
- उप क्षेत्र

## ड. गैर-कृषि आजीविका

- महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के ग्रामीण उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं विपणन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- सीआरपी के लिए पीएमएफएमई के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम।
- पहचाने गए मास्टर ट्रेनरों (एनआरपी) एवं सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के लिए "लखपति दीदी" पहल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- गैर-कृषि आजीविका के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों के लिए व्यवसाय विकास योजना/ डीपीआर तैयार करने पर प्रशिक्षण।
- गैर-कृषि आजीविका के अंतर्गत स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- कृषि एवं गैर-कृषि आजीविका के अंतर्गत नव-नियुक्त कर्मचारियों के लिए अभिमुखीकरण (इंडक्शन) प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) के सहयोग से गैर-कृषि आजीविका के अंतर्गत पत्तल निर्माण पर प्रशिक्षण।

## च. एमआईएस

- एसआरएलएम अधिकारियों एवं सामुदायिक ई-बुककीपर्स के लिए लोकओएस (LokOS) एप्लिकेशन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- लोकओएस के सफल उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु, एनआरएलएम आरसी द्वारा एसआरएलएम अधिकारियों एवं सामुदायिक ई-बुककीपर्स के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो इसके प्रमुख उपयोगकर्ता हैं।

## 4.2. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य उपलब्धियां और असरदार पहल

क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अलावा, एनआरएलएमआरसी ने एनएमएमयू और 17 एसआरएलएम को प्रस्ताव तैयार करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, स्कोपिंग अध्ययन और प्रस्तावों के मूल्यांकन, विशेष रूप से जैविक विपणन, पशुधन, मूल्य श्रृंखला विकास, उत्पादक समूहों और उत्पादक उद्यम, एकीकृत कृषि समूहों और उप-क्षेत्रों पर, में भी सहायता प्रदान की है। एनआरएलएमआरसी ने अंडमान और निकोबार एसआरएलएम में कृषि आजीविका के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रथाओं के दस्तावेजीकरण में सहायता प्रदान की है। 2023-24 में डीएवाई-एनआरएलएम आरसी की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

- एमआईएस थीम के अंतर्गत 37 नए एनसीआरपी के पैनल में शामिल किए जाने के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में लोकओएस एप्लिकेशन के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान किया गया।
- सभी राज्यों में "लखपति दीदी" पहल के क्रियान्वयन हेतु एनएमएमयू को सहयोग प्रदान किया गया।
- बीओ ग्रेडिंग पर राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से 16 राज्यों को प्रभावी रूप से ग्रेडिंग अभ्यास संचालित करने में सहायता प्रदान की गई।
- एमओआरडी एवं एमओपीआर के संयुक्त सहयोग से पीआरआई-सीबीओ अभिसरण हेतु मॉड्यूल तैयार करने पर राइट-शॉप का आयोजन किया गया।
- पंजाब एसआरएलएम को राज्य के सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण हेतु सीएलएफ के उपनियम तैयार करने में सहयोग प्रदान किया गया।
- 350 कृषि सखी/ पशु सखी को कृषि-पारिस्थितिक पद्धतियों एवं पशुधन प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- कृषि एवं गैर-कृषि आजीविका के अंतर्गत सफलता की कहानियों के दस्तावेजीकरण हेतु अंडमान एवं निकोबार एसआरएलएम को सहयोग प्रदान किया गया।
- एमआईएस विषयगत क्षेत्र में नए एनसीआरपी का पैनल में शामिल किया गया।





वर्ष 2023-24 में डीएवाई-एनआरएलएम आरसी की कुछ प्रभावशाली पहलें निम्नलिखित हैं।

- **लखपति दीदी पहल का राष्ट्रीय विस्तार:** लखपति दीदी पहल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया गया तथा राज्य-स्तरीय प्रशिक्षकों के लिए लखपति दीदी पर प्रशिक्षण आरंभ किया गया।
- **सखी (LoKOS) एप्लिकेशन विकास:** अद्यतन सखी (LoKOS) एप्लिकेशन के विभिन्न मॉड्यूलों के फील्ड परीक्षण में एनएमएमयू को सहयोग प्रदान किया गया, ताकि इसकी कार्यक्षमता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।
- **एमआईएस विषयगत विशेषज्ञता:** पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एनसीआरपी को पैनल में शामिल कर एमआईएस थीम में संसाधन अंतराल को पूरा किया गया।
- **वित्तीय समावेशन कैडर नीति:** मेघालय के साथ सहयोग करते हुए समर्पित वित्तीय समावेशन कैडर हेतु राज्य-विशिष्ट नीति के विकास में सहयोग प्रदान किया गया।
- **सिक्किम हेतु सामाजिक समावेशन रणनीति:** दिव्यांगजनों (PwDs) एवं वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य संचालन रणनीति को अंतिम रूप देने में सिक्किम एसआरएलएम को सहयोग प्रदान किया गया।
- पीआरआई-सीबीओ अभिसरण पर राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- राज्य स्तर पर लैंगिक समानता एवं एफएनएचडब्ल्यू (एफएनएचडब्ल्यू) रणनीतियों को सुदृढ़ किया गया।
- आरसेटीआई (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) निदेशकों को उन्नत नेतृत्व कौशल से सशक्त किया गया।
- चारों एनआरओ राज्यों में लोकओएस हेतु मास्टर ट्रेनरों का एक समूह (पूल) विकसित किया गया।
- सफल कृषि आजीविका हस्तक्षेपों के दस्तावेजीकरण में एनएमएमयू एवं अंडमान एवं निकोबार एसआरएलएम को सहयोग प्रदान किया गया।
- शहद एवं मधुमक्खी पालन, मिलेट्स (श्री अन्न), मसाले, बैकयाई पोल्ट्री एवं पशुधन, तथा सहजन (मोरिंगा) की खेती जैसे महत्वपूर्ण उप-क्षेत्रों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को उनके ग्रामीण उत्पादों की प्रभावी ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं विपणन पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- हैदराबाद स्थित एनआईआरडीपीआर में आयोजित कृषि एवं गैर-कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों को व्यावहारिक अभिमुखीकरण एवं प्रत्यक्ष प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने हेतु कुछ सफल उद्यमों/संस्थाओं को एक्सपोज़र विजिट स्थलों के रूप में चयनित किया गया। (फॉरेस्ट कॉलेज, डीओपीआर, पीजेटीएसएयू, एलीप एवं एग्री घर सर्विसेज प्रा. लि.)
- जेंडर मॉड्यूल के सत्रह उप-विषयों तथा चार जेंडर प्रशिक्षण सत्र योजनाओं का अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद किया गया।
- एनएमएमयू-एमओआरडी के सहयोग से गुवाहाटी में सात राज्यों के लिए सीबीओ ग्रेडिंग प्रणाली की स्थापना पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया तथा फील्ड परीक्षण प्रक्रिया के दौरान मेघालय एसआरएलएम के अंतर्गत नौ सीबीओ का ग्रेडिंग किया गया।

\*\*\*\*\*



## अध्याय - 5

# नवोन्मेषी कौशल और आजीविका

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) देश के वंचित ग्रामीण युवाओं के लिए प्लेसमेंट से जुड़ा एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा परियोजना मोड में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। डीडीयूजीकेवाई ग्रामीण युवाओं को देश या विदेश में करियर में उन्नति के अवसर प्रदान करते हुए एक अच्छी नौकरी के लिए तैयार करने हेतु विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने में विश्वास रखता है।

एनआईआरडीपीआर के कौशल एवं रोजगार केंद्र में डीडीयू-जीकेवाई प्रकोष्ठ, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़ी मुख्य गतिविधियों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। एक सीटीएसए के रूप में, एनआईआरडीपीआर देश के 17 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।

एनआईआरडीपीआर का डीडीयू-जीकेवाई प्रकोष्ठ, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़ी मुख्य गतिविधियों के संचालन के लिए उत्तरदायी है। एनआईआरडीपीआर, सीटीएसए के रूप में विभिन्न गतिविधियाँ संचालित करता है, जिनमें निगरानी और मूल्यांकन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, तथा सुदृढ़ एमआईएस का विकास और रखरखाव शामिल है। इसके अलावा, एनआईआरडीपीआर, डीडीयू-जीकेवाई के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन संगठन (एनआरओ) भी है। एनआईआरडीपीआर के डीडीयू-जीकेवाई संसाधन प्रकोष्ठ की गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है।

एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई की एम एवं ई टीम की गतिविधियों के बारे में कुछ प्रमुख प्रदर्शन आंकड़े निम्नलिखित अनुभागों में विस्तृत रूप से दिए गए हैं।

### 5.1 मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन क्रियाकलाप

निगरानी और मूल्यांकन (एम एवं ई) कार्यक्रम और नीतिगत प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे माहौल में जहाँ परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक प्रभावी निगरानी व्यवस्था के माध्यम से निरंतर निगरानी यह सत्यापित कर सकती है कि गतिविधियाँ योजना के अनुसार और कुशलतापूर्वक की जा रही हैं या नहीं। एक उपयुक्त निगरानी प्रणाली, नीति निर्माताओं को वांछित परिणाम प्राप्त करने में उनके कार्यक्रमों के समग्र प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन प्रणालियों से जानकारी भी प्रदान करती है।

एनआईआरडीपीआर में डीडीयू-जीकेवाई प्रकोष्ठ की एम एवं ई टीम, डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के सीटीएसए की मुख्य गतिविधियों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। एक सीटीएसए के रूप में, एनआईआरडीपीआर, हिमायत (जम्मू-कश्मीर में) और देश के बाकी हिस्सों में डीडीयू-जीकेवाई के बैनर तले 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। सीटीएसए की भूमिका में, एनआईआरडी मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है।

- प्रत्येक सक्रिय प्रशिक्षण केंद्र का वर्ष में कम से कम 3 निरीक्षण
- राज्यों/ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के साथ परियोजनाओं की प्रदर्शन समीक्षा
- हितधारकों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) की ओर से एसआरएलएम/एसडीएम से आवश्यक डेटा/सूचना एकत्र करना
- प्रदर्शन/अप्रदर्शन तथा सुधार के क्षेत्रों को राज्य को रेखांकित करना और आवश्यक होने पर एमओआरडी को अवगत कराना
- क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों एवं सीएक्सओ मीट्स में भाग लेना
- देशभर के सभी हितधारकों के लिए ईआरपी (कौशल भारत) का

क्रियान्वयन एवं हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करना

- एनआईआरडीपीआर द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर राज्यों एवं एमओआरडी को अनुपालनहीनता रिपोर्ट प्रदान करना
- राज्यों को त्रैमासिक आधार पर प्रदर्शन रिपोर्ट प्रदान करना

इसके अतिरिक्त, एनआईआरडीपीआर, एनआरओ के रूप में निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित करता है:

- कार्यान्वयन में कमियों का विश्लेषण कर राज्यों को सहयोग प्रदान करना तथा अपनाए जाने वाले समाधान की अनुशंसा करना
- अनुसंधान एवं मूल्यांकन
- राज्यों में नवाचार/पायलट परियोजनाएँ
- एसओपी का उन्नयन

वर्ष 2023-24 के दौरान इन क्षेत्रों में टीम की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत है:

1. किए गए प्रशिक्षण केंद्रों के निरीक्षण – 1624
2. भौतिक प्लेसमेंट सत्यापन – 2676
3. एम एवं ई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या – 41
4. राज्य/पीआईए प्रदर्शन समीक्षा बैठकों में भागीदारी/आयोजन – 161

**5.1.1. प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण:** एसओपी और डीडीयूजीकेवाई गाइडलाइंस के अनुसार, हर एक्टिव ट्रेनिंग सेंटर को साल में तीन बार सभी एक्टिव बैच को कवर करते हुए वेरिफाई किया जाना है।

तालिका 5.1: प्रशिक्षण केंद्रों के किए गए निरीक्षण एवं जारी परामर्श (अप्रैल 2023 – मार्च 2024)

| राज्य/यूटी                   | सीटीएसए निरीक्षण आयोजित | परामर्श                  |                          |     |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
|                              |                         | सीटीएसए द्वारा उठाया गया | पीआईए द्वारा हल किया गया | %   |
| अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 10                      | 16                       | 10                       | 62% |
| आंध्र प्रदेश                 | 288                     | 1810                     | 1480                     | 82% |
| असम                          | 116                     | 1313                     | 617                      | 47% |
| बिहार                        | 108                     | 686                      | 410                      | 59% |
| गुजरात                       | 49                      | 300                      | 251                      | 84% |
| हरियाणा                      | 86                      | 1078                     | 814                      | 76% |
| जम्मू और कश्मीर              | 43                      | 2270                     | 1125                     | 50% |
| झारखंड                       | 118                     | 1077                     | 775                      | 69% |
| कर्नाटक                      | 59                      | 490                      | 410                      | 84% |
| केरल                         | 129                     | 1087                     | 914                      | 84% |
| मेघालय                       | 23                      | 247                      | 82                       | 33% |
| मणिपुर                       | 7                       | 97                       | 37                       | 38% |
| पंजाब                        | 127                     | 750                      | 612                      | 82% |
| पुडुचेरी                     | 15                      | 55                       | 40                       | 73% |
| राजस्थान                     | 102                     | 951                      | 746                      | 78% |
| सिक्किम                      | 22                      | 205                      | 142                      | 69% |
| तमिलनाडु                     | 227                     | 2367                     | 2018                     | 85% |
| तेलंगाना                     | 0                       | 0                        | 0                        | 0%  |
| त्रिपुरा                     | 30                      | 431                      | 330                      | 77% |
| पश्चिम बंगाल                 | 65                      | 1122                     | 662                      | 59% |
| कुल                          | 1624                    | 16352                    | 11475                    | 64% |



वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1624 निरीक्षण किए गए और परियोजना अधिकारियों द्वारा 16352 गैर-अनुपालन और परामर्श जारी किए गए, जिनमें से 11,475 (या 64%) का समाधान पीआईए द्वारा किया गया और कई अन्य बंद होने की प्रक्रिया में हैं। सीटीएसए की सलाह पर, एसआरएलएम द्वारा प्रशिक्षण केंद्र चलाने और डीडीयूजीकेवाई के कार्यान्वयन के दौरान दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले गैर-अनुपालन पीआईए को अलर्ट, कारण बताओ नोटिस और दंड जारी किए गए।

**5.12 प्लेसमेंट सत्यापन:** दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान, टीम द्वारा 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 2676 प्लेसमेंट नमूनों का सत्यापन किया गया है। राजस्थान (723), बिहार (243), केरल (234), पंजाब (230), तमिलनाडु (188), झारखंड (182), असम (146) और हरियाणा (102) में 100 से अधिक नमूनों का सत्यापन किया गया है। अधिकांश उम्मीदवार हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और कोयंबटूर जैसे चार महानगरों में कार्यरत हैं। नमूनों के सत्यापन में औसतन 9-10 दिन लगते हैं।

तालिका 5.2: अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच किए गए नमूना प्लेसमेंट सत्यापनों की संख्या

| राज्य/यूटी                  | (एनआईआईपीआर सैंपल) के लिए प्लेसमेंट सत्यापन |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 11                                          |
| आंध्र प्रदेश                | 80                                          |
| असम                         | 146                                         |
| बिहार                       | 243                                         |
| छत्तीसगढ़                   | 0                                           |
| गुजरात                      | 84                                          |
| हरियाणा                     | 102                                         |
| जम्मू और कश्मीर             | 0                                           |
| झारखंड                      | 183                                         |
| कर्नाटक                     | 36                                          |
| केरल                        | 234                                         |
| महाराष्ट्र                  | 0                                           |
| मणिपुर                      | 18                                          |
| मेघालय                      | 86                                          |
| ओडिशा                       | 0                                           |
| पंजाब                       | 230                                         |
| पुडुचेरी                    | 13                                          |
| राजस्थान                    | 723                                         |
| सिक्किम                     | 42                                          |
| तमिलनाडु                    | 188                                         |
| तेलंगाना                    | 99                                          |
| त्रिपुरा                    | 28                                          |
| पश्चिम बंगाल                | 88                                          |
| एसआरएलएम सैंपल्स            | 42                                          |
| कुल                         | 2676                                        |

**5.13 निष्पादन समीक्षाओं में भागीदारी:** परियोजना अधिकारी एसआरएलएम द्वारा आयोजित मासिक/त्रैमासिक पीआईए निष्पादन समीक्षा बैठक में भाग लेते हैं और कार्यक्रम की बेहतरी के लिए अपने अवलोकन और सुझाव/सलाह साझा करते हैं। सीटीएसए मुख्यालय

की टीम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एसआरएलएम की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में भाग लेती है, इसके अलावा मूल्यांकन, प्लेसमेंट, कौशल भारत पोर्टल में अद्यतनीकरण और डेटा माइग्रेशन से संबंधित विषयों पर भी समीक्षा बैठकें होती हैं।

तालिका 5.3: अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच आयोजित/भाग ली गई पीआईए (PIA) प्रदर्शन समीक्षा बैठकों की संख्या

| राज्य/यूटी                  | आयोजित/भाग ली गई पीआईए प्रदर्शन समीक्षा बैठकों की संख्या |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 3                                                        |
| आंध्र प्रदेश                | 30                                                       |
| असम                         | 7                                                        |
| बिहार                       | 10                                                       |
| गुजरात                      | 10                                                       |
| हरियाणा                     | 10                                                       |
| झारखंड                      | 7                                                        |
| जम्मू और कश्मीर             | 8                                                        |
| कर्नाटक                     | 12                                                       |
| केरल                        | 8                                                        |
| मेघालय                      | 4                                                        |
| मणिपुर                      | 2                                                        |
| पंजाब                       | 9                                                        |
| राजस्थान                    | 8                                                        |
| सिक्किम                     | 5                                                        |
| तमिलनाडु                    | 12                                                       |
| तेलंगाना                    | 0                                                        |
| त्रिपुरा                    | 8                                                        |
| पश्चिम बंगाल                | 5                                                        |
| पुडुचेरी                    | 3                                                        |
| कुल                         | 161                                                      |

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीटीएसए टीम ने कुल 161 समीक्षा बैठकों में भाग लिया और यदि आवश्यक हुआ तो एसओपी, कार्यक्रम दिशानिर्देशों और ग्रामीण विकास अधिसूचनाओं के विभिन्न पहलुओं पर क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रूप में सहायता प्रदान की।

**5.14 कैप्चि रोजगार हेतु मानक संचालन प्रक्रिया:** डीडीयूजीकेवाई संसाधन प्रकोष्ठ ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कैप्चि रोजगार हेतु

मानक प्रपत्र और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय का सहयोग किया। संसाधन प्रकोष्ठ की एम एवं ई टीम ने कौशल भारत पोर्टल के कैप्चि रोजगार मॉड्यूल के परीक्षण में ग्रामीण विकास मंत्रालय का सहयोग किया।

**5.15 ट्रेसर अध्ययन:** डीडीयूजीकेवाई संसाधन प्रकोष्ठ ने ट्रेसर अध्ययन के दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए कौशल कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन किया। अध्ययन के एक भाग के रूप में, आंध्र प्रदेश (25),



बिहार (25), जम्मू और कश्मीर (25) और केरल (25) राज्यों से प्रशिक्षण और नियुक्ति के बाद एक वर्ष का रोजगार पूरा करने वाले 100 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया और उनके अनुभवों को केस स्टडी प्रारूप का उपयोग करके दर्ज किया गया। कौशल प्रशिक्षण के बाद उम्मीदवारों ने औसतन 3.3 वर्ष तक काम किया और उनकी आय 24% बढ़कर प्रति वर्ष 12,000 रुपये प्रति माह से 18,000 रुपये प्रति माह हो गई। उम्मीदवारों ने अपने करियर को आकार देने में प्रशिक्षकों और सॉफ्टस्किल प्रशिक्षण की भूमिका के बारे में बताया। कार्यक्रम की पैरवी का सबसे आम तरीका मौखिक प्रचार था।

**5.15 सीईओ सम्मेलन:** 31 जनवरी 2024 को इंडिया हैबिटेड सेंटर, नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एनआईआरडीपीआर द्वारा डीडीयूजीकेवाई के लिए एसआरएलएम/एसएसडीएम के सीईओ/सीओओ और एसएमडी का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डीजी एनआईआरडीपीआर ने की और संयुक्त सचिव (कौशल) द्वारा इसका संचालन किया गया और इसमें एसआरएलएम/एसएसडीएम के सीईओ/सीओओ और एसएमडी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी, डीडीयूजीकेवाई संसाधन प्रकोष्ठ और आरएसईटीआई की टीम ने भाग लिया। सम्मेलन का विषय "2.0 के लिए तैयारी" था और एक दिवसीय बैठक का एजेंडा था (i) डीडीयू-जीकेवाई 1.0 से प्रमुख सीखों पर आत्मनिरीक्षण; (ii) डीडीयू-जीकेवाई 2.0 पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अभिविन्यास, (iii) डीडीयू-जीकेवाई 2.0 की रूपरेखा पर रणनीतिक दृष्टि और (iv) डीडीयू-जीकेवाई 2.0 को लागू करने के लिए विचार-विमर्श और कार्य योजना बनाना। डीडीयूजीकेवाई 1.0 से प्राप्त प्रमुख सीखों पर चर्चा की गई, जिसके बाद डीडीयूजीकेवाई 2.0 के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की गई तथा डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना बनाई गई, जिसे वित्त वर्ष 2024-25 में लागू किया जाएगा।

**5.16 डीडीयू-जीकेवाई हेतु ऑनलाइन जॉब पोर्टल:** प्रशिक्षित उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करने में पीआईए का समर्थन करने के लिए, वर्ष के दौरान 'रोज़गार मंच' नामक एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल विकसित किया गया था। रोज़गार मंच राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एवं पीआर) द्वारा डीडीयूजीकेवाई योजना के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक निःशुल्क मंच है। एनआईआरडी एवं पीआर पोर्टल प्रबंधन के माध्यम से पूरी तरह से एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करता है, और संबंधित नियोक्ता सीधे वेबसाइट पर सूचीबद्ध रिक्तियों को प्रदान करते हैं। 'रोज़गार मंच' पर सूचीबद्ध रिक्तियों को नियोक्ताओं द्वारा अधिसूचित किया जाता है जो उपलब्ध नौकरियों की संख्या, न्यूनतम योग्यता, नौकरी का स्थान, वेतन और भत्ते आदि के साथ नौकरी की आवश्यकताएं प्रदान करते हैं। वर्ष के दौरान कुल 4000 से अधिक नौकरियों के साथ 16 कंपनियों/संगठनों से कुल 52 नौकरी भूमिकाएं ऑनलाइन जॉब पोर्टल में अपलोड की गईं।

## 5.2 प्रशिक्षण एवं विकास

एनआईआरडीपीआर स्थित डीडीयू-जीकेवाई आरसी का प्रशिक्षण एवं विकास प्रभाग, डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण संबंधी गतिविधियाँ संचालित करता है। इस कार्य के अंतर्गत, प्रभाग ने डीडीयू-जीकेवाई के विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ आयोजित की हैं। इन गतिविधियों ने वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के सुचारु संचालन में मदद की है।

नीचे दी गई तालिका वित्तीय वर्ष के दौरान संचालित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और उसके आउटरीच का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करती है।

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| कुल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित      | 58                  |
| कुल प्रतिभागी                               | 2286                |
| भाग लेने वाले राज्यों की संख्या             | 30 (2221 प्रतिभागी) |
| भाग लेने वाले केंद्र शासित प्रदेश की संख्या | 2 (65 प्रतिभागी)    |

तालिका 5.4 में पूरे साल आयोजित उपर्युक्त कार्यक्रमों में राज्य-वार सहभागिता का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

| तालिका:5.4 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार सहभागिता |                        |              |               |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| राज्य                                             | प्रतिभागियों की संख्या | राज्य        | कुल प्रतिभागी |
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह                     | 20                     | मणिपुर       | 95            |
| आंध्र प्रदेश                                      | 29                     | मेघालय       | 16            |
| अरुणाचल प्रदेश                                    | 13                     | मिजोरम       | 35            |
| असम                                               | 82                     | नागालैंड     | 82            |
| बिहार                                             | 65                     | ओडिशा        | 34            |
| छत्तीसगढ़                                         | 18                     | पुडुचेरी     | 6             |
| दिल्ली                                            | 59                     | पंजाब        | 20            |
| गुजरात                                            | 27                     | राजस्थान     | 44            |
| हरियाणा                                           | 183                    | सिक्किम      | 31            |
| हिमाचल प्रदेश                                     | 28                     | तमिलनाडु     | 120           |
| जम्मू और कश्मीर                                   | 75                     | तेलंगाना     | 137           |
| झारखंड                                            | 62                     | त्रिपुरा     | 48            |
| कर्नाटक                                           | 56                     | उत्तर प्रदेश | 133           |
| केरल                                              | 173                    | उत्तराखंड    | 6             |
| मध्य प्रदेश                                       | 47                     | पश्चिम बंगाल | 364           |
| महाराष्ट्र                                        | 32                     | अन्य*        | 146           |

तालिका 5.5 में आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजित कार्यक्रमों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या तथा लक्षित संक्षिप्त विवरण, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रत्येक विषय पर समूह से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

| तालिका:5.5- आयोजित कार्यक्रमों का विवरण |                                                                            |                       |                        |                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| क्र.सं.                                 | कार्यक्रम का शीर्षक                                                        | कार्यक्रमों की संख्या | प्रतिभागियों की संख्या | श्रोता                               |
| 1                                       | डीडीयू-जीकेवाई में प्लेसमेंट प्रक्रिया                                     | 9                     | 381                    | एसआरएलएम, पीआईए                      |
| 2                                       | कौशल भारत मॉड्यूल                                                          | 8                     | 321                    | पीआईए, एसआरएलएम                      |
| 3                                       | डीडीयू-जीकेवाई में वित्तीय प्रक्रिया एवं पीएफएमएस                          | 7                     | 177                    | पीआईए, एसआरएलएम                      |
| 4                                       | डीडीयू-जीकेवाई में परियोजना समापन प्रक्रिया                                | 6                     | 433                    | एसआरएलएम, पीआईए                      |
| 5                                       | डीडीयू-जीकेवाई / अतिरिक्त लक्ष्यों पर अधिकारियों हेतु अभिमुखीकरण कार्यक्रम | 6                     | 287                    | एसआरएलएम                             |
| 6                                       | डीडीयू-जीकेवाई में गुणवत्ता प्रबंधन                                        | 5                     | 154                    | पीआईए                                |
| 7                                       | डीडीयू-जीकेवाई में केंद्र प्रबंधन                                          | 4                     | 123                    | पीआईए                                |
| 8                                       | डीडीयू-जीकेवाई में मूल्यांकन एवं प्रमाणन प्रक्रिया                         | 3                     | 97                     | एसआरएलएम, पीआईए                      |
| 9                                       | प्रशिक्षण आईटी प्लेटफॉर्म ई-एसओपी                                          | 3                     | 130                    | पीआईए                                |
| 10                                      | उचित परिश्रम एवं निरीक्षण                                                  | 2                     | 54                     | एसआरएलएम, पीआईए                      |
| 11                                      | पेस पाठ्यक्रम नेविगेशन                                                     | 2                     | 48                     | पीआईए प्रशिक्षक                      |
| 12                                      | रोजगार मंच मास्टर क्लास                                                    | 1                     | 33                     | संभावित नियोक्ता, एसआरएलएम एवं पीआईए |
| 13                                      | डीडीयू-जीकेवाई की कॉफी टेबल बुक पर लेखन कार्यशाला                          | 1                     | 31                     | एसआरएलएम एवं सीटीएसए                 |



### 5.3 डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम एवं डीडीयू-जीकेवाई एम एवं ई टीम में कार्यरत एसआरएलएम के वरिष्ठ एवं मध्यम-स्तरीय अधिकारियों हेतु प्रबंधन विकास कार्यक्रम

सीपीजीएस और डीई के सहयोग से, डीडीयू-जीकेवाई पारिस्थितिकी

तंत्र में कार्यरत अधिकारियों के कौशल उन्नयन हेतु वर्ष के दौरान प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान आयोजित एमडीपी कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

| तालिका-3: आयोजित एमडीपी का विवरण |                                                                                                        |                       |                        |                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्र. सं.                         | कार्यक्रम का शीर्षक                                                                                    | कार्यक्रमों की संख्या | प्रतिभागियों की संख्या | श्रोता                                                                                                                       |
| 1                                | डीडीयू-जीकेवाई में कार्यरत एसआरएलएम के वरिष्ठ एवं मध्यम-स्तरीय अधिकारियों हेतु प्रबंधन विकास कार्यक्रम | 2                     | 30                     | मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, झारखंड, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश से डीडीयू-जीकेवाई के एसआरएलएम के वरिष्ठ एवं मध्यम-स्तरीय अधिकारी |
| 2                                | डीडीयू-जीकेवाई के एम एवं ई टीम हेतु प्रबंधन विकास कार्यक्रम                                            | 1                     | 24                     | डीडीयू-जीकेवाई की एम एवं ई टीम                                                                                               |

डीडीयू-जीकेवाई संसाधन प्रकोष्ठ ने सीपीजीएस एवं डीई के सहयोग से वित्तीय वर्ष के दौरान दो पाँच-दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए। इन प्रबंधन विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम में कार्यरत कर्मियों के सामूहिक प्रबंधकीय विकास को प्रेरित करना था। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों और एम एवं ई टीम ने एमडीपी कार्यक्रम से लाभ उठाया। इन एमडीपी में शामिल प्रमुख विषय निम्नलिखित थे:

- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का रणनीतिक प्रबंधन
- लैंगिक संवेदनशीलता
- नेतृत्व उत्कृष्टता और पारस्परिक प्रभावशीलता

- डेटा विश्लेषण और बिग डेटा का विश्लेषण
- डिजिटल मीडिया अनुप्रयोग
- मनोसामाजिक मुद्दे और कार्य-जीवन संतुलन
- कौशल विकास कार्यक्रमों में केस स्टडी और अच्छे अभ्यास
- ट्रांसजेंडर के प्रति संवेदनशीलता
- डीडीयूजीकेवाई कार्यक्रम का विपणन
- टीम निर्माण और संघर्ष प्रबंधन
- कमजोर और कमजोर समूहों से निपटने की रणनीतियाँ
- अच्छे कौशल विकास मॉड्यूल का अभ्यास करने वाली कंपनियों का क्षेत्रीय दौरा

### एमडीपी कार्यक्रम की झलकियाँ



Contd...





5.4 एसआरएलएम को उनके क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए एनआईआईआरडीपीआर संसाधन व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति करके सहायता प्रदान करना

डीडीयू-जीकेवाई ने एसआरएलएम द्वारा अपने स्तर पर

आयोजित प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं के लिए संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति करके एसआरएलएम को आवश्यक सहायता प्रदान की है। वित्त वर्ष 23-24 के दौरान राज्य को संसाधन कर्मियों के माध्यम से प्रदान की गई सहायता का संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

तालिका-4: डीडीयू-जीकेवाई संसाधन व्यक्ति द्वारा समर्थित राज्य कार्यक्रमों का विवरण

| क्र.सं. | विषय                                              | कार्यक्रमों की संख्या | प्रतिभागियों की संख्या | कार्यक्रम आयोजित करने वाले राज्य                                                |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | कौशल भारत मॉड्यूल                                 | 12                    | 425                    | हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सिक्किम, असम, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना |
| 2       | डीडीयू-जीकेवाई में गुणवत्ता प्रबंधन               | 3                     | 157                    | गुजरात, सिक्किम, हरियाणा                                                        |
| 3       | डीडीयू-जीकेवाई में वित्तीय प्रक्रिया एवं पीएफएमएस | 2                     | 59                     | गुजरात                                                                          |
| 4       | काउंसलिंग प्रमाणन कार्यशाला                       | 1                     | 70                     | त्रिपुरा                                                                        |
| 5       | डीडीयू-जीकेवाई में परियोजना समापन प्रक्रिया       | 1                     | 37                     | मणिपुर                                                                          |
| 6       | इयू डिलिजेंस एवं निरीक्षण                         | 1                     | 34                     | गुजरात                                                                          |
| 7       | डीडीयू-जीकेवाई में केंद्र प्रबंधन                 | 1                     | 32                     | हरियाणा                                                                         |



### 5.5 डीडीयू-जीकेवाई में सॉफ्टस्किल्स और अंग्रेजी पाठ्यक्रम पर अनुभवजन्य अध्ययन की सत्यापन कार्यशाला

डीडीयू-जीकेवाई संसाधन प्रकोष्ठ ने वित्त वर्ष 22-23 में डीडीयू-जीकेवाई में अंग्रेजी और सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम की अवधि पर एक अनुभवजन्य अध्ययन किया। अध्ययन बाहरी विशेषज्ञों द्वारा किया गया था, और अध्ययन के निष्कर्षों को मान्य करने के लिए 9 जुलाई 2023 को डीडीयू-जीकेवाई (एसआरएलएम, पीआईए) के विषय विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में, बाहरी विषय विशेषज्ञ - डॉ. अनीश के (सॉफ्ट

स्किल के लिए) और सुश्री सौम्या सुंदरम (अंग्रेजी के लिए) ने एसआरएलएम, पीआईए और ग्रामीण विकास अधिकारियों के प्रतिनिधियों के समक्ष अपने अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए। इस कार्यशाला में, एसआरएलएम, पीआईए और ग्रामीण विकास के अधिकारियों ने विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन पर अपने इनपुट प्रदान किए। उनके इनपुट को विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन में शामिल किया गया, और अंतिम मसौदा मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। कार्यशाला में कुल 17 एसआरएलएम/पीआईए/ग्रामीण विकास अधिकारियों ने भाग लिया।

#### सत्यापन कार्यशाला की झलकियाँ



### 5.6. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) परियोजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की आरएसईटीआई परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी की समस्या, कृषि मजदूरों का अल्प-रोजगार और ग्रामीण आबादी का शहरी केंद्रों की ओर पलायन जैसी कई सामाजिक-आर्थिक समस्याओं

को कम करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का विजन और मिशन प्रत्येक जिले में एक आरएसईटीआई भवन का निर्माण करना है, जो ग्रामीण बेरोजगार बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) युवाओं को उच्च-गुणवत्ता वाला कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेगा, ताकि वे स्थानीय बैंकों से ऋण लिंकेज की सहायता से स्व-रोजगार उद्यम शुरू करके उद्यमी बन सकें।

एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के तहत आरएसईटीआई बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। एनआईआरडीपीआर को आरएसईटीआई को प्रायोजित करने वाले विभिन्न बैंकों से अनुदान सहायता अनुरोध प्रस्ताव प्राप्त करने और संसाधित करने, ग्रामीण विकास मंत्रालय को मंजूरी के लिए प्रस्तावों की सिफारिश करने, मंत्रालय की मंजूरी को बैंकों तक पहुंचाने और आरएसईटीआई भवनों के निर्माण के लिए प्रायोजक बैंकों को धनराशि जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। एनआईआरडीपीआर भवन निर्माण के लिए भूमि का निर्विवाद कब्जा पाने में आरएसईटीआई का मार्गदर्शन करता है, जिला या राज्य प्राधिकरणों द्वारा भूमि आवंटन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने में आरएसईटीआई प्रायोजक बैंकों की मदद करता है और भवन निर्माण के लिए विभिन्न मंजूरी या अनुमोदन प्राप्त करने में भी मदद करता है। आरएसईटीआई परियोजना प्रभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों और एसओपी के अनुसार आरएसईटीआई भवनों के निर्माण को पूरा करने में प्रायोजक बैंकों का मार्गदर्शन करता है।

### 5.6.1 31.03.2024 तक उपलब्धियों की प्रगति

31.03.2024 तक, देश में विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित 601 आरएसईटीआई कार्यरत हैं। एनआईआरडीपीआर ने देश भर में स्थित 498 आरएसईटीआई को कुल मिलाकर 388.30 करोड़ रुपये का बुनियादी ढांचा अनुदान जारी किया है। 350 जिलों में आरएसईटीआई भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। 38 जिलों में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 15 आरएसईटीआई का निर्माण पूरा किया गया। आरएसईटीआई का निर्माण 18 जिलों में शुरू हुआ, जैसे तमिलनाडु में थेनी और तिरुपुर, तेलंगाना में सिद्दीपेट, त्रिपुरा में धलाई, दक्षिण त्रिपुरा और कुमारघाट, उत्तर प्रदेश में बरेली, अमरोहा और आजमगढ़, बिहार में गया और नवादा, गुजरात में नर्मदा, केरल में अलाप्पुझा, महाराष्ट्र में अकोला, बुलढाणा, धुले और नांदेड़ और राजस्थान में सवाई माधापुर।

\*\*\*\*\*



## अध्याय - 6

# शैक्षणिक कार्यक्रम

एनआईआरडी एवं पीआर ने देश में ग्रामीण विकास प्रबंधन पेशेवरों की एक नई पीढ़ी तैयार करने के उद्देश्य से शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। संस्थान ने 2008 में ग्रामीण विकास प्रबंधन में एक वर्षीय आवासीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम) शुरू किया। वर्ष 2010 में, संस्थान ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत करके अपनी पेशकशों का विस्तार किया, जिसकी शुरुआत सतत ग्रामीण विकास में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडी-एसआरडी) से हुई। इसके बाद 2012 में जनजातीय विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडी-टीडीएम) और अगस्त 2014 में ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडी-जीएआरडी) की शुरुआत की गई, जो सभी एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित हैं। इसके बाद, संस्थान को प्रबंधन-ग्रामीण प्रबंधन (पीजीडीएम-आरएम) में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करने के लिए 2018 में एआईसीटीई की मंजूरी मिली। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018 में, संस्थान ने पंचायती राज शासन और ग्रामीण विकास (डीपी-पीआरजीआरडी) पर डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू करने के लिए हैदराबाद विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया।

### 6.1 नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम

#### 6.1.1 ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरडीएम) कार्यक्रम

31 छात्रों वाले पीजीडीआरडीएम कार्यक्रम का 20वां बैच, जो अगस्त 2022 में शुरू हुआ था, जुलाई 2023 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ। सभी छात्रों को एआईएसईसीटी, एपीआरवाईएसएस, डालमिया फाउंडेशन, आईसीआईसीआई फाउंडेशन, एमपी-एसआरएलएम, राजस्थान-एसआरएलएम और उत्तराखंड एसआरएलएम जैसे ग्रामीण विकास संगठनों में सफलतापूर्वक नियुक्त किया गया है।

एक वर्षीय पीजीडीआरडीएम का 21वां बैच अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ, जिसमें कुल 24 छात्रों ने नामांकन लिया। छात्रों का चयन समूह चर्चा और उसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया गया। ये छात्र भारत के विभिन्न भागों से हैं, अर्थात् मध्य भारत से 8, दक्षिण भारत से 7, पूर्वी भारत से 7 और उत्तरी भारत से 2। 31 मार्च, 2024 तक, पहली दो तिमाही पूरी हो चुकी हैं और तीसरी/अंतिम तिमाही सितंबर 2024 तक पूरी हो जाएगी।

#### 6.1.2 प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा - ग्रामीण प्रबंधन (पीजीडीएम-आरएम) कार्यक्रम

अगस्त 2021 में शुरू हुए पीजीडीएम-आरएम के चौथे बैच में 18 छात्र शामिल थे, जिन्होंने जून 2023 में सफलतापूर्वक कार्यक्रम पूरा कर लिया। सभी छात्रों को प्रतिष्ठित ग्रामीण विकास संगठनों जैसे बीएआईएफ, आईसीआईसीआई फाउंडेशन, एमपी-एसआरएलएम, ओडिशा आजीविका मिशन में नियुक्त किया गया है।

अगस्त 2022 में शुरू हुए पीजीडीएम-आरएम के पाँचवें बैच में 20 छात्र अपनी छठी तिमाही का प्रोजेक्ट कार्य जारी रखे हुए हैं। सभी छात्रों को ग्रांट थॉर्टन, सॉलिडेरिडाड, बीएआईएफ, दृष्टि, एनआरएलएम, सर्वग्राम और उत्तराखंड एसआरएलएम जैसे प्रतिष्ठित ग्रामीण विकास संगठनों में नियुक्त किया गया है।

पीजीडीएम-आरएम का छठा बैच अक्टूबर 2023 से 12 छात्रों के साथ शुरू हुआ। छात्रों का चयन भारत के विभिन्न भागों से किया गया था, अर्थात् मध्य भारत से 1, दक्षिण भारत से 5 और पूर्वी भारत से 6। 31 मार्च 2024 तक, छात्र द्वितीय तिमाही के पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

## क. पीजीडी-आरडीएम और पीजीडीएम-आरएम कार्यक्रमों के लिए ग्रामीण संगठनात्मक इंटरनशिप

ग्रामीण समाज की मूलभूत समस्याओं और उसकी गतिशीलता पर छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए, फरवरी 2024 में पीजीडीआरडीएम बैच-21 और पीजीडीएम-आरएम बैच-6 के छात्रों के लिए आठ सप्ताह की अवधि की एक ग्रामीण संगठनात्मक इंटरनशिप का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय संलग्नक घटक संस्थानों, संगठनात्मक संरचनाओं, संगठनात्मक संस्कृति, प्रबंधन प्रणालियों, मानव संसाधन विकास, वित्त, उत्पादन प्रक्रियाओं, विपणन, मूल्य संवर्धन आदि पर केंद्रित है।

यह क्षेत्रीय कार्य आईसीआईसीआई फाउंडेशन, यूपीएसआरएलएम, छत्तीसगढ़ एसआरएलएम, एनआईआरडीपीआर-डीडीयूजीकेवाई, तेलंगाना सोशल ऑडिट, कुडुम्बश्री, यूपीएसआरएलएम, एसईआरपी तेलंगाना, एनडीडीबी-एमआरआईडीए, ग्रांट थॉर्टन, हरियाणा एसआरएलएम, राजस्थान एसआरएलएम, एनआईआरडीपीआर-आरटीपी, आरवाईएसएस, एनसीवीईटी और सोलिडारिडाड के संगठनात्मक सहयोग से किया गया।

## ख. बैच-20 पीजीडीआरडीएम कार्यक्रम का कैम्पस प्लेसमेंट

संस्थान को पीजीडीआरडीएम कार्यक्रम के बैच 20 के छात्रों के लिए 100 प्रतिशत प्लेसमेंट का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने अगस्त 2023 में संस्थान से स्नातक किया। सभी 24 छात्रों को निम्नलिखित आठ संगठनों में प्लेसमेंट प्रदान किया गया: एआईएसईसीटी, एपी-आरवाईएसएस, डालमिया फाउंडेशन, आईसीआईसीआई फाउंडेशन, एमपी-एसआरएलएम, राजस्थान-एसआरएलएम और उत्तराखंड - एसआरएलएम।

## ग. पीजीडीएम-आरएम - बैच-5 कार्यक्रम का कैम्पस प्लेसमेंट

संस्थान पीजीडीएम-आरएम बैच-5 कार्यक्रम के छात्रों के लिए 100 प्रतिशत प्लेसमेंट का श्रेय लेता है, जिन्होंने अगस्त 2023 में संस्थान से स्नातक किया। बीआईएफ, डीआरआईएसटीईई, ग्रांट थॉर्टन, एनआरएलएम, सर्वग्राम, सोलिडारिडाड और उत्तराखंड एसआरएलएम के सभी छात्रों को प्लेसमेंट प्रदान किया गया।

## 6.2 दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

### 6.2.1 सतत ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएसआरडी)

एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित 18 महीने का पीजीडीएसआरडी बैच-15 कार्यक्रम (दूरस्थ माध्यम) नवंबर 2023 में 88 छात्रों के नामांकन के साथ शुरू हुआ। प्रथम सेमेस्टर की संपर्क कक्षाएं 9 से 12 जनवरी 2024 तक आयोजित की गईं। वर्तमान में, छात्र अपना पहला सेमेस्टर जारी रख रहे हैं और परीक्षाएं अप्रैल 2024 में निर्धारित हैं।

### 6.2.2 सतत ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएसआरडी)

एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित 18 महीने का पीजीडीटीडीएम बैच -12 नवंबर 2023 में 19 छात्रों के नामांकन के साथ शुरू हुआ। संपर्क कक्षाएं 9 से 12 जनवरी 2024 तक आयोजित की गईं।

वर्तमान में, छात्र प्रथम सेमेस्टर की पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, और परीक्षाएं अप्रैल 2024 के लिए निर्धारित हैं।

### 6.2.3 ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीजीएआरडी)

एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित 18 महीने का पीजीडीगार्ड बैच-8 नवंबर 2023 में शुरू हुआ और वर्तमान में 66 छात्रों के नामांकन के साथ चल रहा है। संपर्क कक्षाएं 22 से 30 जनवरी 2024 तक संचालित की गईं। वर्तमान में, छात्र पहले सेमेस्टर की पढ़ाई जारी रखे हुए हैं और परीक्षाएं अप्रैल 2024 में निर्धारित हैं।

### 6.2.4 पंचायत राज शासन एवं ग्रामीण विकास पर डिप्लोमा कार्यक्रम (डीपी-पीआरजीआरडी)

डीपी-पीआरजीआरडी बैच-5 कार्यक्रम एक वर्षीय कार्यक्रम नवंबर 2023 में 27 छात्रों के नामांकन के साथ शुरू हुआ। संपर्क कक्षाएं 17-19 जनवरी 2024 तक आयोजित की गईं। छात्र पहले सेमेस्टर की पढ़ाई जारी रखेंगे और परीक्षाएं अप्रैल 2024 में निर्धारित हैं।





### 6.3 नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों का दीक्षांत समारोह

नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों का दीक्षांत समारोह 29 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। भारत सरकार की ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, माननीय साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई, भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, प्रो. एम. जगदीश कुमार ने विशिष्ट अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई और

एनआईआरडी एवं पीआर के महानिदेशक, डॉ. जी. नरेंद्र कुमार ने समारोह की अध्यक्षता की। दीक्षांत समारोह में पीजीडीआरडीएम और पीजीडीएम-आरएम कार्यक्रमों के 197 छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किए गए। सभी बैचों के शीर्ष तीन मेधावी छात्रों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेवाकालीन छात्रों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सेवाकालीन पुरस्कार के महानिदेशक पदक से सम्मानित किया गया।

\*\*\*\*\*

# अध्याय - 7 प्रशासन

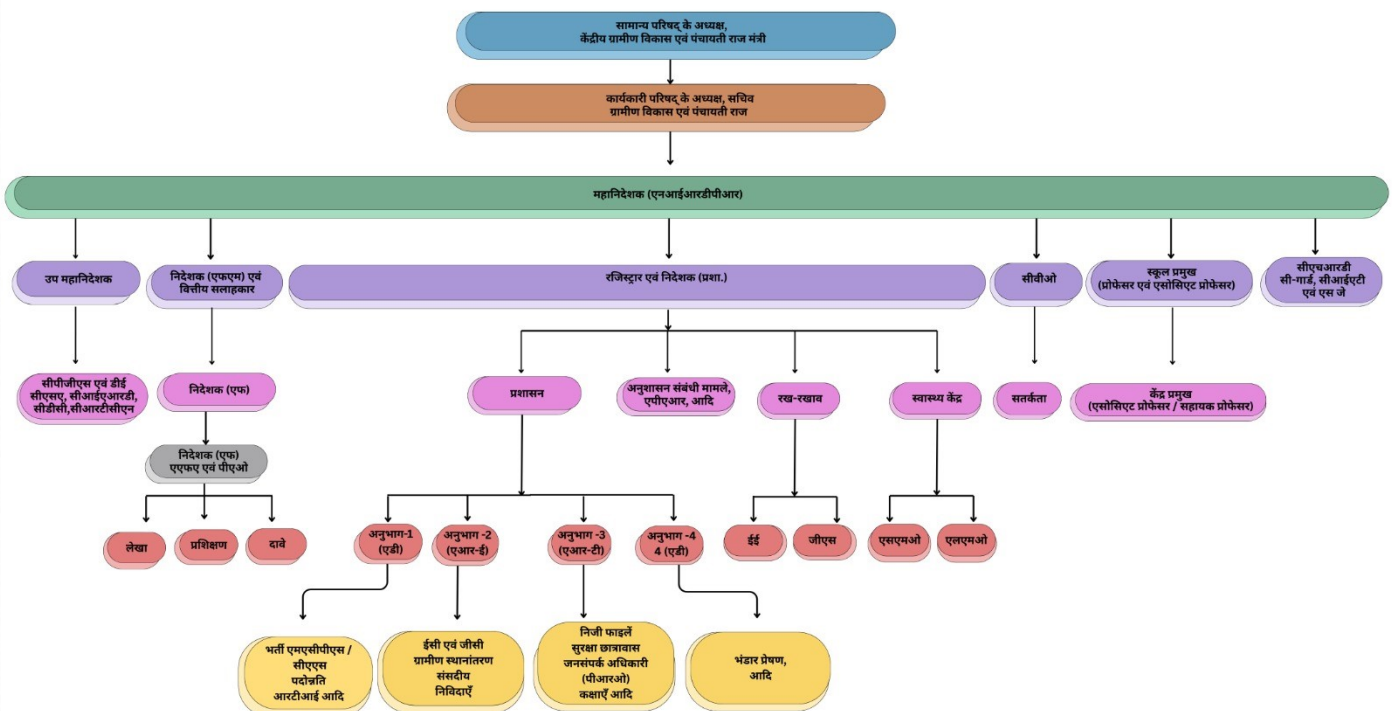
## 7.1 प्रशासन

एनआईआरडीपीआर का प्रशासनिक प्रभाग संस्थान के प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियों तथा इसके दैनिक कार्यों से संबंधित सभी मामलों में संकाय सदस्यों को सहयोग और सुविधा प्रदान करता है। संस्थान की अपनी सामान्य परिषद, कार्यकारी परिषद और शैक्षणिक परिषद हैं जो क्रमशः नीति, कार्यान्वयन और शैक्षणिक मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। संस्थान की नीतियाँ और रणनीतियाँ मोटे तौर पर सामान्य परिषद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सामान्य परिषद के अध्यक्ष हैं। संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन कार्यकारी परिषद के अधीन है, जिसके अध्यक्ष ग्रामीण विकास सचिव और सदस्य सचिव महानिदेशक हैं।

संस्थान का नेतृत्व महानिदेशक द्वारा किया जाता है, जो अखिल भारतीय सेवाओं के एक अधिकारी होते हैं तथा भारत सरकार में सचिव के पद के समकक्ष होते हैं। महानिदेशक संस्थान के प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं और वे कार्यकारी परिषद के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। महानिदेशक, उप-महानिदेशक, निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) एवं वित्तीय सलाहकार तथा कुलसचिव एवं निदेशक (प्रशासन) को सहायक कुलसचिव (स्थापना एवं प्रशिक्षण), सहायक वित्तीय सलाहकार एवं वेतन एवं लेखा अधिकारी, सहायक निदेशक आदि का सहयोग प्राप्त होता है।

संगठनात्मक संरचना को निम्नलिखित चार्ट में प्रदर्शित किया गया है:

चार्ट 1: संगठनात्मक ढांचा





## सामान्य परिषद

महापरिषद की अध्यक्षता भारत सरकार के माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा की जाती है। यह विभाग में भारत सरकार के संघ के ज्ञापन, नियमों और निर्देशों के प्रावधानों का पालन करने, संस्थान के मामलों के कुशल प्रबंधन और प्रशासन के लिए सामान्य नियंत्रण रखने और निर्देश जारी करने, कार्यकारी परिषद के सदस्यों को नामित करने आदि के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2023-24 के लिए 31 मार्च, 2024 तक महापरिषद का गठन **अनुबंध-VIII** में दिया गया है।

## कार्यकारी परिषद

भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष हैं। संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन कार्यकारी परिषद की ज़िम्मेदारी है, जो सामान्य नियंत्रण और सामान्य परिषद द्वारा जारी निर्देशों के अधीन है। वर्ष 2023-24 के लिए कार्यकारी परिषद का गठन 31 मार्च, 2024 तक **अनुबंध-IX** में दिया गया है।

## अकादमिक परिषद्

शैक्षणिक परिषद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण से संबंधित मामलों को देखती है, जिसमें संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए वार्षिक कैलेंडर को अंतिम रूप देना भी शामिल है। शैक्षणिक परिषद की संरचना **अनुलग्नक-X** में दी गई है।

## एनआईआरडीपीआर के कार्यात्मक केंद्र

ग्रामीण विकास हेतु क्षमता निर्माण की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए, संस्थान के पास सात (7) स्कूल हैं और 18 केंद्र हैं जो समग्र ग्रामीण विकास के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, संस्थान में तीन व्यावसायिक सहायता केंद्र भी हैं: विकास प्रलेखन एवं संचार केंद्र (दस्तावेजीकरण एवं प्रकाशन संबंधी मामलों को संभालने के लिए); सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केंद्र (आईटी समाधान प्रदान करने और आईटी अवसंरचना के रखरखाव के लिए); और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण समन्वय एवं नेटवर्किंग केंद्र (शोध एवं प्रशिक्षण समन्वय एवं नेटवर्किंग केंद्र), जो अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों के समन्वय, विभिन्न राज्य-स्तरीय संस्थानों के साथ साझेदारी और नेटवर्किंग के लिए उत्तरदायी है।

तालिका 7.1 : एनआईआरडीपीआर के स्कूल और केंद्र के विद्यालय एवं केंद्र

| क्र.सं. | स्कूल                                   | स्कूल के अंतर्गत केंद्र                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | विकास अध्ययन एवं सामाजिक न्याय          | मानव संसाधन विकास केन्द्र (सीएचआरडी)<br>लैंगिक अध्ययन एवं विकास केन्द्र (सीजीएसडी)<br>समानता एवं सामाजिक विकास केन्द्र (सीईएसडी)<br>कृषि अध्ययन केन्द्र (सीएसएस)<br>स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केन्द्र (सीपीजीएस एवं डीई)                                                             |
| 2       | ग्रामीण आजीविका एवं अवसंरचना            | वेतन रोजगार एवं आजीविका केन्द्र (सीडब्ल्यूई एवं एल)<br>ग्रामीण अवसंरचना केन्द्र (सीआरआई)<br>उद्यमिता विकास एवं वित्तीय समावेशन केन्द्र (सीईडी एवं एफआई)                                                                                                                                         |
| 3       | सतत विकास                               | प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा न्यूनीकरण केन्द्र (सीएनआरएम, सीसी एवं डीएम)                                                                                                                                                                                                  |
| 4       | लोक नीति एवं सुशासन                     | योजना, निगरानी एवं मूल्यांकन केन्द्र (सीपीएमई)<br>कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, सार्वजनिक-निजी भागीदारी एवं जन कार्यवाई केन्द्र (सीसी, पीपीपी एवं पीए)<br>सुशासन एवं नीति विश्लेषण केन्द्र (सीजीजी एवं पीए)<br>ग्रामीण विपणन एवं ग्रामीण उत्पाद, उद्यम एवं विकास संवर्धन केन्द्र (सीआरएमपीआरपीईडी) |
| 5       | स्थानीय शासन                            | पंचायती राज, विकेन्द्रीकृत योजना एवं सामाजिक सेवा प्रदायगी केन्द्र (सीपीआरडीपी एवं एसएसडी)                                                                                                                                                                                                      |
| 6       | विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान प्रणाली | ग्रामीण विकास में भू-सूचना अनुप्रयोग केन्द्र (सीजीएआरडी)<br>कौशल एवं रोजगार हेतु नवाचार एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीआईएटी एवं एसजे)                                                                                                                                                     |
| 7       | उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता             | सामाजिक लेखा परीक्षा केन्द्र (सीएसए)<br>ग्रामीण विकास में आंतरिक लेखा परीक्षा केन्द्र (सीआईएआरडी)                                                                                                                                                                                               |
|         | व्यावसायिक सहयोग केन्द्र                | विकास प्रलेखन एवं संचार केन्द्र (सीडीसी)<br>सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीआईसीटी)<br>अनुसंधान एवं प्रशिक्षण समन्वय एवं नेटवर्किंग केन्द्र (सीआरटीसीएन)                                                                                                                                |

## सामान्य प्रशासन

महानिदेशक, संस्थान के प्रधान कार्यकारी अधिकारी, संस्थान के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं और कार्यकारी परिषद के निर्देश और मार्गदर्शन के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

संस्थान का प्रशासन समन्वय, वैधानिक बैठकों के संचालन, स्थापना और कार्मिक प्रबंधन, अतिथि गृहों के प्रबंधन, परिसर,

सहायता सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और कर्मचारियों के कल्याण के लिए जिम्मेदार है।

## वैधानिक बैठकें

वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित की गई वैधानिक बैठकें निम्नलिखित हैं:

| बैठक                   | दिनांक     | स्थान              |
|------------------------|------------|--------------------|
| 137वीं कार्यकारी परिषद | 15.06.2023 | हाइब्रिड माध्यम से |
| 138वीं कार्यकारी परिषद | 16.10.2023 | हाइब्रिड माध्यम से |
| 139वीं कार्यकारी परिषद | 17.01.2024 | हाइब्रिड माध्यम से |

## कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतिक्रिया) अधिनियम, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुसार, संस्थान में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्ष एक वरिष्ठ महिला संकाय सदस्य हैं। इस अवधि के दौरान, यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

## सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

संस्थान ने सूचना प्रदान करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने हेतु कदम उठाए हैं। एनआईआरडीपीआर वेबसाइट, आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अनिवार्य प्रकटीकरणों का विवरण प्रदान करती है। संस्थान में आरटीआई आवेदकों द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए एक नामित अपीलीय प्राधिकारी, एक जन सूचना

अधिकारी, एक सहायक जन सूचना अधिकारी और एक पारदर्शिता अधिकारी हैं और उनके नाम भी एनआईआरडीपीआर वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं। संस्थान के गुवाहाटी स्थित उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र (एनईआरसी) और एनआईआरडीपीआर की दिल्ली शाखा के लिए एक अलग अपीलीय प्राधिकारी और जन सूचना अधिकारी भी हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, विभिन्न मुद्दों पर 404 आरटीआई आवेदन और 16 अपीलें प्राप्त हुईं और उनका निपटारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया। आरटीआई आवेदन मुख्यतः परियोजनाओं, शैक्षिक कार्यक्रमों, सेवा मामलों, न्यायालयीन मामलों, भर्ती, प्रकाशनों और अपीलों आदि से संबंधित थे।

## कार्मिक विवरण

शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की कुल संख्या तालिका 7.2 में दी गई है।

| तालिका 7.2: शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की जनशक्ति |                      |                        |                         |             |            |                       |                           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| I.                                                        | शैक्षणिक पद          |                        |                         |             |            |                       |                           |
| श्रेणी                                                    | अनुसूचित जाति<br>(1) | अनुसूचित जनजाति<br>(2) | अन्य पिछड़ा वर्ग<br>(3) | अन्य<br>(4) | कुल<br>(5) | भूतपूर्व सैनिक<br>(6) | कुल संख्या में से महिलाएँ |
| समूह-ए                                                    | 6                    | 2                      | 13                      | 24          | 45         | -                     | 14                        |
| समूह-बी                                                   | 1                    | -                      | -                       | 1           | 2          | -                     | -                         |
| कुल                                                       | 7                    | 2                      | 13                      | 25          | 47         | -                     | 14                        |

जारी...



| II.                        | अशैक्षणिक पद         |                        |                         |             |            |                       |                           |
|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| श्रेणी                     | अनुसूचित जाति<br>(1) | अनुसूचित जनजाति<br>(2) | अन्य पिछड़ा वर्ग<br>(3) | अन्य<br>(4) | कुल<br>(5) | भूतपूर्व सैनिक<br>(6) | कुल संख्या में से महिलाएँ |
| समूह-ए                     | 4                    | 1                      | -                       | 7           | 12         | -                     | 3                         |
| समूह-बी                    | 11                   | 4                      | 10                      | 19          | 44         | -                     | 15                        |
| समूह-सी                    | 7                    | 4                      | 26                      | 37          | 74         | 1                     | 17                        |
| समूह-सी<br>(पुनर्वर्गीकृत) | 26                   | 5                      | 12                      | 19          | 62         | 1                     | 12                        |
| कुल                        | 48                   | 14                     | 48                      | 83          | 192        | 2                     | 47                        |
| कुल योग                    |                      |                        |                         |             | 239        |                       |                           |

बड़ी संख्या में ग्रुप सी और पुनर्वर्गीकृत ग्रुप-सी कर्मचारियों को संस्थान की परोपकारी निधि से बहुत कम ब्याज दरों पर अपने बच्चों की उच्च शिक्षा/विवाह के लिए ऋण स्वीकृत करने जैसे लाभ दिए गए।

अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान, वरिष्ठ अध्येताओं की नियुक्ति स्थायी आधार पर की गई। संस्थान समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए अस्थायी कर्मचारियों की भी भर्ती करता है।

### वर्ष 2023-24 में संस्थान द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

संस्थान हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाता है। मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल जैसी कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं। अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में, संस्थान उन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को भी सुविधा प्रदान करता है जो संस्थान के विभिन्न केंद्रों के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा हैं। महात्मा गांधी, डॉ. बी.आर. अंबेडकर आदि की जयंती जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी एनआईआरडीपीआर के कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ मनाते हैं। संस्थान में 2 अक्टूबर, 2023 को गांधी जयंती मनाई गई।

### 7.2 प्रलेखन एवं संचार

संस्थान में एक व्यावसायिक सहायता केंद्र है जिसे विकास प्रलेखन और संचार केंद्र (सीडीसी) के रूप में जाना जाता है जिसमें

पांच उप-प्रभाग हैं- प्रलेखन, पुस्तकालय, प्रकाशन, राजभाषा और ऑडियो-विजुअल। संस्थान के अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों और विकास समुदाय के अन्य सदस्यों को सूचना सहायता प्रदान करने के लिए, सीडीसी ग्रामीण विकास साहित्य की पहचान, संग्रह और दस्तावेजीकरण करने और व्यावहारिक और व्यापक प्रसार के लिए इसका दस्तावेजीकरण करने में लगा हुआ है। ग्रामीण विकास और संबद्ध पहलुओं पर पुस्तकों, पत्रिकाओं, गैर-पुस्तक संग्रह सीडी / डीवीडी, ई-पुस्तकों और ई-डेटाबेस जैसे प्रिंट और गैर-प्रिंट संस्करणों के रूप में सूचना संसाधनों का एक समृद्ध संग्रह एनआईआरडीपीआर को मजबूत करने और सूचना प्रसारित करने के लिए मजबूत सूचना भंडार का गठन करने के लिए वर्षों से एकत्र किया गया है। संस्थान विभिन्न प्रकाशन लाता है और हितधारकों को ग्रामीण विकास पर जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के लिए सूचना सेवाएं प्रदान करता है।

### 7.2.1 पुस्तकालय

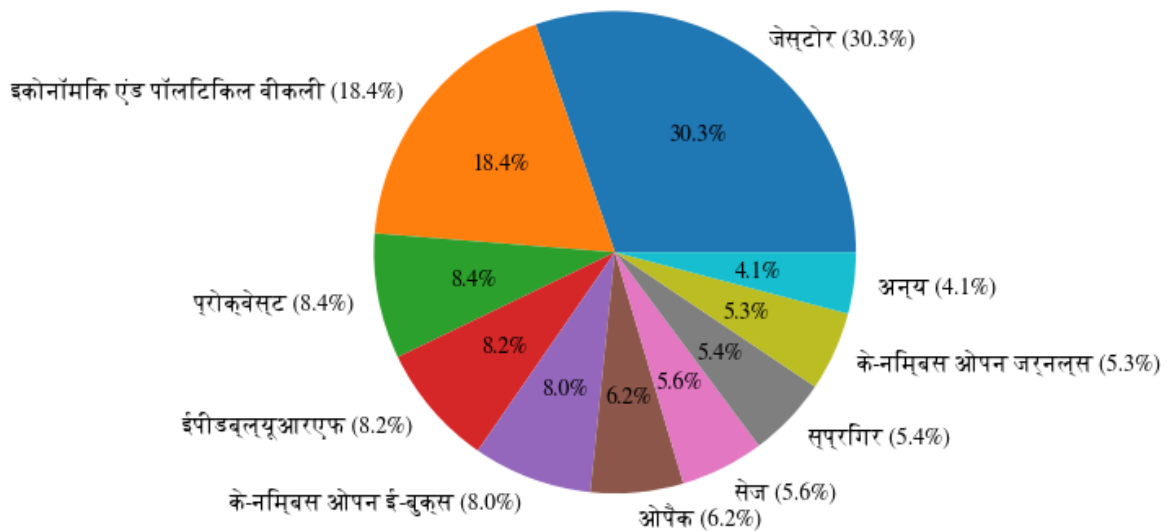
वित्तीय वर्ष 2023-24 में, संस्थान ने अपने संग्रह में हिंदी सहित 445 नई पुस्तकें जोड़ीं। सीडीसी का कुल संग्रह अब 115458 पुस्तकों का हो गया है। इसके अतिरिक्त, संस्थान प्रतिभागियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी पुस्तकों का एक अलग संग्रह भी रखता है, और आवश्यकता और माँग के अनुसार इस अनुभाग को नियमित रूप से अद्यतन करता रहता है।

## ई-संसाधन

2023-24 के दौरान, विभिन्न प्रकाशकों के साथ पुस्तकालय का जुड़ाव विविध और मजबूत था। 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए शीर्ष प्रकाशकों की रिपोर्ट के अनुसार, JSTOR सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले संसाधन के रूप में उभरा, जिसका कुल उपयोग में 30.3% हिस्सा था। इसके बाद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का स्थान था, जिसने 18.4% उपयोग का

प्रतिनिधित्व किया। अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों में प्रोक्वेस्ट (8.4%), ईपीडब्ल्यूआरएफ (8.2%), और निम्बस ओपन ई-बुक्स (8.0%) शामिल थे। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (ओपीएसी) का योगदान 6.2% था, जबकि सेज और स्प्रिंगर ने क्रमशः 5.6% और 5.4% का योगदान दिया। निम्बस ओपन जर्नल्स की भी 5.3% के साथ उल्लेखनीय उपस्थिति थी।

शीर्ष प्रकाशक रिपोर्ट  
समय अवधि: 01-04-2023 से 31-03-2024



## पुस्तकालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम

**1. एनआईआरडीपीआर पुस्तक मेला 2024:** एनआईआरडीपीआर-पुस्तकालय ने 28 से 29 फरवरी 2024 तक दो दिवसीय पुस्तक मेला 2024 का आयोजन किया। एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक, डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएस ने संस्थान परिसर के डॉ. बी. आर. अंबेडकर ब्लॉक में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीडीसी, श्री

मनोज कुमार, रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशासन), और संस्थान के विभिन्न अनुभागों एवं केंद्रों के कर्मचारी उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे।

टेलर एंड फ्रांसिस, सेज पब्लिशिंग, विली, ओरिएंट ब्लैकस्वान, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, एल्सेवियर आदि सहित कुल 11 प्रकाशकों और स्टॉकिस्टों ने पुस्तक मेले में भाग लिया। लगभग 5000 पुस्तकें संकाय, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों और छात्रों के अवलोकनार्थ प्रदर्शित की गईं।





**2. पुस्तकालय व्याख्यान:** पुस्तकालय अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- i. 31 अक्टूबर, 2023 को "निम्ब्स एनआईआरडीपीआर डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग कैसे करें" शीर्षक से अभिविन्यास कार्यक्रम।
- ii. 20 फरवरी, 2024 को "भारत: लोकतंत्र की जननी" विषय पर लाइब्रेरी वार्ता।



## 7.2.2 प्रलेखन

सूचना की गुणवत्ता किसी भी संस्थान की रीढ़ और एक अनिवार्य पहलू है। दस्तावेज़ीकरण केंद्र विभिन्न स्रोतों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है और आवश्यकतानुसार हमारे संकाय और शोध कर्मचारियों को उपलब्ध कराता है। दस्तावेज़ीकरण केंद्र डीएमएस (दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली) का रखरखाव करता है और हमारे सम्मानित संकाय सदस्यों को उनकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए माँग पर ग्रंथसूची प्रदान करता है।

वर्ष 2023-24 के लिए दस्तावेज़ीकरण केंद्र द्वारा संचालित गतिविधियों की सूची।

- **पीआईबी समाचार:** पीआईबी से प्रतिदिन प्राप्त होने वाले क्षेत्रीय समाचारों का संकलन।
- **डीएमएस अपलोड:** संकाय सदस्यों द्वारा लिखित 32 पुस्तकें डीएमएस पर अपलोड की गईं। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण मैनुअल, शोध पत्र, प्रस्तुतियाँ और हैंडआउट सहित 672 दस्तावेज़ डीएमएस में सफलतापूर्वक अपलोड किए गए।
- **एनआईआरडीपीआर का सोशल मीडिया संचालन:** राष्ट्रीय आयोजनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा एनआईआरडीपीआर के दौरे की कवरेज, महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में एनआईआरडीपीआर की भागीदारी, सारस मेले, भर्ती अधिसूचनाएं आदि से संबंधित सामग्री समय-समय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाती थी।
- **डीएमएस पर प्रशिक्षण:** डीएमएस सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली पर प्रशिक्षण प्रबंधकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

## 7.2.3 सूचना प्रसार – प्रकाशन

संस्थान को ग्रामीण विकास से संबंधित जानकारी प्रसारित करने का अधिदेश प्राप्त है। इस अधिदेश के अनुपालन में, संस्थान नियमित रूप से एक त्रैमासिक पत्रिका, एक मासिक समाचार पत्र और अन्य प्रकाशन प्रकाशित करता है, जिनमें शोध-प्रमुख अंश, शोध रिपोर्ट, ग्रामीण विकास आँकड़े आदि शामिल हैं। भारत में ग्रामीण विकास साहित्य के एक अग्रणी प्रकाशक के रूप में, एनआईआरडीपीआर अपने शोध निष्कर्षों, क्षेत्रीय वास्तविकताओं और वर्तमान सामयिक महत्व के मुद्दों पर अपने विचारों को नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों के साथ नियमित प्रकाशनों, सामयिक पत्रों आदि के माध्यम से साझा करने का प्रयास करता है।

एनआईआरडीपीआर के प्रकाशन नीति निर्माताओं को जमीनी स्तर की वास्तविकताओं पर प्रतिक्रिया प्रदान करके और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की बेहतर योजना एवं प्रबंधन के लिए सुझाव एवं दिशानिर्देश प्रदान करके उनकी सहायता करते हैं। इस वर्ष एनआईआरडीपीआर द्वारा निम्नलिखित पत्रिकाएँ और पत्रिकाएँ प्रकाशित की गईं।

1. **जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट:** त्रैमासिक जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एनआईआरडीपीआर का प्रमुख प्रकाशन है और ग्रामीण विकास एवं विकेन्द्रीकृत प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी अकादमिक पत्रिकाओं में से एक है। देश और विदेश में प्रभावशाली प्रसार के साथ, यह अकादमिक समुदाय, ग्रामीण विकास प्रशासकों और योजनाकारों द्वारा सबसे अधिक मांग वाली पत्रिकाओं में से एक है। वर्ष के दौरान जेआरडी के सात अंक (खंड 41.2, 41.3, 41.4 और 42.1, 42.2, 42.3 और 42.4) प्रकाशित किए गए।

**2. एनआईआरडीपीआर न्यूज़लेटर:** एनआईआरडीपीआर न्यूज़लेटर 'प्रगति', एक मासिक प्रकाशन, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं की सिफारिशों और एनआईआरडीपीआर द्वारा नियमित रूप से आयोजित किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर प्रकाश डालता है। न्यूज़लेटर में संकाय विकास, केस स्टडी, ग्रामीण विकास पेशेवरों के साक्षात्कार, सफलता की कहानियाँ, संस्थान के दौरे और प्रतिनिधिमंडल - भारतीय और विदेशी दोनों - ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर कवर स्टोरी आदि शामिल हैं। इस माध्यम से, एनआईआरडीपीआर अपने हितधारकों, जिनमें एसआईआरडी, ईटीसी, डीआरडीए आदि शामिल हैं, के साथ नियमित संपर्क बनाए रखता है। इसके अलावा, प्रगति न्यूज़लेटर में एसआईआरडीएस और ईटीसी की गतिविधियों का अधिक व्यापक कवरेज देने की पहल भी शुरू की गई है। मई 2021 से, प्रगति न्यूज़लेटर को वर्डप्रेस पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जो एक डेस्कटॉप और मोबाइल-संगत, मोबाइल-उत्तरदायी और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल प्रकाशन प्लेटफॉर्म है। वर्ष के दौरान प्रगति ई-न्यूज़लेटर संख्या 335 से 346 के बारह अंक अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक प्रकाशित किए गए।

**3. अनुसंधान प्रतिवेदन:** चालू वर्ष में कुल 6 अनुसंधान प्रतिवेदन प्रकाशित किए गए। प्रतिवेदनों के शीर्षक निम्नलिखित हैं:

1. झारखंड की सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई के साथ नागरिक समाज संगठनों की सहभागिता: एक केस स्टडी
2. जिला योजनाएँ तैयार करने और उन्हें लागू करने में विफलता के कारणों की जाँच - नीति निर्माण के लिए सीख
3. उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति और शासन संबंधी चुनौतियाँ: छत्तीसगढ़ में एक अध्ययन
4. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन में सेवा वितरण शासन संबंधी मुद्दों और चुनौतियों का आकलन: एफएमए और एसईटी दृष्टिकोण
5. भारत में मैला ढोने से मुक्त और गैर-मुक्त महिलाओं के मनोसामाजिक स्वास्थ्य पर अध्ययन
6. सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही और पारदर्शिता सोसायटी (एसएसएटी), तेलंगाना का मूल्यांकन

**4. अन्य प्रतिवेदन:** उपर्युक्त प्रकाशनों के अतिरिक्त, इस वर्ष निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रकाशित किए गए।

1. अनुसंधान मुख्य बिंदु 2021-22
2. अनुसंधान मुख्य बिंदु 2022-23
3. ग्रामीण रूपांतरण में उत्कृष्टता की खोज: मन की बात की कहानियाँ
4. मासिक धर्म स्वास्थ्य हेतु संसाधन पुस्तक
5. मासिक धर्म स्वास्थ्य हेतु प्रशिक्षण पुस्तिका

#### 7.2.4 राजभाषा (राभा)

आलोच्य वर्ष के दौरान, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार की राजभाषा नीति के व्यापक कार्यान्वयन हेतु कदम उठाए गए। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ नीचे दी गई हैं:

**1. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन:** संस्थान राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूर्णतः अनुपालन करने का प्रयास कर रहा है। संस्थान का नाम मुख्य द्वार पर तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी में प्रदर्शित है। संस्थान के सभी नाम पट्ट, सूचना पट्ट, साइनबोर्ड द्विभाषी हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज़ द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, संस्थान में प्रचलित 20 प्रपत्रों को भी द्विभाषी बनाया गया है और ये सभी प्रपत्र वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

**2. संस्थान में हिंदी अनुवाद कार्य:** प्रशिक्षण और शोध में हिंदी का प्रयोग समीक्षाधीन अवधि में बढ़ा है। संस्थान के हिंदी अनुभाग ने संकाय अनुसूचियाँ, पाठ्यक्रम सामग्री, सूचना का अधिकार पत्र, पावरपॉइंट प्रस्तुतियाँ, कार्यालय आदेश, परिपत्र, प्रगति समाचार पत्र, प्रशिक्षण विवरणिका, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखे, प्रशिक्षण कैलेंडर आदि सहित अनेक पृष्ठों का अनुवाद किया है।

**3. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:** राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही में बैठकें आयोजित की गईं तथा हिंदी के प्रगामी प्रयोग एवं कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लिए गए।



**4. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक:** हिंदी सलाहकार समिति की बैठक 12 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें माननीय ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं

सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री के अलावा एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक, सचिव, संयुक्त सचिव और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी शामिल हुए।



**5. एनआईआरडीपीआर ने हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस मनाया:** संस्थान ने 14 से 28 सितंबर 2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया। हिंदी पखवाड़ा समारोह 14 सितंबर 2023 को पुणे में हिंदी दिवस और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित तृतीय अखिल भारतीय सम्मेलन के साथ शुरू हुआ। पुणे में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के राजभाषा अनुभाग के अधिकारियों ने प्रतिनिधित्व किया।

संस्थान में 20 अक्टूबर, 2023 को हिंदी दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएस ने की, जिन्होंने कार्यवाही का निरीक्षण किया और इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार प्रदान किए।





**6. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में तकनीकी हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन:** एनआईआरडीपीआर, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-2, हैदराबाद का समन्वय कार्यालय है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान, संस्था के तत्वावधान में तीन केंद्र सरकार के

कार्यालयों - 1. राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, चेंगिचेरला, 2. भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, राजेंद्रनगर, 3. कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय, राजेंद्रनगर में तकनीकी हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।



**7. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-2 की बैठक:** नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-2, हैदराबाद की बैठक 26 सितंबर, 2023 को सामाजिक विकास परिषद (सीएसडी), राजेंद्रनगर, हैदराबाद में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक, डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएस ने की। इस अवसर पर,

सीएसडी-हैदराबाद के निदेशक प्रोफेसर सुजीत कुमार मिश्रा, आईसीएआर-भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. के.बी.आर.एस. विशारदा, हिंदी शिक्षण योजना की उप निदेशक (राजभाषा) श्रीमती बेला और सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं सदस्य सचिव श्रीमती अनीता पांडे उपस्थित थीं।



**8. हिंदी कार्यशालाएँ:** वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

- यूनिफाइड पर कार्यशाला
- पुनर्वर्गीकृत समूह 'सी' कर्मचारियों के लिए कार्यशाला
- गूगल बाई पर प्रशिक्षण
- एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद के कार्यालय परिसर के सभी नोटिस बोर्ड पर हर दिन 'अर्थ के साथ एक हिंदी शब्द सीखें' और 'हिंदी कोटेशन' रेगुलर तौर पर दिखाए जाते हैं।



\*\*\*\*\*



## अध्याय - 8

# वित्त एवं लेखा

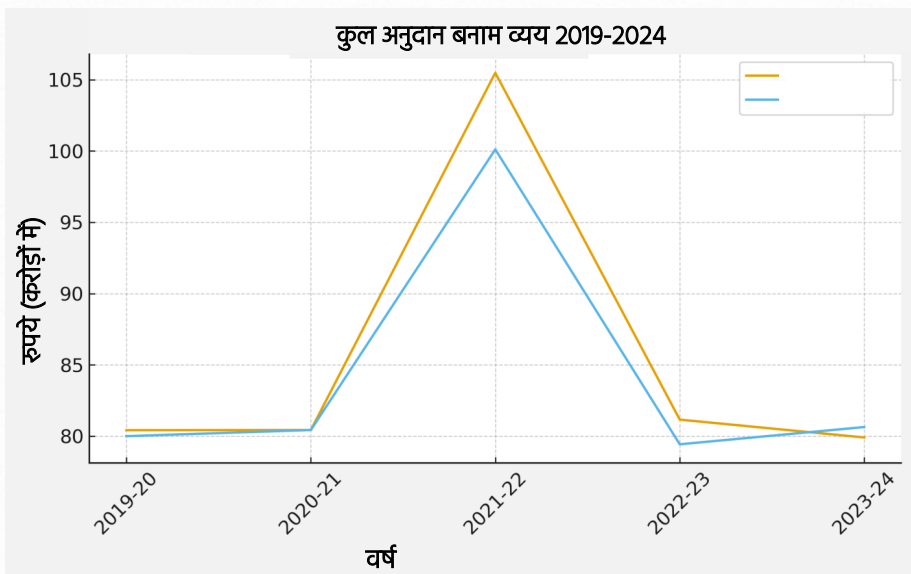
एनआईआरडी एवं पीआर एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय है जो अपनी सभी गतिविधियों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। हर साल, अनुमोदित बजट के अनुसार, मंत्रालय वेतन और सामान्य शीर्षों के तहत अनुदान जारी करता है। एनआईआरडी एवं पीआर के प्रस्तावों और आवश्यकतानुसार विशिष्ट पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान भी जारी किए जाते हैं। संस्थान के वित्त और लेखा प्रभाग को बजट, वेतन और निधियों का लेखा, वार्षिक खातों की तैयारी आदि के कार्य सौंपे गए हैं। संस्थान दोहरी-प्रविष्टि प्रणाली का पालन कर रहा है, जिसमें वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और हर साल 31 मार्च को समाप्त होता है। संस्थान के वार्षिक खातों का लेखा-जोखा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा किया जाता है। संस्थान के खाते केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए सीएजी द्वारा अनुमोदित निर्धारित मानदंडों का विधिवत पालन करते हुए तैयार किए जाते हैं।

वेतन और सामान्य शीर्षों के अंतर्गत जारी अनुदान का उपयोग संस्थान की मुख्य गतिविधियों जैसे क्षमता निर्माण, अनुसंधान, विकास, सेमिनार और सम्मेलन, ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, प्रकाशन,

पत्रिकाओं की सदस्यता, पुस्तकालय, रखरखाव और अन्य आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय पर व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। उपरोक्त के अलावा, एनआईआरडी और पीआर को ग्रामीण क्षेत्र में भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों जैसे दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई), पीएमकेएसवाई, एसओईपीआर, टीआईएसपीआरआई, एमओआरडी, एमजीएनआरईजीए, सामाजिक लेखा परीक्षा के तहत क्षमता निर्माण, एनआरएलएम आदि का नेतृत्व करने के लिए एमओआरडी के विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों से भी धन प्राप्त होता है। अनुसंधान, प्रभाव मूल्यांकन, क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय निकायों आदि से भी धन प्राप्त होता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, संस्थान का व्यय 80.64 करोड़ रुपये है, जिसके अंतर्गत 79.91 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया और 1.72 करोड़ रुपये का ओबी (कार्यभार वहन क्षमता) है। पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी किए गए अनुदानों और किए गए व्यय का ग्राफ़िक प्रस्तुतिकरण नीचे दिया गया है।

| (रुपये करोड़ में) |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| वर्ष              | कुल अनुदान | व्यय   |
| 2019-20           | 80.42      | 80.00  |
| 2020-21           | 80.43      | 80.43  |
| 2021-22           | 105.48     | 100.11 |
| 2022-23           | 81.16      | 79.43  |
| 2023-24           | 79.91      | 80.64  |



## एनआईआरडीपीआर संचित निधि

एनआईआरडीपीआर का कॉर्पस फंड 2008-09 में कार्यकारी परिषद (ईसी) की 21 अगस्त 2008 को हुई 105वीं बैठक में अनुमोदन के साथ स्थापित किया गया था। कॉर्पस फंड संशोधन नियम, 2021 और कॉर्पस फंड निवेश नीति को 01-07-2021 को हुई 132वीं कार्यकारी परिषद की बैठक में अनुमोदित किया गया था। कॉर्पस फंड नियम फंड के संचालन और प्रबंधन के बारे में बताते हैं, जिसमें फंड के उद्देश्य, स्रोत, अनुप्रयोग, प्रबंधन आदि निर्दिष्ट हैं। फंड का प्राथमिक उद्देश्य संस्थान की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। 31 मार्च 2024 तक, कॉर्पस फंड 498.93 करोड़ रुपये था, जबकि 2024 तक यह 498.93 करोड़ रुपये था। 31 मार्च 2023 तक 458.21 करोड़ रुपये। यह संस्थान की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और आत्मनिर्भरता के अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है, यह देखते हुए कि संस्थान ने 2023-24 के दौरान लगभग 80.64 करोड़ रुपये का व्यय किया है।

कॉर्पस फंड प्रबंधन समिति का गठन: कार्यकारी परिषद ने कोष के संचालन और प्रबंधन की देखरेख के लिए कॉर्पस फंड प्रबंधन समिति (सीएफएमसी) का गठन किया, जिसकी परिकल्पना कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित कॉर्पस फंड नियमों में की गई है।

समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

- महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (समिति के अध्यक्ष)
- उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर
- निदेशक (वित्तीय सहायता) एवं वित्तीय सलाहकार, एनआईआरडीपीआर
- रजिस्ट्रार एवं निदेशक (प्रशासन), एनआईआरडीपीआर
- ग्रामीण विकास मंत्रालय के आईएफडी से नामित एक सदस्य
- ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशिक्षण प्रभाग से नामित एक सदस्य
- निवेश प्रबंधन/बैंकिंग/निधि प्रबंधन में विशेषज्ञता वाले दो बाहरी विशेषज्ञ
- महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर द्वारा नामित एक संकाय सदस्य (वैकल्पिक)

नोट: सदस्यों @ (v) और (vi) को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा और कार्यकारी समिति को सूचित किया जाएगा।

कॉर्पस फंड नियमों के अनुसार, समिति को निधि से संबंधित कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार बैठक करनी होगी। निधि का परिचालन प्रबंधन कार्यकारी समिति द्वारा सीएफएमसी को सौंपा गया है।

तदनुसार, एनआईआरडीपीआर सीएफएमसी में एक सदस्य को नामित करने के संस्थान के अनुरोध के प्रत्युत्तर में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने श्री शैलेश कुमार, निदेशक (वित्त), ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्री प्रदीप कुमार, उप सचिव, प्रशिक्षण प्रभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय को नामित किया। निवेश बैंकिंग में विशेषज्ञों की पहचान के लिए, अनुभव, योग्यता और आयु के आधार पर कई उम्मीदवारों पर विचार किया गया। श्री बिस्वजीत मोहंती और श्री ए. एन. अप्पैया, दोनों सेवानिवृत्त बैंकर हैं, जिनके पास ट्रेजरी, क्रेडिट और सामान्य बैंकिंग सहित वित्तीय बाजारों में 30 से अधिक वर्षों का प्रासंगिक अनुभव है, और उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा समिति में नामित करने की स्वीकृति दी गई है।

## एनआईआरडीपीआर द्वारा बनाए गए अन्य फंड - संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं:

संस्थान ने परोपकार निधि, भविष्य निधि, भवन निधि और चिकित्सा कोष भी स्थापित किए हैं, जो विशिष्ट उद्देश्य के साथ वस्तु-उन्मुख हैं। इन निधियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।:

क.) इसी कार्यकारी समिति की बैठक में समूह 'ग' के कर्मचारियों के लिए बाल शिक्षा ऋण और विवाह ऋण, दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता आदि जैसे कर्मचारी कल्याणकारी उपाय प्रदान करने हेतु एक परोपकारी निधि को भी मंजूरी दी गई। इस निधि का मुख्य स्रोत परामर्श परियोजनाओं से संस्थान की शुद्ध बचत/आय का एक निश्चित भाग और निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज है। 31 मार्च 2024 तक निधि का शेष ₹2.27 करोड़ था।



ख.) 20-04-1989 को आयोजित 63वीं कार्यकारी समिति की बैठक में भवन निधि को मुख्यतः संस्थान के अवसंरचनात्मक विकास हेतु निर्धारित निधियों से अनुमोदित किया गया था। 31 मार्च 2024 तक निधि का शेष 18.43 करोड़ रुपये था।

(ग.) संस्थान के कर्मचारियों के सभी भविष्य निधि संबंधी लेन-देन के लिए भविष्य निधि की स्थापना की गई। 31 मार्च 2024 तक इस निधि का शेष 31.43 करोड़ रुपये था।

(घ.) सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए 2009 में चिकित्सा कोष की स्थापना की गई। इस निधि के स्रोत कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान और निधि पर अर्जित ब्याज हैं। 31 मार्च 2024 तक इस निधि का शेष 7.30 करोड़ रुपये था।



\*\*\*\*\*

# परिशिष्ट

## परिशिष्ट -I

वर्ष 2023-24 के दौरान एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का श्रेणी-वार वितरण

| माह     | सरकारी अधिकारी | बैंक | जिल्ला परिषद् | स्वयंसेवक | राष्ट्रीय | विश्वविद्यालय | अंतर्राष्ट्रीय | युवा | अन्य | कुल    | महिला | कार्यक्रमों की संख्या |
|---------|----------------|------|---------------|-----------|-----------|---------------|----------------|------|------|--------|-------|-----------------------|
| अप्रैल  | 791            | 6    | 55            | 15        | 2         | 2             | 0              | 0    | 122  | 993    | 245   | 21                    |
| मई      | 1219           | 29   | 136           | 17        | 0         | 7             | 0              | 0    | 22   | 1430   | 363   | 43                    |
| जून     | 1412           | 0    | 193           | 36        | 39        | 11            | 0              | 1    | 32   | 1724   | 474   | 58                    |
| जुलाई   | 2696           | 0    | 100           | 56        | 8         | 5             | 0              | 1    | 0    | 2866   | 618   | 87                    |
| अगस्त   | 3759           | 445  | 250           | 55        | 41        | 52            | 0              | 15   | 0    | 4617   | 1979  | 144                   |
| सितम्बर | 2222           | 359  | 29            | 30        | 31        | 4             | 0              | 0    | 0    | 2675   | 941   | 79                    |
| अक्टूबर | 1348           | 64   | 45            | 55        | 20        | 10            | 0              | 14   | 19   | 1575   | 542   | 50                    |
| नवम्बर  | 1859           | 259  | 75            | 53        | 6         | 38            | 0              | 0    | 1    | 2291   | 808   | 68                    |
| दिसम्बर | 2225           | 107  | 57            | 54        | 35        | 120           | 30             | 2    | 1    | 2631   | 642   | 83                    |
| जनवरी   | 1622           | 473  | 2             | 24        | 44        | 617           | 29             | 3    | 60   | 2874   | 1087  | 83                    |
| फरवरी   | 2408           | 31   | 22            | 66        | 59        | 108           | 30             | 0    | 74   | 2798   | 581   | 90                    |
| मार्च   | 469            | 123  | 21            | 36        | 9         | 42            | 19             | 1    | 714  | 1434   | 513   | 60                    |
| कुल     | 22,030         | 1896 | 985           | 497       | 294       | 1016          | 108            | 37   | 1045 | 27,908 | 8793  | 866                   |

वर्ष (2023-24) के दौरान डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का श्रेणी-वार वितरण

| माह     | सरकारी अधिकारी | बैंक | जिल्ला परिषद् | स्वयंसेवक | राष्ट्रीय | विश्वविद्यालय | अंतर्राष्ट्रीय | युवा | अन्य | कुल  | महिला | कार्यक्रमों की संख्या |
|---------|----------------|------|---------------|-----------|-----------|---------------|----------------|------|------|------|-------|-----------------------|
| अप्रैल  | 0              | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 134  | 134  | 40    | 4                     |
| मई      | 0              | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 156  | 156  | 49    | 5                     |
| जून     | 0              | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 200  | 200  | 55    | 4                     |
| जुलाई   | 0              | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 451  | 451  | 106   | 8                     |
| अगस्त   | 0              | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 379  | 379  | 126   | 7                     |
| सितम्बर | 0              | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 296  | 296  | 76    | 5                     |
| अक्टूबर | 0              | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 244  | 244  | 67    | 8                     |
| नवम्बर  | 0              | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 176  | 176  | 28    | 6                     |
| दिसम्बर | 0              | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 259  | 259  | 72    | 8                     |
| जनवरी   | 0              | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 347  | 347  | 70    | 10                    |
| फरवरी   | 0              | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 238  | 238  | 63    | 8                     |
| मार्च   | 0              | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 220  | 220  | 41    | 6                     |
| कुल     | 0              | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 3100 | 3100 | 793   | 79                    |



वर्ष 2023-24 के दौरान आरटीपी कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का श्रेणी-वार वितरण

| माह     | सरकारी अधिकारी | बैंक | जिल्ला परिषद् | स्वयंसेवक | राष्ट्रीय | विश्वविद्यालय | अंतराष्ट्रीय | युवा | अन्य | कुल  | महिला | कार्यक्रमों की संख्या |
|---------|----------------|------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|------|------|------|-------|-----------------------|
| अप्रैल  | 35             | 25   | 0             | 0         | 0         | 32            | 0            | 0    | 0    | 92   | 61    | 5                     |
| मई      | 30             | 0    | 0             | 54        | 2         | 60            | 0            | 33   | 0    | 179  | 29    | 5                     |
| जून     | 20             | 0    | 0             | 31        | 0         | 7             | 0            | 9    | 40   | 107  | 18    | 5                     |
| जुलाई   | 129            | 0    | 30            | 72        | 0         | 23            | 0            | 62   | 0    | 316  | 126   | 12                    |
| अगस्त   | 126            | 0    | 0             | 28        | 0         | 59            | 0            | 62   | 0    | 275  | 76    | 8                     |
| सितम्बर | 108            | 0    | 0             | 1         | 1         | 468           | 0            | 71   | 0    | 649  | 303   | 11                    |
| अक्टूबर | 181            | 3    | 6             | 77        | 5         | 6             | 0            | 116  | 1    | 395  | 175   | 11                    |
| नवम्बर  | 124            | 0    | 0             | 0         | 0         | 674           | 51           | 0    | 2    | 851  | 443   | 18                    |
| दिसम्बर | 175            | 39   | 0             | 31        | 0         | 383           | 0            | 129  | 0    | 757  | 340   | 18                    |
| जनवरी   | 6              | 23   | 0             | 13        | 0         | 460           | 0            | 0    | 44   | 546  | 238   | 7                     |
| फरवरी   | 82             | 0    | 0             | 0         | 0         | 37            | 0            | 0    | 41   | 160  | 63    | 7                     |
| मार्च   | 0              | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0            | 0    | 0    | 0    | 0     | 0                     |
| कुल     | 1016           | 90   | 36            | 307       | 8         | 2209          | 51           | 482  | 128  | 4327 | 1872  | 107                   |

वर्ष 2023-24 के दौरान दिल्ली शाखा कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का श्रेणी-वार वितरण

| माह     | सरकारी अधिकारी | बैंक | जिल्ला परिषद् | स्वयंसेवक | राष्ट्रीय | विश्वविद्यालय | अंतराष्ट्रीय | युवा | अन्य | कुल  | महिला | कार्यक्रमों की संख्या |
|---------|----------------|------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|------|------|------|-------|-----------------------|
| अप्रैल  | 0              | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0            | 0    | 0    | 0    | 0     | 0                     |
| मई      | 98             | 0    | 6             | 67        | 0         | 10            | 2            | 59   | 9    | 251  | 54    | 4                     |
| जून     | 25             | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0            | 0    | 0    | 25   | 3     | 1                     |
| जुलाई   | 17             | 1    | 0             | 56        | 2         | 8             | 0            | 17   | 11   | 112  | 20    | 3                     |
| अगस्त   | 123            | 0    | 0             | 73        | 0         | 2             | 0            | 64   | 5    | 267  | 57    | 2                     |
| सितम्बर | 32             | 2    | 0             | 77        | 0         | 26            | 0            | 34   | 16   | 187  | 32    | 1                     |
| अक्टूबर | 101            | 362  | 0             | 90        | 0         | 7             | 0            | 49   | 88   | 697  | 493   | 4                     |
| नवम्बर  | 201            | 392  | 0             | 54        | 0         | 27            | 0            | 19   | 243  | 936  | 694   | 12                    |
| दिसम्बर | 31             | 53   | 0             | 58        | 1         | 12            | 1            | 25   | 111  | 292  | 137   | 3                     |
| जनवरी   | 11             | 13   | 0             | 55        | 0         | 23            | 1            | 59   | 82   | 244  | 97    | 3                     |
| फरवरी   | 3              | 278  | 0             | 13        | 0         | 0             | 0            | 4    | 0    | 298  | 282   | 3                     |
| मार्च   | 61             | 0    | 0             | 163       | 0         | 51            | 3            | 35   | 21   | 334  | 89    | 3                     |
| कुल     | 703            | 1101 | 6             | 706       | 3         | 166           | 7            | 365  | 586  | 3643 | 1958  | 39                    |

**वर्ष 2023-24 के दौरान एनईआरसी कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का श्रेणी-वार वितरण**

| माह     | सरकारी अधिकारी | बैंक | जिल्ला परिषद् | स्वयंसेवक | राष्ट्रीय | विश्वविद्यालय | अंतराष्ट्रीय | युवा | अन्य | कुल  | महिला | कार्यक्रमों की संख्या |
|---------|----------------|------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|------|------|------|-------|-----------------------|
| अप्रैल  | 53             | 0    | 7             | 1         | 1         | 0             | 0            | 0    | 0    | 62   | 17    | 2                     |
| मई      | 219            | 3    | 11            | 6         | 1         | 2             | 0            | 0    | 0    | 242  | 53    | 8                     |
| जून     | 61             | 0    | 0             | 0         | 1         | 0             | 0            | 0    | 0    | 62   | 12    | 2                     |
| जुलाई   | 37             | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0            | 0    | 0    | 37   | 14    | 1                     |
| अगस्त   | 492            | 0    | 1             | 1         | 3         | 0             | 0            | 0    | 0    | 497  | 95    | 15                    |
| सितम्बर | 236            | 0    | 0             | 16        | 0         | 4             | 0            | 0    | 0    | 256  | 46    | 7                     |
| अक्टूबर | 45             | 41   | 0             | 26        | 0         | 1             | 0            | 1    | 0    | 114  | 13    | 5                     |
| नवम्बर  | 99             | 29   | 12            | 0         | 0         | 8             | 0            | 0    | 0    | 148  | 25    | 7                     |
| दिसम्बर | 127            | 5    | 19            | 11        | 0         | 6             | 0            | 0    | 0    | 168  | 81    | 5                     |
| जनवरी   | 38             | 37   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0            | 0    | 25   | 100  | 34    | 3                     |
| फरवरी   | 210            | 0    | 17            | 0         | 22        | 0             | 0            | 0    | 56   | 305  | 137   | 8                     |
| मार्च   | 32             | 0    | 0             | 0         | 26        | 110           | 0            | 0    | 58   | 226  | 124   | 7                     |
| कुल     | 1649           | 115  | 67            | 61        | 54        | 131           | 0            | 1    | 139  | 2217 | 651   | 70                    |

**वर्ष 2023-24 के दौरान एनआरएलएम कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का श्रेणीवार वितरण**

| माह     | सरकारी अधिकारी | बैंक  | जिल्ला परिषद् | स्वयंसेवक | राष्ट्रीय | विश्वविद्यालय | अंतराष्ट्रीय | युवा | अन्य | कुल   | महिला | कार्यक्रमों की संख्या |
|---------|----------------|-------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|-------|-----------------------|
| अप्रैल  | 225            | 146   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0            | 566  | 341  | 1278  | 616   | 25                    |
| मई      | 213            | 1299  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0            | 142  | 65   | 1719  | 984   | 46                    |
| जून     | 184            | 355   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0            | 516  | 29   | 1084  | 633   | 35                    |
| जुलाई   | 577            | 9903  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0            | 966  | 0    | 11446 | 3257  | 146                   |
| अगस्त   | 186            | 844   | 2             | 0         | 28        | 0             | 0            | 938  | 0    | 1998  | 1158  | 38                    |
| सितम्बर | 107            | 213   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0            | 1105 | 15   | 1440  | 1094  | 37                    |
| अक्टूबर | 3537           | 4916  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0            | 536  | 214  | 9203  | 5373  | 74                    |
| नवम्बर  | 0              | 3829  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0            | 263  | 41   | 4133  | 3854  | 17                    |
| दिसम्बर | 80             | 1479  | 0             | 0         | 24        | 0             | 0            | 140  | 596  | 2319  | 1166  | 56                    |
| जनवरी   | 190            | 390   | 0             | 0         | 0         | 27            | 0            | 40   | 154  | 801   | 545   | 25                    |
| फरवरी   | 72             | 347   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0            | 165  | 93   | 677   | 520   | 23                    |
| मार्च   | 185            | 216   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0            | 116  | 44   | 561   | 446   | 17                    |
| कुल     | 5556           | 23937 | 2             | 0         | 52        | 27            | 0            | 5493 | 1592 | 36659 | 19646 | 539                   |



वर्ष 2023-24 के दौरान एनईआरसी-एनआरएलएम कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का श्रेणी-वार वितरण

| माह     | सरकारी अधिकारी | बैंक | जिल्ला परिषद् | स्वयंसेवक | राष्ट्रीय | विश्वविद्यालय | अंतर्राष्ट्रीय | युवा | अन्य | कुल  | महिला | कार्यक्रमों की संख्या |
|---------|----------------|------|---------------|-----------|-----------|---------------|----------------|------|------|------|-------|-----------------------|
| अप्रैल  | 307            | 522  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 0    | 829  | 629   | 24                    |
| मई      | 255            | 1565 | 0             | 24        | 0         | 0             | 0              | 0    | 0    | 1844 | 1588  | 62                    |
| जून     | 260            | 244  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 0    | 504  | 319   | 13                    |
| जुलाई   | 83             | 323  | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 0    | 406  | 350   | 8                     |
| अगस्त   | 88             | 32   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 0    | 120  | 64    | 4                     |
| सितम्बर | 0              | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 0    | 0    | 0     | 0                     |
| अक्टूबर | 40             | 1640 | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 0    | 1680 | 923   | 26                    |
| नवम्बर  | 561            | 67   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 0    | 628  | 284   | 16                    |
| दिसम्बर | 259            | 2843 | 0             | 0         | 0         | 36            | 0              | 0    | 0    | 3138 | 2083  | 63                    |
| जनवरी   | 160            | 37   | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 0    | 197  | 139   | 6                     |
| फरवरी   | 104            | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 0    | 104  | 43    | 2                     |
| मार्च   | 71             | 0    | 0             | 0         | 0         | 0             | 0              | 0    | 0    | 71   | 28    | 2                     |
| कुल     | 2188           | 7273 | 0             | 24        | 0         | 36            | 0              | 0    | 0    | 9521 | 6450  | 226                   |

## परिशिष्ट -II

वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए अनुसन्धान अध्ययन

| क्र सं                          | अध्ययन का शीर्षक                                                                                                         | टीम                                                                                                                                                                       | आरम्भ तिथि   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>क. एनआईआरडीपीआर अनुसंधान</b> |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              |
| 1                               | अमृत सरोवरों के माध्यम से विकास की परिकल्पना: जल भंडारण और संरक्षण में सुधार के लिए मन की बात मामलों का एक अध्ययन        | डॉ. सोनल मोबार रॉय<br>डॉ. सी. धीरजा<br>डॉ. दिगंबर ए चिमनकर<br>डॉ. अनुराधा पल्ला<br>डॉ. राज कुमार पम्मी<br>डॉ. जी. नरेंद्र कुमार                                           | 01 अप्रैल 23 |
| 2                               | ग्रामीण परिवर्तन में उत्कृष्टता की खोज: स्वयं सहायता समूह उद्यमियों के मन की बात मामले                                   | डॉ. वाणीश्री जोसेफ<br>डॉ. जी.नरेंद्र कुमार<br>डॉ. एन.वी.माधुरी<br>डॉ. अरुणा जयमणि<br>डॉ. लखन सिंह<br>डॉ. प्रत्युक्ता पटनायक<br>डॉ. रत्ना भुइयां<br>डॉ. वैकटमल्लू थडाबोइना | 01 अप्रैल 23 |
| 3                               | भारत में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACCS) के विशेष संदर्भ में अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना (STCCS) की शासन प्रणाली | डॉ. आर्यश्री देबप्रिया                                                                                                                                                    | 01 जुलाई 23  |
| 4                               | पीएमजीएसवाई कार्यान्वयन में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रभाव                                                    | श्री. शशि भूषण<br>डॉ. यू. हेमंता कुमार<br>श्रीमती एच.शशि रेखा                                                                                                             | 01 जुलाई 23  |
| 5                               | पंचायती राज संस्थाओं में प्रचलित लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रणालियाँ                                                        | डॉ. यू. हेमंत कुमार<br>श्री दिलीप कुमार पाल<br>श्रीमती एच. शशि रेखा                                                                                                       | 01 जुलाई 23  |
| 6                               | तेलंगाना में जल प्रबंधन: व्यवहार पैटर्न                                                                                  | डॉ. एन वी माधुरी<br>डॉ. वनिश्री जे                                                                                                                                        | 01 सितंबर 23 |
| 7                               | गरीबी कम करने में एनआरएलएम का प्रभाव                                                                                     | डॉ. वनीश्री जे<br>डॉ. एन वी माधुरी                                                                                                                                        | 01 सितंबर 23 |
| 8                               | गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों में पोषण संबंधी व्यवहार                                                   | डॉ. वनीश्री जे<br>डॉ. एन वी माधुरी                                                                                                                                        | 21 जनवरी 24  |

### ख. मामला अध्ययन

|    |                                                                                                                         |                                                |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 9  | प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का ग्रामीण विकास योजनाओं पर प्रभाव का अध्ययन - अमृत सरोवर मिशन और स्वयं सहायता समूह | इंजी. एस.के.घोष,<br>डॉ. मुरुगेसन               | 01 अप्रैल 23 |
| 10 | अमृत सरोवर पर मन की बात का प्रभाव - स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा झारखंडी लेमनग्रास की खेती का एक केस स्टडी       | डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य<br>श्री सुधीर कुमार सिंह | 01 अप्रैल 23 |

जारी..



| क्र सं | अध्ययन का शीर्षक                                                                                                                                                      | टीम                                                          | आरम्भ तिथि   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 11     | अमृत सरोवर पहल पर मन की बात का प्रभाव: बिलकेरु ग्राम पंचायत का मामला कर्नाटक का बागलकोट जिला                                                                          | डॉ. पी अनुराधा<br>श्री अबी अब्राहम                           | 01 अप्रैल 23 |
| 12     | मन की बात का अमृत सरोवर पर प्रभाव - मोचा ग्राम पंचायत, मंडला जिला, मध्य प्रदेश                                                                                        | डॉ. दिगंबर आबाजी. सी<br>श्री बिपिन                           | 01 अप्रैल 23 |
| 13     | शहीद भगत सिंह का एक मामला "अमृता" सरोवर" उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले के निवारी ग्राम पंचायत में                                                                | डॉ. राजकुमार पम्मी<br>श्री मुत्सालु                          | 01 अप्रैल 23 |
| 14     | मन की बात का अमृत सरोवर पर प्रभाव - ए वारंगल के मंगल्या वाल्या थांडा का मामला                                                                                         | डॉ. सी धीरजा<br>श्री सुधाकर                                  | 01 अप्रैल 23 |
| 15     | मन की बात में प्रधानमंत्री के उल्लेख के प्रभाव पर अध्ययन - योगिता आजीविका स्वयं सहायता की एक कहानी मध्य प्रदेश के चिचगांव गांव में समूह                               | डॉ. एन वी माधुरी<br>श्री बाबूराव                             | 01 अप्रैल 23 |
| 16     | मन की बात में प्रधानमंत्री के उल्लेख का स्वयं सहायता समूह पर प्रभाव का अध्ययन - बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किसान चाची पर एक केस स्टडी                                | डॉ. वेंकटमल्लू थडाबोडना<br>श्री शशि भूषण<br>श्री अभिषेक अनंत | 01 अप्रैल 23 |
| 17     | कादीपुर ग्राम पंचायत का एसएचजी केस अध्ययन: मन की बात का असर                                                                                                           | डॉ. लखन सिंह<br>श्री मुरली                                   | 01 अप्रैल 23 |
| 18     | तमिलनाडु में एसएचजी द्वारा संचालित हस्तशिल्प कियोस्क (थंजई थरागैल कैविनाई पोरुतकल विरपनाई विरपनाई अंगडी) पर मन की बात में प्रधानमंत्री के उल्लेख के प्रभाव पर अध्ययन। | डॉ. अरुणा जया मणि<br>डॉ. वाणीश्री जोसेफ                      | 01 अप्रैल 23 |
| 19     | प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का ग्रामीण विकास योजनाओं पर प्रभाव अमृत सरोवर मिशन और स्वयं सहायता समूहों पर अध्ययन                                               | डॉ. रत्ना भुइयां<br>डॉ. आर. मुरुगेसन                         | 01 अप्रैल 23 |
| 20     | मन की बात कार्यक्रम का ग्रामीण विकास योजनाओं पर प्रभाव - अपशिष्ट से धन: श्रीमती कमला महाराणा की प्रेरक कहानी                                                          | डॉ. प्रत्युष्ना पटनायक<br>डॉ. ज्योति प्रकाश मोहंती           | 01 अप्रैल 23 |
| 21     | मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास: पूर्वोत्तर भारत के मामले                                                                   | डॉ. रत्ना भुयान                                              | 01 जुलाई 23  |
| 22     | चाय बागान मजदूर: सामाजिक-आर्थिक संरक्षण और कल्याण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पहुँच और कवरेज                                                                        | डॉ. मुकेश कुमार श्रीवास्तव                                   | 13 फरवरी 24  |

**ग. सहयोगी**

|    |                                                                                                                                                            |                |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 23 | "झारखंड में आदिवासी महिला पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का सशक्तिकरण, लेकिन क्या यह पेसा के संदर्भ में है? - झारखंड के दस (10) पेसा जिलों में एक अध्ययन" | डॉ. राजीव रंजन | 10 जनवरी 24 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|

## परिशिष्ट -III

वर्ष 2023-24 के दौरान पूर्ण किए गए शोध अध्ययन

| क्र.सं.                         | अध्ययन का शीर्षक                                                                                                           | टीम                                                              | आरम्भ तिथि |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>क. एनआईआरडीपीआर अनुसंधान</b> |                                                                                                                            |                                                                  |            |
| 1                               | उत्तर प्रदेश सोशल ऑडिट संगठन का मूल्यांकन                                                                                  | डॉ. श्रीनिवास सज्जा<br>डॉ. राजेश कुमार सिन्हा<br>डॉ. सी.धीरजा    | 2021-22    |
| 2                               | समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायतों की भूमिका की खोज: केरल और ओडिशा में एक तुलनात्मक अध्ययन                      | डॉ. सुब्रत कुमार मिश्र<br>डॉ. किरण जलेम                          | 2021-22    |
| 3                               | ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियाँ (तीन राज्यों के कई मामलों का अध्ययन)                                   | डॉ. आर.रमेश                                                      | 2021-22    |
| 4                               | ग्रामीण उत्तर प्रदेश के बच्चों की पोषण स्थिति पर एकीकृत बाल विकास योजनाओं की प्रभावशीलता: एक जिलावार विश्लेषण              | डॉ. लाखन सिंह<br>डॉ. लक्ष्मीकान्त द्विवेदी                       | 2021-22    |
| 5                               | सतत विकास लक्ष्य 5 को स्थानीयकृत करके लिंग-अनुकूल ग्राम पंचायत विकास योजना को साकार करना                                   | डॉ. अंजन कुमार भांजा<br>डॉ. वाणीश्री जोसेफ<br>डॉ. सुचरिता पुजारी | 2021-22    |
| 6                               | ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने में पीएमईजीपी योजना की भूमिका: भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में एक अध्ययन          | डॉ. रत्ना भुयान<br>डॉ. आर. मुरुगेसन                              | 2022-23    |
| 7                               | भारत में ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थानों का प्रदर्शन: एक मूल्यांकन अध्ययन                                                | डॉ. टी. विजय कुमार                                               | 2022-23    |
| 8                               | तेलंगाना राज्य में तेलंगाना कू हरिता हरम (टीकेएचएच) कार्यक्रम की प्रक्रिया मूल्यांकन और प्रदर्शन निगरानी                   | डॉ. के. प्रभाकर<br>इंजी. के. राजेश्वर                            | 2022-23    |
| 9                               | तेलंगाना राज्य में पल्ले प्रगति और वैकुंठ धाम कार्यक्रमों की प्रक्रिया मूल्यांकन और प्रदर्शन निगरानी                       | इंजी. के. राजेश्वर<br>डॉ. के. प्रभाकर                            | 2022-23    |
| 10                              | महिला सशक्तिकरण और बच्चों की पोषण स्थिति के बीच संबंध: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (एनएफएस-5) से साक्ष्य        | डॉ. एन. वी. माधुरी<br>डॉ. वाणीश्री जोसेफ                         | 2022-23    |
| 11                              | ग्राम पंचायत विकास योजना में मिशन अंत्योदय के आंकड़ों का एकीकरण: महिला एवं बाल विकास गतिविधियों के समावेश पर एक अध्ययन     | डॉ. वाणीश्री जोसेफ<br>डॉ. एन. वी. माधुरी                         | 2022-23    |
| 12                              | सशर्त नकद हस्तांतरण हस्तक्षेप और भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य परिणाम: एक व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-विश्लेषण | डॉ. वाणीश्री जोसेफ<br>डॉ. एन. वी. माधुरी                         | 2022-23    |

जारी...



| क्र सं | अध्ययन का शीर्षक                                                                                                           | टीम                                                                                                                                                                          | आरम्भ तिथि |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13     | ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्टता की खोज<br>परिवर्तन: मन की बात के मामले स्वयं सहायता समूह उद्यमी                           | डॉ. वनिश्री जोसेफ<br>डॉ. जी. नरेंद्र कुमार<br>डॉ. एन. वी. माधुरी<br>डॉ. अरुणा जयमणि<br>डॉ. लखन सिंह<br>डॉ. प्रत्युक्ता पटनायक<br>डॉ. रत्ना भुइयां<br>डॉ. वेंकटमल्लू थडाबोडना | 2023-24    |
| 14     | अमृत सरोवरों के माध्यम से विकास की परिकल्पना: जल भंडारण और संरक्षण को पुनर्जीवित करने के लिए मन की बात के मामलों का अध्ययन | डॉ. सोनल मोबार रॉय<br>डॉ. सी.धीरजा<br>डॉ. दिगंबर ए चिमनकर<br>डॉ. अनुराधा पल्ला<br>डॉ. राजकुमार पम्मी<br>डॉ. जी.नरेंद्र कुमार                                                 | 2023-24    |
| 15     | गरीबी कम करने में एनआरएलएम का प्रभाव                                                                                       | डॉ. वनीश्री जे<br>डॉ. एन वी माधुरी                                                                                                                                           | 2023-24    |
| 16     | गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों में पोषण संबंधी व्यवहार                                                     | डॉ. वनीश्री जे<br>डॉ. एन वी माधुरी                                                                                                                                           | 2023-24    |
| 17     | तेलंगाना में जल प्रबंधन: व्यवहार पैटर्न                                                                                    | डॉ. एन वी माधुरी<br>डॉ. वनिश्री जे                                                                                                                                           | 2023-24    |

#### ख. मामला अध्ययन

|    |                                                                                                                                           |                                                |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| 18 | मेघालय सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई पर केस स्टडी                                                                                             | डॉ. श्रीनिवास सज्जा,<br>डॉ.आर.मुरुगेसन         | 2021-22 |
| 19 | जैव विविधता का सतत उपयोग और साझा संपत्ति संसाधनों का पुनरुद्धार: मीनागढ़ी ग्राम पंचायत से एक केस स्टडी                                    | डॉ. ज्योतिष सत्यपालन<br>डॉ. सुरजीत विक्रमन     | 2022-23 |
| 20 | सहभागी योजना और विकास - कुलिमथुर ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) मॉडल का एक केस स्टडी, तमिलनाडु                                       | डॉ. आर.अरुणा जयमणि                             | 2022-23 |
| 21 | स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके संसाधन मानचित्रण: चंद्रपुर ग्राम पंचायत, चंद्रपुर ब्लॉक, कामरूप (मध्य प्रदेश) जिला, असम का एक मामला | डॉ. सिंहाचलम. ए                                | 2022-23 |
| 22 | ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के माध्यम से जीपीडीपी का क्रियान्वयन: पानीखैती ग्राम पंचायत, चंद्रपुर ब्लॉक, कामरूप (एम) जिला, असम का एक मामला       | इंजी. संजीत कुमार घोष                          | 2022-23 |
| 23 | प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का ग्रामीण विकास योजनाओं पर प्रभाव पर अध्ययन - अमृत सरोवर मिशन और स्वयं सहायता समूह                   | इंजी. एस. के. घोष<br>डॉ. मुरुगेसन              | 2023-24 |
| 24 | अमृत सरोवर पर मन की बात का प्रभाव - स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा झारखंडी लेमनग्रास की खेती का एक केस स्टडी                         | डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य<br>श्री सुधीर कुमार सिंह | 2023-24 |
| 25 | मन की बात का अमृत सरोवर पर असर पहल: कर्नाटक के बागलकोट जिले के बिलकेरूर ग्राम पंचायत का मामला                                             | डॉ. पी अनुराधा<br>श्री अबी अब्राहम             | 2023-24 |

| क्र.सं. | अध्ययन का शीर्षक                                                                                                                                                    | टीम                                                    | आरम्भ तिथि |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 26      | मन की बात का अमृत सरोवर पर प्रभाव - मोचा ग्राम पंचायत, जिला मण्डला, मध्य प्रदेश                                                                                     | डॉ. दिगंबर आबाजी. सी श्री बिपिन                        | 2023-24    |
| 27      | शहीद भगत सिंह का एक मामला "अमृत" सरोवर" उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले के निवारी ग्राम पंचायत में                                                               | डॉ. राजकुमार पम्मी श्री मुत्थालु                       | 2023-24    |
| 28      | मन की बात का अमृत सरोवर पर प्रभाव - ए वारंगल के मंगल्या वाल्या थांडा का मामला                                                                                       | डॉ. सी धीरजा श्री सुधाकर                               | 2023-24    |
| 29      | मन की बात में प्रधानमंत्री के उल्लेख के प्रभाव पर अध्ययन - मध्य के चिचगांव गांव में योगिता आजीविका स्वयं सहायता समूह की एक कहानी प्रदेश                             | डॉ. एन वी माधुरी श्री बाबूराव                          | 2023-24    |
| 30      | मन की बात में प्रधानमंत्री के उल्लेख का स्वयं सहायता समूह पर प्रभाव का अध्ययन - बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किसान चाची पर एक केस स्टडी                              | डॉ. वेंकटमल्लू थडाबोडना श्री शशि भूषण श्री अभिषेक अनंत | 2023-24    |
| 31      | कादीपुर ग्राम पंचायत का एसएचजी केस अध्ययन: मन की बात का असर                                                                                                         | डॉ. लखन सिंह श्री मुरली                                | 2023-24    |
| 32      | एसएचजी द्वारा संचालित हस्तशिल्प कियोस्क (थंजई थरागैल कैविनाई पोरुतकल) पर मन की बात में प्रधानमंत्री के उल्लेख के प्रभाव पर अध्ययन विरपनै विरपनै अंगदी) तमिलनाडु में | डॉ. अरुणा जया मणि डॉ. वाणीश्री जोसेफ                   | 2023-24    |
| 33      | प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का ग्रामीण विकास योजनाओं पर प्रभाव पर अध्ययन - अमृत सरोवर मिशन और स्वयं सहायता समूह                                             | डॉ. रत्ना भुइयां डॉ. आर. मुरुगेसन                      | 2023-24    |
| 34      | मन की बात कार्यक्रम का ग्रामीण विकास योजनाओं पर प्रभाव - अपशिष्ट से धन: श्रीमती कमला महाराणा की प्रेरक कहानी                                                        | डॉ. प्रत्युक्ता पटनायक डॉ. ज्योति प्रकाश मोहंती        | 2023-24    |
| 35      | मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता पैदा करने के प्रयास: मामले पूर्वोत्तर भारत से                                                                          | डॉ. रत्ना भुयान                                        | 2023-24    |

## परिशिष्ट -IV

### वर्ष 2023-24 के कार्य अनुसंधान अध्ययन

| क्र.सं.             | अध्ययन का शीर्षक                                                                                                     | टीम                                       | आरम्भ तिथि  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| <b>क. उठाया गया</b> |                                                                                                                      |                                           |             |
| 1                   | जमीनी स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के अभिसरण के साथ 'संगठन विकास' के माध्यम से व्यापक ग्राम विकास - एक कार्यात्मक शोध | डॉ. चित्रादुरई                            | 01 जुलाई 23 |
| <b>ख. समाप्त</b>    |                                                                                                                      |                                           |             |
| 1                   | 100+ क्लस्टर विकास परियोजना                                                                                          | डॉ. अंजन कुमार भांजा श्री दिलीप कुमार पाल | 2019-20     |



## परिशिष्ट -V

### 2023-24 के दौरान किए जाने वाले परामर्श अध्ययन

| क्र.सं. | अध्ययन का शीर्षक                                                                                                                                                      | टीम                                                                                                 | आरम्भ तिथि    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.      | एपीआईबी टेहरी-घरवाल, उत्तराखंड -II                                                                                                                                    | डॉ. पी. केशव राव<br>डॉ. एन.एस.आर. प्रसाद<br>डॉ. एम.वी.रविबाबू<br>एच. एच के सोलंकी                   | 01 अगस्त 23   |
| 2.      | स्वयं सहायता समूहों के ऋण उपयोग और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के नकदी प्रवाह का मूल्यांकन                                                                         | डॉ. के. प्रभाकर<br>श्री के.राजेश्वर                                                                 | 01 जून 23     |
| 3.      | महात्मा गांधी नरेगा चरण 2 के अंतर्गत समय और गति अध्ययन पर शोध अध्ययन (राज्य - दमोह और नगालैंड हवेली, झारखंड, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, पंजाब और सिक्किम) | डॉ. सी. धीरजा<br>डॉ. दिगंबर ए चिमनकर<br>डॉ. कृष्णा लोही दास<br>डॉ. राज कुमार पी.<br>डॉ. पी. अनुराधा | 17 अक्टूबर 23 |
| 4.      | मनरेगा के सामाजिक लेखा-परीक्षण के संचालन में सामाजिक लेखा-परीक्षण प्रक्रिया का अनुपालन                                                                                | डॉ. श्रीनिवास सज्जा<br>डॉ. धीरजा<br>डॉ. राजेश कुमार सिन्हा                                          | 18 जुलाई 23   |
| 5.      | राज्यों में सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों का वित्तीय मूल्यांकन                                                                                                         | डॉ. राजेश कुमार सिन्हा<br>डॉ. सी.धीरजा<br>डॉ. श्रीनिवास सज्जा                                       | 18 जुलाई 23   |

## परिशिष्ट -VI

### वर्ष 2023-24 के दौरान जारी परामर्श अनुसंधान अध्ययन

| क्र सं | अध्ययन का शीर्षक                                                                                              | टीम                                                                                                                                        | आरम्भ तिथि |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1      | समय और गति अध्ययन - मनरेगा (टीएमएस-1)                                                                         | डॉ. ज्योतिस सत्यपालन<br>डॉ. दिगंबर ए चिमनकर<br>डॉ. यू. हेमंता कुमार<br>डॉ. जी.वी. कृष्णा लोही दास<br>डॉ. पी. अनुराधा<br>डॉ. राजकुमार पम्मी | 2017-18    |
| 2      | पीएमजीएसवाई के अंतर्गत भू-सूचना विज्ञान ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का उपयोग                                      | डॉ. पी केशव राव<br>डॉ. एम वी रविबाबू<br>डॉ. एनएसआर प्रसाद<br>डॉ. एच के सोलंकी<br>डॉ. ए सिन्हाचलम                                           | 2018-19    |
| 3      | उत्तराखंड के टिहरी-घरवाल जिले में कृषि-जलवायु योजना और सूचना बैंक (एपीआईबी)।                                  | डॉ. पी केशव राव<br>डॉ. एन एस आर प्रसाद<br>डॉ. एम वी रविबाबू<br>एच. एच के सोलंकी                                                            | 2018-19    |
| 4      | 2015-16 और 2016-17 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई आरकेवीवाई परियोजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन | डॉ. जी.वी.कृष्णा लोही दास<br>डॉ. यू.हेमंत कुमार<br>डॉ. के. कृष्णा रेड्डी                                                                   | 2019-20    |
| 5      | झारखंड राज्य में लाभार्थियों की आजीविका पर महात्मा गांधी नरेगा की परिसंपत्तियों का प्रभाव                     | डॉ.सोनल मोबार रॉय<br>डॉ. सी.धीरजा<br>श्री ई. बी. उदय भास्कर रेड्डी                                                                         | 2022-23    |

## परिशिष्ट-VII

### वर्ष 2023-24 के दौरान जारी परामर्श अनुसंधान अध्ययन

| क्र सं | अध्ययन का शीर्षक                                                                                                                            | टीम                                                                                                                                        | आरम्भ तिथि |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1      | भारत भर में 250 आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर बनाने की परियोजना                                                                                | डॉ. अंजन कुमार भांजा<br>श्री दिलीप कुमार पाल                                                                                               | 2020-21    |
| 2      | मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों को व्यक्तिगत परिसंपत्तियां उपलब्ध कराने के बाद उनके द्वारा काम की मांग में परिवर्तन (पीएमएवाई को छोड़कर)      | डॉ. ज्योतिस सत्यपालन<br>डॉ. दिगंबर ए चिमनकर<br>डॉ. यू. हेमंथा कुमार<br>डॉ. जी.वी. कृष्णा लोही दास<br>डॉ. पी. अनुराधा<br>डॉ. राजकुमार पम्मी | 2020-21    |
| 3      | यूनिसेफ संचार संसाधन इकाई एसबीसीसी के लिए                                                                                                   | डॉ. एन.वी. माधुरी<br>डॉ. वाणीश्री जोसेफ                                                                                                    | 2021-22    |
| 4      | राज्य कैम्पा-अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत वन विभाग द्वारा की गई गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन                                             | डॉ. वी. सुरेश बाबू<br>डॉ. ए. सिन्हाचलम                                                                                                     | 2022-23    |
| 5      | महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रदर्शन मापन का एक मूल्यांकन अध्ययन                                                | डॉ. आकांक्षा शुक्ला                                                                                                                        | 2022-23    |
| 6      | तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले के पाँच मंडलों के सरकारी स्कूलों की छात्राओं में जागरूकता पैदा करना और उन्हें सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना | डॉ. वाणीश्री जे.<br>डॉ. एन.वी. माधुरी                                                                                                      | 2022-23    |
| 7      | डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 वेब के लिए ई-डीपीआर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आवेदन                                                                | डॉ. पी. केशव राव<br>डॉ. एन.एस.आर.प्रसाद<br>डॉ. एम.वी.रविबाबू                                                                               | 2022-23    |



## परिशिष्ट -VIII

### सामान्य परिषद के सदस्यों की सूची

| क्र.सं. | नाम और पता                                                                                                                                               | क्र.सं. | नाम और पता                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | श्री गिरिराज सिंह<br>माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री,<br>कृषि भवन,<br>नई दिल्ली - 110 001                                           | 11.     | सचिव<br>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कमरा संख्या 115,<br>कृषि भवन<br>नई दिल्ली - 110001.                                                                   |
| 2.      | -साध्वी निरंजन ज्योति<br>माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, कृषि भवन,<br>नई दिल्ली - 110 001।                                                            | 12.     | सचिव<br>उच्च शिक्षा विभाग<br>मानव संसाधन विकास मंत्रालय 127-सी, शास्त्री भवन,<br>नई दिल्ली                                                                    |
| 3.      | श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल<br>माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री कृषि भवन,<br>नई दिल्ली - 110 001                                                             | 13.     | सचिव, नीति आयोग, सी-8, टावर-1,<br>न्यू मोती बाग, नई दिल्ली- 110021                                                                                            |
| 4.      | श्री शैलेश कुमार सिंह, आईएएस सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,<br>ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001                                          | 14.     | सचिव<br>कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)<br>कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण<br>विभाग<br>नॉर्थ ब्लॉक,<br>नई दिल्ली - 110001 |
| 5.      | अध्यक्ष<br>कजरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, अमूल डेयरी,<br>आनंद-388001. गुजरात                                                                | 15.     | सचिव (वित्तीय सेवाएँ)<br>वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग,<br>6ए, तृतीय तल,<br>जीवन दीप भवन,<br>संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001                              |
| 6.      | अध्यक्ष<br>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग,<br>नई दिल्ली - 110002.                                                             | 16.     | अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय,<br>कृषि भवन,<br>नई दिल्ली - 110001.                                                                     |
| 7.      | अध्यक्ष<br>भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) 16 कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता मार्ग,<br>राष्ट्रीय बाल भवन के सामने, आईटीओ के पास, नई दिल्ली - 110002             | 17.     | अपर सचिव,<br>ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन,<br>नई दिल्ली - 110001.                                                                                         |
| 8.      | सचिव (डीडब्ल्यूएस)<br>पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, सी विंग, चौथी मंजिल,<br>पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स<br>लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 | 18.     | संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन,<br>नई दिल्ली - 110001.                                                                             |
| 9.      | सचिव<br>भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन,<br>नई दिल्ली - 110001.                                                                      | 19.     | संयुक्त सचिव,<br>जनजातीय कार्य मंत्रालय 218, द्वितीय तल, डी विंग, शास्त्री भवन<br>नई दिल्ली - 110001                                                          |
| 10.     | सचिव<br>पंचायती राज मंत्रालय कृषि भवन,<br>नई दिल्ली -110001.                                                                                             | 20.     | संयुक्त सचिव (सामाजिक एवं मीडिया)<br>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन,<br>सी विंग, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड<br>नई दिल्ली - 110 011           |

| क्र.सं. | नाम और पता                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.     | कुलपति<br>जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय<br>नई दिल्ली-110067                                                                                                           |
| 22.     | कुलपति, हैदराबाद विश्वविद्यालय, प्रोफेसर सीआर राव रोड, डाकघर,<br>केंद्रीय विश्वविद्यालय, गाचीबोवली,<br>हैदराबाद,-500046. तेलंगाना.                                   |
| 23.     | डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस महानिदेशक<br>राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान<br>(एनआईआरडीपीआर) राजेंद्रनगर,<br>हैदराबाद -500030.                        |
| 24.     | सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक, आईसीएआर,<br>ए-1, एनएएससी कॉम्प्लेक्स,<br>डीपीएस मार्ग<br>नई दिल्ली-110012                                                                 |
| 25.     | निदेशक<br>ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान, संख्या 1210, प्रथम तल,<br>आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर,<br>80 फीट रोड, 560 104, चंद्रा लेआउट,<br>बेंगलुरु- 560040, कर्नाटक |
| 26.     | वरिष्ठ सलाहकार,<br>कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय,<br>कमरा संख्या 322, बी-विंग,<br>श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग<br>नई दिल्ली - 110001।                                |

| क्र.सं. | नाम और पता                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.     | अपर सचिव, ग्रामीण विकास एवं मिशन निदेशक (एनआरएलएम)<br>7वीं मंजिल, एनडीसीसी-II,<br>ग्रामीण विकास मंत्रालय, जय सिंह रोड,<br>नई दिल्ली - 110001                         |
| 28.     | कार्यकारी निदेशक (प्रभारी)<br>वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग (एफआईडीडी) 10वीं मंजिल,<br>केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, पी.बी.10014,<br>मुंबई - 400001. |
| 29.     | मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड<br>1-1-61, आरटीसी 'एक्स' रोड पीबी संख्या 1863,<br>मुशीराबाद<br>हैदराबाद, तेलंगाना<br>पिन : 500020                                           |
| 30.     | डॉ. रवींद्र गावली<br>प्रोफेसर एवं प्रमुख (सीएनआरएमसीसीडीएम), एनआईआरडीपीआर,<br>हैदराबाद - 500030.                                                                     |
| 31.     | डॉ. पी. केशव राव<br>एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रभारी प्रमुख (सीजीएआरडी)<br>एनआईआरडीपीआर,<br>हैदराबाद-500030.                                                             |
| 32.     | डॉ. वनीश्री जोसेफ,<br>सहायक प्रोफेसर एवं प्रभारी प्रमुख (सीजीएसडी) एनआईआरडीपीआर,<br>हैदराबाद-500030.                                                                 |
| 33.     | श्री ए.एस. चक्रवर्ती, निदेशक (एफएम) एवं वित्तीय सलाहकार,<br>एनआईआरडीपीआर,<br>हैदराबाद.                                                                               |



## परिशिष्ट -IX

| कार्यकारी परिषद के सदस्यों की सूची |                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्र.सं.                            | सदस्य                                                                                                                               |
| 1.                                 | श्री शैलेश कुमार सिंह, आईएएस<br>सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,<br>ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन,<br>नई दिल्ली - 110001               |
| 2.                                 | डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस<br>महानिदेशक,<br>एनआईआरडीपीआर, राजेंद्रनगर, हैदराबाद                                                   |
| 3.                                 | सचिव,<br>पंचायती राज विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन,<br>डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली - 110001.                         |
| 4.                                 | सचिव<br>पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय<br>पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली |
| 5.                                 | सचिव<br>भूमि संसाधन विभाग,<br>ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन,<br>नई दिल्ली - 110001.                                              |
| 6.                                 | अपर सचिव,<br>ग्रामीण विकास विभाग,<br>ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन,<br>नई दिल्ली - 110001                                        |
| 7.                                 | अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,<br>ग्रामीण विकास विभाग,<br>ग्रामीण विकास मंत्रालय,<br>कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001                    |
| 8.                                 | संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण)<br>ग्रामीण विकास विभाग,<br>ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन,<br>नई दिल्ली - 110001                         |
| 9.                                 | डॉ. सी. धीरजा<br>एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रभारी प्रमुख,<br>सीडब्ल्यूईएल एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद                                        |
| 10.                                | निदेशक<br>ग्रामीण प्रबंधन संस्थान<br>(आईआरएमए), गुजरात                                                                              |
| 11.                                | सचिव (वित्तीय सेवाएँ)<br>वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग,<br>6ए, तृतीय तल,<br>जीवन दीप भवन, संसद मार्ग<br>नई दिल्ली-110001     |

## परिशिष्ट X

### शैक्षणिक परिषद के सदस्यों की सूची

| क्र.सं. | सदस्य                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | ग्रामीण विकास क्षेत्र का गहन ज्ञान और उच्च शैक्षणिक योग्यता वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अकादमिक परिषद का अध्यक्ष (अंशकालिक) होगा।<br>संस्थान के महानिदेशक सह-अध्यक्ष होंगे |
| 2       | कार्मिक, मानव संसाधन विकास, कृषि, ग्रामीण विकास, आर्थिक एवं वित्तीय, पंचायती राज आदि विभागों में प्रशिक्षण के प्रभारी संयुक्त सचिव.                                       |
| 3       | एनआईआरडीपीआर के उप महानिदेशक (कार्यक्रम समर्थन) – सदस्य सचिव                                                                                                              |
| 4       | एनआईआरडीपीआर के स्कूलों के डीन                                                                                                                                            |
| 5       | आईआरएमए, एलबीएसएनएए, एएससीआई, आईआईपीए आदि जैसे राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों से प्रत्येक का एक नामित व्यक्ति                                                              |
| 6       | कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा नामित विशेष ज्ञान वाले चार व्यक्ति, लेकिन दो वर्ष से अधिक नहीं।                                                   |
| 7       | राज्यों के पाँच एसआईआरडी के प्रमुख जो सामान्य परिषद के सदस्य हैं (प्रत्येक दो वर्ष में रोटेशन द्वारा)                                                                     |







**राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान**

**ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार**

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत

[www.nirdpr.org.in](http://www.nirdpr.org.in)